5 दिसम्बर, 1995
अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पंद्रहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
15	11	सामाधन	समाधान
39	18	विमला वर्मा	कुमारी विमला वर्मा
41	नीचे से 2	क्या शिवराज सिंह चोहान	श्री शिवराज सिंह चौहान
59	नीचे से 13	श्री जार्ज फर्नांडीस	श्री जार्ज फर्नान्डीज
62	नीचे से 2	(युवा तथा खेल विभाग)	(युवा कार्य तथा खेल विभाग)
69	नीचे से 11	श्री अशोक आनन्दराव देशमुख	श्री अशोक आनन्दराव देशमुख
91	15	डा॰ परशुराम गंगावार	डा॰ परशुराम गंगवार
92	19	समीत के लिए शिक्षा	सभी के लिए शिक्षा
96	नीचे से 9	श्री प्रेमचन्द्र राम	श्री प्रेमचन्द राम
151	प्रश्न सं0 1435	प्रो0 बी॰सी॰थामस	प्रो0 पी॰सी॰ थामस
190	प्रश्न सं0 1442	श्री श्रवण कमार पटेल	श्री श्रवण कुमार पटेल

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 7, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1995/14 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1—5
प्रश्नों के लिखित उत्तर		5—228
* तारांकित प्रश्न संख्या	121, 122, 124 से 140	5—30
अतारांकित प्रश्न संख्या	1293 से 1484	30—228

लोकसभा

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1995/14, अग्रहायण 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन-संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे एक सहयोगी श्री राजाराम शंकरराव माणे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री राजाराम शंकरराव माणे महाराष्ट्र के इचलकरांजी संसदीय क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह वर्ष 1977-1991 के दौरान इसी संसदीय क्षेत्र से छठी से नौवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे।

श्री माणे व्यवसाय से कृषक और एक सक्रिय राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली तथा के०वी०आर० शिंदे शिक्षण संस्था, साहू संस्था एवं भारत **शिक्षण** संस्था के अध्यक्ष भी रहे।

श्री माणे ने अपने लम्बे संसदीय जीवन में याचिका समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति में कार्य किया और वह विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री माणे ने सदन की कार्यवाहियों में गहरी रुचि ली।

पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे, श्री राजाराम शंकरराव माणे, का 4 दिसम्बर, 1995 को कोल्हापुर में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

प्रधानमंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, हमारे एक और वर्तमान सहयोगी, का कल रात निधन हो गया है। मैं बड़े दुःखीमन से अपने वर्तमान सहयोगी श्री राजाराम शंकरराव माणे के निधन पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री माणे एक अनुभवी सांसद थे और इससे पहले भी वे चार बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे तथा कोल्हापुर जिला परिषद् के अध्यक्ष थे। साहित्य की ओर उनका विशेष झुकाव था और वे शिक्षा के प्रसार से भी जुड़े रहे। उनके निधन से हमने एक अच्छे सहयोगी तथा पंचायती राज के क्षेत्र में एक अनुभवी व ज्ञाता व्यक्ति को खो दिया है।

मैं श्री माणे के निधन पर अपनी ओर से तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से गहरा दुःख व्यक्त करता हूं।

भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : स्व. श्री माणे के संबंध में आपने और सदन के नेता ने जो कुछ कहा है मैं पार्टी की और स्वयं को उसके साथ सम्बद्ध करता हूं। श्री माणे की लोकप्रियता इस बात से सिद्ध है कि वह पांचवीं बार इस सदन के सदस्य चुने गए थे। अपने क्षेत्र में अनेक संस्थाओं से जुड़े थे और जिला परिषद् के भी अध्यक्ष रहे थे। उनकी साहित्य में भी रुचि थी।

अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक सदन के सदस्यों का इस तरह से हमारे बीच में से हमेशा के लिए चला जाना सचमुच में एक आघात का रूप ले चुका है। लेकिन परमात्मा से दिवंगत आत्मा का सदगति प्रदान करने की प्रार्थना करने के सिवाय हम और यह सदन क्या कर सकते हैं। कृपया हमारी शोक संवेदना उनके दुःखी परिवार तक पहुंचा दें, यही आपसे अनुरोध है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री राजाराम शंकरराव माणे इस सदन के काफी वरिष्ठ साथी थे और प्रधानमंत्री जी और अटल जी तथा आपने उनकी बाबत जो बातें कहीं, उनसे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष जी, आज लगातार हमारा चौथा दिन है, जिसमें हमारे सदन के बहुत प्रतिभाशाली लोग एक-एक करके गए हैं। कल जिस माननीय सदस्य के प्रति हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की, उन पर बड़े अमानवीय ढंग से गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आज इस सदन में 4 दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं माणे जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं तथा अन्य साथी जो नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे इस सत्र के 4 महत्वपूर्ण दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने में गए हैं कभी न कभी हमको यह विचार करना पड़ेगा कि वे व्यक्ति जिनके जीवन में लगातार राजनीतिक सक्रियता रही है, उनके जो सपने रहे हैं, उनके अरमानों, सपनों और रास्तों को मजबूत करने के लिए हम काम करते हुए भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, थोड़ी देर का मौन रख कर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, उन साथियों को याद रख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। हमारे देश में वैसे भी इतने त्यौहार होते हैं, इतनी छुट्टियां होती हैं और अब सदन की पहले वाली परंपरा को भी हमने बदल दिया है, पहले वाली परंपरा ज्यादा बेहतर थी। आज तो नहीं हो सकता, लेकिन इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि पिछले तीन दिन से साथियों के जाने का कष्ट मेरे दिल में है, साथियों के जाने का अफसोस है, लेकिन हमको यह भी जरूर सोचना पड़ेगा कि करोड़ों लोगों का यह देश है, जिसमें इतनी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इसके बावजूद हमारे इतने महत्वपूर्ण दिन इस तरह से चले जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई परंपरा आपके निर्देशन में बननी चाहिए कि कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, हम एक मिनट का मौन रख कर उसके प्रति श्रद्धांजलि और आदर व्यक्त कर दें। इस तरह से हम सारे देश में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि देश का यह सर्वोच्च सदन किसी व्यक्ति के प्रति एकता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो वह बात उतनी ही वजनदार है, जितनी सदन को स्थगित करके हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उस व्यक्ति के कामों और सपनों को पूरा करके ज्यादा बड़ी श्रद्धांजलि काम करते हुए अर्पित कर सकते हैं।

माणे जी के निधन से उनके परिवार को और हम सबको आघात लगा है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी थे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस आघात से, इस संकट से निकलने की ताकत मिले। इस बात को

कहकर मैं काफी चाहता हूं, मेरा मन ही नहीं माना, इसलिए मैंने इस बात को कहा, सब साथियों का आदर करते हुए मैंने यह बात कही, क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इस दुखद निधन पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त भावनाओं में मैं तथा मेरा दल भी शामिल है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संसद सदस्यों की मृत्युदर ने देश की मृत्युदर को पीछे छोड़ दिया है। स्थिति कैसी भी हो, उनकी निरन्तर चार चुनावी जीतों से यह पता चलता है कि वह लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय थे वह लोगों के काफी निकट थे तथा इसी कारण वे जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। हमने एक अच्छे सहयोगी को खो दिया है और हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम इस दुःखद निधन पर शोक और संवेदना व्यक्त करते हैं तथा हमारी संवेदना उनके मित्रों और उनके परिवार तक पहुंचा दी जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अवसरों पर हम अपना दुःख और शोक व्यक्त करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। श्री माणे इसी लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा में वे पांचवीं बार चुनकर आये थे। इसी से सिद्ध होता है कि वे कोल्हापुर की जनता में कितने लोकप्रिय थे। अभी-अभी हमने उनके द्वारा किए गए अनेक सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों के बारे में सुना। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं पर मैं उनकी स्मृति के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करता हूं और इस सदन के एक सदस्य के रूप में और सदन के बाहर उन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं श्री शरद यादव जी के इन विचारों से सहमत हूं कि हमें एक परम्परा कायम करनी होगी। वास्तव में, यह परम्परा पहले कायम थी कि ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से सदन के कार्यों में बार-बार रुकावट डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं जो उस परम्परा को छोड़ दिया है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमें इस निधन पर जो दुःख हुआ है उसका आंकलन हमें सभा के स्थगित होने की संस्था से नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा सम्पूर्ण सभा की ओर से किये जाने वाले उल्लेखों के अतिरिक्त एक उपयुक्त शोक प्रस्ताव पारित करके हम संतुष्ट हो सकते हैं।

मैं इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या एक परम्परा आरम्भ करना हमारे लिए संभव होगा। स्पष्ट रूप से यह इस प्रकार की दुर्घटना के प्रति कोई गारंटी नहीं है परन्तु यदि हम हर एक सदस्य के मेडिकल चेक-अप करवाने की परम्परा शुरू करते हैं तो यह एक सुरक्षा उपाय सिद्ध हो सकता है। मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ देशों में होता है और एक सदस्य के लिए हर वर्ष मेडिकल चेक-अप करवाना अनिवार्य है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह भाग्य के प्रति कोई गारंटी है। परन्तु इससे, कुछ मामलों में, लोगों को पहले से सतर्क रहने का अवसर मिलता है। हम कई लोगों को खो देते हैं। यह दिल का दौरा पड़ने से हो सकता है और हमें बताया जाता है कि अमुक सदस्य को ऐसा दौरा पहले कभी भी नहीं पड़ा था आदि। अतः ऐसे सन्दर्भो को देखते हुए मेडिकल चेक-अप करवाना अनिवार्य है। मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे पर भी विचार करेंगे।

जहां तक श्री माणे का संबंध है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्री माणे के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे उनके शोक संतप्त परिवार को हमारे दुःख से अवगत करा दें।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबियेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के वर्तमान सदस्य श्री राजाराम शंकरराव माणे की मृत्यु से हमने एक बहुत ही अनुभवी सहयोगी को खो दिया है। वे न केवल एक अच्छे और परिपक्व राजनीतिज्ञ थे अपितु एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। उन्होंने साहित्य में विशेष रुचि ली। उन्होंने दलित और उत्पीड़ित लोगों के लिए जो सेवाएं की हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं।

महोदय, श्री माणे का निधन हमारे लिए एक बड़ी क्षति है। अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, माणे जी हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वह महाराष्ट्र के लोकप्रिय किसान नेता और समाज सेवी थे। मैं 20 साल पहले उनके निमंत्रण पर अकोला में एक जनसभा में गया था। उस समय मैंने देखा था कि वह कितने लोगों में लोकप्रिय थे और उन पर कितने लोगों का विश्वास था। यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें गम्भीर दमे की शिकायत थी। अन्ततः उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्रीमती लवली आनन्द (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हम आज फिर शोक सभा में एकत्रित हुए हैं। हम एक के बाद एक लगातार अपने सम्मानित सदस्यों को खोते जा रहे हैं। यह काफी दुःख और चिन्ता की बात है। स्वर्गीय माणे के निधन से हम आज काफी शोक संतप्त हैं। यह बात सच है कि वह काफी लोकप्रिय थे वह पांच बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके बारे में और अधिक जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति संवदेना व्यक्त करती हूं। ईश्वर उनके परिवार को शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं भी सभा के नेता और अन्य सदस्यों द्वारा इस सभा के माननीय सदस्य श्री राजाराम शंकरराव माणे के निघन पर व्यक्त शोक और संवेदनाओं में शामिल हूं। आपने सही कहा है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की भावनाओं, आशाओं और अपेक्षाओं, का इस सभा में प्रतिनिधित्व किया और वे यहां से पांच बार निर्वाचित हुए थे। इस सभा की ओर से हम उनके निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त करते हैं और मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से अपने प्रिय सहयोगी श्री आर०एस० माणे के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, माणे जी दिल के बहुत अच्छे सांसद थे। वह हमारे साथी थे लेकिन अब वह नहीं रहे हैं। शिव सेना की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस पक्ष को लगातार चार सांसद खोने पर जो धक्का पहुंचा है और उनको जो हानि हुई है, उसमें शिव सेना भी उनके साथ शामिल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

11.19 म०पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

अध्यक्ष महोदय : दो सुझाव दिए गये हैं। एक सुझाव तो ऐसी परम्परा आरम्भ करने के बारे में है जब भी हमारे किसी सहयोगी का निधन हो जाए और दूसरा सुझाव सभी सदस्यों के नियमित मैडिकल चेक-अप के बारे में है। सभी सदस्यों से परामर्श करके और सभी की सहमति से हम यह निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और इसके बाद हम निर्णय लेंगे।

नेताओं की बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि आज हम सभा स्थगित कर दें और जो समय बेकार चला गया उसकी भरपाई करने के लिए हमें प्रतिदिन भोजनकाल के समय तथा सायंकाल छह के बाद एक घण्टे के लिए बैठना चाहिए ताकि सदन के समक्ष जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए हमें लगभग 26 घण्टों का समय मिल सके।

इसके साथ ही मैं घोषणा करता हूं कि सभा बुधवार, 6 दिसम्बर, 1995 के 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

***121. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय संचालित विविध सार्वजनिक वितरण प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शहरी गरीबों को ग्रामीण गरीबों की अपेक्षा सस्ती दरों पर राशन देने की कोई योजना बना रही है; और

(ग) वर्ष 1994-95 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों पर राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी अतिरिक्त राजसहायता की आवश्यकता होगी ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : केंद्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार देश में केवल एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तथापि, देश के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में सुधार लाने की दृष्टि से लगभग 2446 ब्लाकों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाया गया है राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले ब्लाकों में प्रत्येक घर को हर महीने 20 कि०ग्रा० खाद्यान्न मिले। केंद्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न, विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर देती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में प्रति क्विंटल 50रु० कम हैं। विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त ये केंद्रीय निर्गम मूल्य गैर-आदिवासी बहुल राज्यों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों के भीतर शहरों नगर बस्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

केंद्रीय सरकार का शहर में रहने वाले गरीबों को गांवों के गरीबों को लागू दरों से सस्ती दरों पर राशन देने की कोई स्कीम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1994-95 के दौरान संशोधित आकलनों के अनुसार खाद्य राजसहायता (चीनी सहित) 5100 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य राजसहायता हेतु 5250 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

दालों का आयात

***122. श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया;

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इन दालों का आयात किया गया ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 1995, नवीनतम स्थिति होने के कारण) के लिए दालों के आयात की मात्रा और मूल्य तथा जिन देशों से आयात हुआ है उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान दालों का आयात देशवार

(मात्रा मी० टन में
मूल्य लाख रु० में)

क्र०सं०	देश का नाम	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	37085	3308.21
2.	बुल्गारिया	1504	133.21
3.	कनाडा	29359	2474.77
4.	चाइनीज ताइपे	2546	304.79

1	2	3	4
5.	चीन गणराज्य	9567	1055.91
6.	मिस्र	500	38.72
7.	जर्मन रिपब्लिक	40	7.01
8.	हंगरी	2600	231.17
9.	ईरान	17	1.79
10.	केन्या	231	38.79
11.	मलावी	3680	494.45
12.	मलेशिया	4121	680.18
13.	मयन्मार	103278	16095.51
14.	मैक्सिको	1180	371.74
15.	मोज़ाम्बिक	1097	159.64
16.	नीदरलैण्ड	43	51.31
17.	नेपाल	3848	647.32
18.	न्यूजीलैण्ड	3514	505.35
19.	पाकिस्तान	3000	585.19
20.	सिंगापुर	9425	1440.72
21.	स्पेन	478	82.26
22.	सीरिया	424	56.96
23.	तुर्की	83	25.99
24.	यू०ए०ई०	3267	318.26
25.	यू०के०	52	8.72
26.	यू०एस०ए०	1276	280.40
27.	अन्य	7	0.01
	कुल आयात	222222	29352.38

स्रोत: डी० जी०सी० आई० एंड एस० कलकत्ता।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

***124. श्री मुही राम सैकिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के परीक्षाफल में क्रमशः गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा 10 और कक्षा 11 के परिणाम पिछले तीन वर्षों से वस्तुतः समान रहे हैं, केवल कक्षा 10 के परिणाम में वर्ष 1995 के दौरान गिरावट ध्यान में आयी थी। यह मुख्यतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के प्रयास, एक अनवरत प्रक्रिया है। उठाए गए विशिष्ट कदमों में केन्द्रीय विद्यालयों में वितरण के लिए नमूना प्रश्न-पत्रों को तैयार करना शामिल है। शिक्षा संबंधी कुछ उपायों के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती-कार्रवाई भी आरंभ की गयी है।

बीज उत्पादन क्षेत्र

***125. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की भागीदारी के संबंध में वास्तविक नीति क्या है?

(ख) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण में संलग्न पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनियों और इनकी सहायक कम्पनियों को बीज उत्पादन और बीज वर्धन के लिए अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विदेशी इक्विटी को शतप्रतिशत भागीदारी की अनुमति देने के लिए कोई नीति अधिसूचित करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) औद्योगिक नीति, 1991 से संबंधित विवरण में अधिक उपज देने वाले प्रमाणित संकर बीजों और सिंथेटिक बीजों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के रूप में माना गया है। इस क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की भागेदारी से संबंधित नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(I) औद्योगिक अनुमोदनों को अधिशासित करने वाले नीति और प्रक्रियाओं में निहित अनुबंधों के अधीन ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन, जहां भारतीय कम्पनी की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश 51% तक हो तथा जहां विदेशी इक्विटी में परियोजना हेतु आवश्यक पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता शामिल हो।

(II) सरकार 51% से अधिक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार करती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति में उन प्रस्तावों पर विचार के लिए प्रावधान शामिल है, जिनमें विदेशी इक्विटी की भागीदारी 100% है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

***126. श्री प्रबीन डेका :**

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से असम, मिजोरम और त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को किन वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकारों को इस तथ्य की जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं को अनियमित तथा अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ और वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, सुपीरियर मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल और सॉफ्ट/सी०आई०एल० कोक को आपूर्ति की व्यवस्था करती है।

(ख) और (ग) : केंद्रीय सरकार सभी राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के सभी प्रयास करती है। किसी भी राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की सूचना नहीं दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका अभिप्राय किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं होता है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं जारी करती है जिन पर बहुत अधिक राजसहायता दी जाती है और वे खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे स्वयं अपनी ओर से स्थानीय आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर चाय, आयोडाइज नमक, दालें और साबुन जैसी आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं को वितरित करें। अनेक राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि व संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में ऐसी वस्तुएं वितरित कर रही हैं।

[हिन्दी]

सोयाबीन की खेती

***127 श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां सोयाबीन की खेती की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को इसकी खेती के अन्तर्गत लाया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सोयाबीन का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) सोयाबीन की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) "सोया-दुग्ध", "सोया-पनीर" जैसे, सोयाबीन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सोयाबीन उगाने वाले मुख्य राज्य हैं — मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात।

(ख) और (ग) : पिछले तीन वर्षों के लिये राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन सलंग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) सोयाबीन सहित तिलहनों की खेती बढ़ाने के लिये 22 राज्यों के 337 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि उपकरणों, राइजोनियम-कल्चर तथा पी०एस०बी० जिप्सम और पाइराइट्स आदि के वितरण के लिये सहायता दी जाती है। साथ ही, उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिये कृषि भारतीय अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रमुख प्रदर्शन और राज्यीय कृषि विभागों द्वारा प्रखंडों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) सोया दूध और सोया पनीर जैसे सोयाबीन पर आधारित उद्योग स्थापित करने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कुछेक उद्यमियों ने एक समिति पैमाने पर सोया उत्पादों का उत्पादन आरम्भ किया है। 70 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ 98 सोया-प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा चुके हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क्र०सं०	राज्य	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.6	4.5	6.0	2.3	5.0	5.0
2.	गुजरात	17.0	18.4	20.0	11.7	14.0	14.0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हिमाचल प्रदेश	0.9	0.8	18.0	0.3	0.3	5.0
4.	कर्नाटक	41.3	37.8	47.0	27.0	33.5	42.0
5.	मध्य प्रदेश	3854.0	3289.5	2910.0	2598.9	3480.3	2587.0
6.	महाराष्ट्र	365.0	501.87	561.0	361.4	671.4	526.0
7.	उड़ीसा	0.9	8.9	1.0	0.6	0.6	1.0
10.	राजस्थान	264.8	345.5	403.0	333.4	369.9	443.0
11.	उत्तर प्रदेश	30.4	36.1	33.0	37.9	36.9	35.0
12.	अन्य	11.0	12.3	11.0	13.4	14.6	14.0
	योग	3788.7	4247.5	4010.0	3386.9	4626.3	3672.0

[अनुवाद]

चीनी का स्टॉक

***128 श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी का बफर स्टॉक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गत कई महीनों से चीनी के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है तथा चीनी मिलों तक को भी विस्तार की अनुमति नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) फिलहाल सरकार चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा कर रही है। नई चीनी मिलें स्थापित करने/वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने पर इसके बाद ही विचार किया जाएगा।

उचित दर की दुकानें

***129. डा० बसंत पवार :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1995 को देश में उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) देश में राज्यवार कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या इन दुकानों से लाभान्वित है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जून, 1995 तक देश में राज्यवार उचित दर की दुकानों की संख्या विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) केन्द्रीय सराकर की नीति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा देश की समूची आबादी को इन उचित दर की दुकानों तथा चलती फिरती उचित दर की दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाया जाता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जून, 1995 तक कुल उचित दर दुकानों की संख्या

राज्य	सूचित की गई संख्या	सूचित किए जाने की तारीख
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	38521	दिसम्बर 94
अरूणाचल प्रदेश	877	नवम्बर 95
असम	27522	सितम्बर 93
बिहार	51828	दिसम्बर 93
गोवा	572	जून 95
गुजरात	13391	जून 95
हरियाणा	7222	जून 95
हिमाचल प्रदेश	3527	जून 95
जम्मू और कश्मीर	2709	दिसम्बर 94
कर्नाटक	19244	जून 95
केरल	14135	जून 95
मध्य प्रदेश	22728	जून 95

1	2	3
महाराष्ट्र	41616	मार्च 95
मणिपुर	1958	दिसम्बर 94
मेघालय	3629	दिसम्बर 93
मिजोरम	936	मार्च 95
नागालैण्ड	262	सितम्बर 93
उड़ीसा	24156	दिसम्बर 94
पंजाब	11372	दिसम्बर 94
राजस्थान	17062	जून 95
सिक्किम	1381	सितम्बर 93
तमिलनाडु	21201	जून 95
त्रिपुरा	1308	दिसम्बर 94
उत्तर प्रदेश	80140	मार्च 95
पश्चिम बंगाल	20340	मार्च 95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	390	जून 95
चंडीगढ़	326	सितम्बर 93
दादरा व नगर हवेली	70	मार्च 95
दमण व दीव	38	दिसम्बर 94
दिल्ली	3150	नवम्बर 95
लक्षद्वीप	34	दिसम्बर 94
पांडिचेरी	359	दिसम्बर 94
कुल	432004	

उचित दर की दुकानों का बंद किया जाना

***130. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि हाल के महीनों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्री स्थित उचित दर की कई दुकानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दुकानों के रख-रखाव में दुकानदारों को कितनी क्षति हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी, 1995 से अक्टूबर, 1995 तक दिल्ली की कुल 3150 उचित दर दुकानों में से 116 लाइसेंसधारियों ने इस्तीफा दे दिया जिससे उनकी उचित दर दुकानें बंद हो गईं। यह बताया गया है कि अधिकांश ने स्वास्थ्य आधार को कारण के रूप में सूचित किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सरकार ने सूचित किया है कि कुछेक ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनकी दुकानों की कीमतें, जो कि वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित हैं, बढ़ चुकी हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि क्योंकि इस व्यापार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रत्येक उचित दर दुकान को 5000 अनाज इकाइयां दी जाती हैं। अतः दुकानों को घाटा होने की संभावना नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी से अक्टूबर, 1995 को अवधि के दौरान उन्होंने दिल्ली में 134 नई उचित दर दुकानें खोली हैं। यह भी सूचित किया गया है कि आवश्यकता होने पर मोबाइल उचित दर की दुकानें चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह भी बताया है कि बंद हुई दुकान के साथ जुड़े राशन कार्डों को उसी क्षेत्र की अन्य उचित दर दुकान के साथ जोड़ दिया जाता है।

खाद्यान्नों की क्षति

***131. श्री मोहन रावले :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान भंडारण के विभिन्न अवैज्ञानिक तरीकों के कारण खरीदे गए खाद्यान्नों के सड़ जाने के फलस्वरूप, मानव उपभोग के योग्य न रह जाने वाले खाद्यान्नों की राज्यवार कुल मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके कारण भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि वसूल किए गए स्टाक का वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए गोदामों (कवर और प्लिंथ सहित) में भंडारण किया जाता है। यद्यपि, दीर्घकालिक भण्डारण, श्रम विवाद, प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे विभिन्न घटकों के कारण खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है परन्तु खाद्यान्नों का वसूल किए गए स्टाक के संबंध में केवल अवैज्ञानिक विधियों से भण्डारण करने के कारण खाद्यान्नों के सड़ने के बारे में 1995 के दौरान अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 1995 के दौरान अभूतपूर्व वर्षा, बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक कारणों की वजह से अब तक विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है :–

क्र०सं०	राज्य	(आकड़े मीटरी टन में)
1	2	3
1.	पंजाब	2046.00
2.	राजस्थान	539.00
3.	हरियाणा	60.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	218.30

1	2	3
5.	केरल	30.16
6.	महाराष्ट्र	255.00
7.	मध्य प्रदेश	18.85
8.	कान्डला	200.00

वर्षा, बाढ़ और तूफान के कारण प्रभावित खाद्यान्नों को अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त हुई क्षतिग्रस्त मात्रा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, का प्रचालित प्रक्रिया के अनुसार "मानव उपभोग के लिए अयोग्य" घोषित करके निपटान कर दिया जाता है।

पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र का सम्मिलित किया जाना

***132. डा० के०बी०आर० चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य विद्यालयों की उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में राजनीति शास्त्र, जो माध्यमिक स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, को मानविकी वर्ग के अन्तर्गत नहीं पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे सभी विद्यालयों में राजनीति शास्त्र का अध्यापन आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों की उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इस विषय को कब तक शामिल करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जितने वैकल्पिक विषय हो सकते हैं उतने प्रदान करने में प्रायः प्रशासनिक और वित्तीय बाधाएं सामने आती हैं। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा

***133. श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने इस आशय का कोई निर्णय लिया है कि सन् 2001 तक प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा 1992 में यथा-संशोधित इसकी कार्य योजना में इससे संबंधित कार्यनीति तथा कार्यक्रय तैयार किए गए हैं। इस संबंध में आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। सरकार की उक्त वचनबद्धता के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के संसाधनों मे लगातार वृद्धि की जा रही है जैसा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत भाग सार्वजनिक व्यय के रूप में बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सा व्यवस्था

***134 श्री रामपाल सिंह :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मवेशियों की चिकित्सा हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष बड़ी संख्या में मवेशी मर जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने पशुधन की क्षति को रोकने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं राज्य का विषय है। पशुपालन/पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय के अंतर्गत राज्य सरकारें मॉनीटरिंग रोक नैदानिक तथा रोक नियंत्रण का कार्य करती हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार खुरपका एवं मुंहपका रोग, पशुप्लेग, क्षय रोग, बूसेल्लोसिस आदि जैसे कतिपय विशेष रोगों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा, रोग-नैदानिक सुविधाओं तथा जैविकीय उत्पादन एककों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता भी दी जाती है। इन पहलुओं को कवर करते हुए, पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता एवं राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना नामक दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

स्मारकों के आस-पास अतिक्रमण

***135. श्री छेदी पासवान :**
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कुछ प्राचीन स्मारकों, भवनों और पवित्र स्थलों की सीमायें, आस-पास की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बढ़ा दी गई हैं, और इस भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बावजूद अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जा सके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने भवनों और स्मारकों से अवैध अतिक्रमण हटाये गये; और

(च) शेष ऐसे स्मारकों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन स्मारकों के आस-पास की प्राइवेट भूमि पर अवैध कब्जा करके उनकी सीमाएं नहीं बढ़ाई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) अवैध कब्जा हटाने और भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की सहायता से कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भवनों और स्मारकों से हटाए गए अवैध कब्जों की राज्यवार संख्या।

दिल्ली राज्य

2

गुजरात

2

हरियाणा

1

हिमाचल प्रदेश

1

कर्नाटक

2

महाराष्ट्र

4

मध्य प्रदेश

2

पांडिचेरी

1

पंजाब

1

उत्तर प्रदेश

5

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

***136. श्री महेश कनोडिया :**
श्री पवन दीवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता के भुगतान में कथित अनियमितताएं बरती जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादक एककों को सीधे ही राजसहायता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त तथा पोटासयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर कृषकों को रियायत की प्रतिपूर्ति कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई बिक्री संबंधी प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर सीधे ही उर्वरक की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इस अवधि के दौरान रियायत के भुगतान में राज्यों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) केवल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है तो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है तथा स्वदेशी यूरिया पर संबंधित निर्माण एककों को उर्वरक विभाग द्वारा राजसहायता दी जाती है। इसी प्राकर, नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त तथा पोटासयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की प्रतिपूर्ति राज्य/संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को की जाती है।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना

***137. श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम बदन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य एवम् उनको प्राप्ति सहित योजना-वार हुई अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य योजना के अंतर्गत योजना-वारं मूल रूप से किये गये प्रावधानों की तुलना में कितनी राशि व्यय होगी?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना 1986 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी में गिरने वाले अभिनिर्धारित नालों के प्रदूषण निवारण का कार्य और इसके साथ ही इसकी जल गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय करना है गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण केन्द्र द्वारा प्रायोजित है इसे पूंजीगत कार्य केन्द्र द्वारा

पूरे किए गए हैं। स्कीमों के कार्यान्वयन और पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की हैं।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत स्कीमों की निगरानी और प्रगति की पुनरीक्षा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं कार्यक्रम में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री भी केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के सदस्य हैं। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की सहायता एक संचालन समिति करती है। गंगा कार्य योजना की प्रगति की पुनरीक्षा के लिए हर तीन महीने बाद इसकी बैठक आयोजित की जाती है।

गंगा कार्य योजना की पुनरीक्षा के दौरान केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण और संचालन समिति क्रमशः सम्बद्ध अनुदेश जारी करती है और स्कीमों के समय पर पूरा करने से संबंधी मामलों और गंगा को प्रदूषित करने वाले स्रोतों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु अपने सुझाव देती है।

कार्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 261 स्कीमों में से अब तक 243 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

गंगा कार्य योजना चरण 1 के अन्तर्गत राज्यवार स्वीकृत और पूरी हो चुकी स्कीमें :

श्रेणी	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल
स्वीकृत स्कीमें				
1. अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	40	17	31	88
2. सीवेज उपचार संयंत्र	13	7	15	35
3. अल्प लागत स्वच्छता	14	7	22	43
4. विधुत शवदाहगृह	3	8	17	28
5. नदी तटाग्र सुविधाएं	8	3	24	35
6. अन्य स्कीमें	28	3	1	32
कुल	106	45	110	261

श्रेणी	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल
पूरी हो चुकी स्कीमें				
1. अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	40	17	26	83
2. सीवेज उपचार संयंत्र	9	3	12	24
3. अल्प लागत स्वच्छता	14	7	22	43
4. विधुत शवदाहगृह	3	8	15	26
5. नदी तटाग्र सुविधाएं	8	3	24	35
6. अन्य स्कीमें	28	3	1	32
कुल	102	41	100	243

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा अनुमोदित 445.29 करोड़ रुपये की संशोधित लागत में से अब तक कार्यों पर कुल 407.69 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। विवरण नीचे दिया गया है :—

गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत किया गया व्यय (1.11.1995 तक)

(करोड़ रुपये)

राज्य	स्वीकृत राशि		किया गया व्यय
	मूल	संशोधित	
उत्तर प्रदेश	114.20	199.95	176.76
बिहार	33.59	57.29	53.51
पश्चिम बंगाल	108.47	188.05	177.42
कुल	256.26	445.29	407.69

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

*138. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) 1995-96 के दौरान ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में भविष्य के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) विवरण-I और II के संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने देश भर में बड़े पैमाने पर ड्रिप सिंचाई के उपयोग को बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के कार्यक्रम में 80,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई की स्थापना और प्रदर्शन करना, स्थान विशिष्ट समुचित विधियों का पैकेज विकसित करना तथा किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

विवरण-I

ड्रिप सिंचाई के तहत लाया गया राज्यवार क्षेत्र

(जून, 1995 तक)

राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	13000
असम	200
गुजरात	5000
हरियाणा	800

1	2
कर्नाटक	14000
केरल	3000
मध्य प्रदेश	1800
महाराष्ट्र	55300
उड़ीसा	800
पंजाब	500
राजस्थान	600
तमिलनाडु	7100
उत्तर प्रदेश	500
पश्चिम बंगाल	100
अन्य	600
कुल :	1,03,300

विवरण-II

1995-96 के लिए ड्रिप सिंचाई हेतु दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	आवंटन	दी गई धनराशि (सितम्बर, 1995 तक)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	762.00	48.61
अरूणाचल प्रदेश	7.00	7.00
असम	28.00	–
बिहार	28.00	–
गोआ	8.00	8.00
गुजरात	235.00	–
हरियाणा	85.00	61.75
हिमाचल प्रदेश	28.00	–
जम्मू और कश्मीर	28.00	28.00
कर्नाटक	765.00	532.79
केरल	280.00	98.63
मध्य प्रदेश	215.00	143.85
महाराष्ट्र	1045.00	542.90
मणिपुर	7.00	7.00
मेघालय	7.00	–
मिजोरम	7.00	7.00
नागालैंड	7.15	–
उड़ीसा	90.20	–
पंजाब	15.00	–
राजस्थान	105.60	–
तमिलनाडु	444.85	384.04
त्रिपुरा	10.24	6.68
उत्तर प्रदेश	215.00	–
पश्चिम बंगाल	34.00	–
सिक्किम	7.00	7.00
दादर और नगर हवेली	3.00	–
दमन और दीव	3.00	–
दिल्ली	3.00	–
लक्षद्वीप	3.00	–
पाण्डिचेरी	4.00	–
कुल	4510.04	1883.25

[हिन्दी]

पर्यावरण और वानिकी संबंधी परियोजनाओं का वित्त पोषण

***139. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित पर्यावरण और वानिकी संबंधी वर्तमान निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए राज्यवार उपलब्ध की गई धनराशि और उस परियोजना के संबंध में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयाधीन हैं और उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दो विवरण-एक विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न राज्यों में चल रही पर्यावरण और वानिकी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला और दूसरा विवरण राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण-I

क्र०सं०	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	भारत सरकार के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	वानिकी विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	1992-97	39 मिलियन अमरीकी डालर	सितम्बर, 1995 तक 16.86 मिलियन अमरीकी डालर वितरित किए गए।
2.	वानिकी विकास परियोजना, महाराष्ट्र	विश्व बैंक	1992-98	142 मिलियन अमरीकी डालर	सितम्बर, 1995 तक 25.036 मिलियन अमरीकी डालर वितरित किए गए
3.	अरावली हिल्स वनीकरण परियोजना, हरियाणा	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	1990-98	23.30 मिलियन यूरोपीय करेंसी यूनिट	अक्टूबर, 1995 तक 12.796 मिलियन यूरोपीय करेंसी यूनिट वितरित किए गए।
4.	वानिकी परियोजना, आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	1994-2000	80.1 मिलियन अमरीकी डालर	सितम्बर, 95 तक 6.36 मिलियन अमरीकी डालर वितरित किए गए।
5.	वानिकी परियेाजना, मध्य प्रदेश	विश्व बैंक	1995-99	67.3 मिलियन अमरीकी डालर	परियोजना 29.9.95 से चालू हो गई।
6.	सामाजिक वानिकी परियोजना, तमिलनाडु	स्वडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सोडा)	1988-93	85.40 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 136.98 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
7.	डुंगरपुर समेकित परती भूमि विकास परियोजना, डुंगरपुर	सीडा	1992-97	28.14 करोड़ रुपए	जून, 1995 तक 4.48 करोड़ रु० खर्च किए गए।
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान के किनारे वनीकरण	ओईसीएफ, जापान	1990-95	107.50 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 48.28 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
9.	अरावली पहाड़ियां, राजस्थान का वनीकरण	आईसीएफ, जापान	1992-97	166.69 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 91.55 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं।-
10.	पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरण परियोजना, कर्नाटक	ओडीए, इंगलैंड	1992-97	84.20 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 28.14 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
11.	चेंजर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए वानिकी और पारि-विकास परियोजना	एफ आर जी	1994-99	18.70 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 4.29 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
12.	वानिकी परियोजना (कुल्लु मंडी), हिमाचल प्रदेश	ओ डी ए, इंगलैंड	1994-97	13.92 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 1.77 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
13.	वानिकी विकास परियोजना, राजस्थान	ओईसीएफ, जापान	1995-2000	139.18 करोड़ रुपए	परियोजना हाल ही में चलाई गई है।
14.	सामाजिक वानिकी परियोजना, उड़ीसा	सीडा	1988-93	78.34 करोड़ रुपए	जून, 95 तक 126.88 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
15.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-I	विश्व बैंक	1991-96	260 मिलियन अमरीकी डालर (155.6 मिलियन	इस परियोजना के घटक साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़े

				अमरीकी डालर का ऋण) और 108 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रतिरूप निधि की व्यवस्था राज्य/केन्द्र सरकार/वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाएगी)	और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ऋण सहायता देना, उत्तर प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाना, सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और परियोजनाओं को प्रदर्शित करना है। 100 मिलियन अमरीकी डालर वितरित किए गए हैं।
16.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-2	विश्व बैंक	1995-2001	330 मिलियन अमरीकी डालर (168 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक से और 162 मिलियन अमरीकी डालर राज्य व केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं से)	इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाना और प्रदूषण उपशमन के लिए अलग-अलग फर्मों को निवेश वित्तीय सं० और तकनीकी सहायता देना है।
17.	गंगा कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रदूषण का उपशमन	विश्व बैंक	–	15 मिलियन एसडीआर एस	38 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सहायता के तहत हरिद्वार, कानपुर और इलाहाबाद में 3 जलमल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। पश्चिम बंगाल में 14 मुख्य पम्पन केन्द्र और लिफ्टिंग स्टेशन निर्माणाधीन हैं।
18.	गंगा कार्य योजना के तहत कानपुर मिर्जापुर भार-डच समन्वित सफाई परियोजना	नीदरलैंड	1987-95	50 मिलियन डीएफएल	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
19.	यमुना कार्य योजना	ओईसीएफ जापान	1993-98	17.77 मिलियन वाई	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
20.	गंगा कार्य योजना के तहत कानपुर-मिर्जापुर में संस्थागत और सामुदायिक विकास परियोजना	नीदरलैंड	–	3.6 मिलियन डीएफएल	सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
21.	यमुना और गोमती कार्य योजना के लिए तैयार यू ए एस बी संयंत्रों के हेतु तत्काल तकनीक सहायता	नीदरलैंड	–	0.26 एमडीईएल डीएफ एल	सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
22.	आई सी टैनरीज-II, उत्तर प्रदेश	नीदरलैंड	–	2.8 एमडीई डीएफएल	नीदरलैंड सरकार ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।
23.	वायु प्रदूषण माडलिंग पर उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए प्रशिक्षण	नार्वे	1992-94	एनओके 10.5 एम	9 मिलियन रुपयों का खर्च

1	2	3	4	5	6
24.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	नार्वे	1992-96	एनओके 40 एम	39 मिलियन रुपयों का खर्च
25.	उ०प्र० और उड़ीसा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रदूषण पर प्रशिक्षण	नार्वे	1992-94	एनओके 1 एम	5 मिलियन रुपयों का खर्च
26.	पर्यावरणी वृहत योजना कर्नाटक	डेनमार्क	1993-96	डीकेके 27.66 एम	17.517 मिलियन डीकेके का खर्च
27.	तमिलनाडु में पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान	डेनमार्क	1993-96	9.96 एम०उी०एम०	1.90 एम डी एम का खर्च
28.	कर्नाटक में पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान	डेनमार्क	1993-96	9.96 एम० डीएम	1.09 एम डी एम का खर्च
29.	केरल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदृढ़ीकरण	नीदरलैंड	1994-97	डी एफ एल 4.8 एम	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
30.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब, राजस्थान, म०प्र०, कर्नाटक, असम, हरियाणा, गुजरात और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाना।	जर्मनी	–	डी एम 5.5 मिलियन	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
31.	हैदराबाद हरित पट्टी परियोजना	नीदरलैंड	1994-99	डी एफ एल 4.824 एम	परियोजना कार्यान्वित की जा रही हे।
32.	हिमाचल प्रदेश पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	–	12 एमएनओके	2.5 एनएनओके वितरित किए गए।
33.	कलकत्ता पर्यावरणीय प्रबंध परियोजना	ओडीए, यू के	1995-96	2.2 एम पौंड	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-2

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से विदेशी सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही परियोजनायें

क्र०सं०	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	कुल लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बिहार वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	157.88 करोड़	विश्व बैंक द्वारा पूर्ण मूल्यांकित
2.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	204 करोड़	जनवरी, 1996 में मूल्याकंन
3.	केरल वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	179.68 करोड़	अप्रैल, 1996 में मूल्यांकन
4.	गुजरात वानिकी परियोजना	ओईसीएफ जापान	608 करोड़	दाता एजेंसी परियोजना को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।
5.	उड़ीसा वानिकी परियोजना	सीडा	157.57 करोड़	परियोजना सीडा के विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
6.	शिमला विकास परियोजना, हिमाचल प्रदेश	सीडा	55.63 करोड़	दाता एजेंसी की प्रस्तावित
7.	वन एवं वन्यजीव परियोजना, हिमाचल प्रदेश	ओईसीएफ, जापान	178.94 करोड़	-वही-
8.	वानिकी और पर्यावरण परियोजना, कर्नाटक	ओईसीएफ, जापान	264.31 करोड़	-वही-
9.	तमिलनाडु के वनों का संरक्षण और विकास	ओईसीएफ, जापान	463.20 करोड़	-वही-
10.	पंजाब सामाजिक वानिकी परियोजना	ओईसीएफ, जापान	218.32 करोड़	-वही-
11.	गोमती कार्य योजना	ओडीए, यू०के०	30 एम०	ओडीए ने इस परियोजना को सहायता देने के लिए सहमति दे दी है।
12.	कृष्णा नदी की नदी बेसिन अध्ययन	ओईसीएफ	–	प्रस्ताव जेओईसीएफ के विचाराधीन है।
13.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, परियोजना पश्चिम बंगाल	ओईसीएफ	39 करोड़	करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
14.	औद्योगिक परामर्श, कर्नाटक	नीदरलैंड	1.4 मिलियन डीएफएल	दाता एजेंसी को प्रस्तावित
15.	कल्लड ईएपी, केरल	नीदरलैंड	4 मिलियन डीएफएल	दाता एजेंसी को प्रस्तावित
16.	औद्योगिक प्रदूषण परियोजना, म०प्र०	एनओआरडीआईसी	41.6 एम डालर	एनओआरडीआईसी के पास लम्बित।
17.	उड़ीसा में चिल्का सील का पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रबंध।	ईईसी	60 करोड़	दाता एजेंसी को प्रस्तावित

[अनुवाद]

खेती योग्य भूमि

*140. **श्री रामटहल चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाने के कारण खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल का औसत क्षेत्र कम हो गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(ग) क्या सराकर के पास भविष्य में खेती योग्य भूमि के और विभाजन को रोकने के लिए कोई योजना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में कृषि भूमि में विभाजन पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। लेकिन, भारत सरकार कृषि जोतों की चकबन्दी और विभाजन निवारण के मामले पर ध्यान देती रही है।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में जोतों के विभाजन के निवारण हेतु कानून मौजूद हैं। 16 मई, 1985 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की थी कि जिन राज्यों में कानूनी प्रावधान नहीं है वे इनकी व्यवस्था करें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए केन्द्र

1293. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोमती कार्य योजना

1294. **श्री अमरपाल सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना के एक भाग के रूप में गोमती नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए ब्रिटेन ने कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यू०के० गंगा कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। यह सहायता दो चरणों में प्रदान की जाएगी। पहले चरण के अन्तर्गत वर्तमान सीवरों के सर्वेक्षण, नक्शे तैयार करने एवं सफाई, नालों के दिशा-परिवर्तन से संबंधित कार्यों और पूंजीगत कार्यों के संबंध में एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करने हेतु 4.02 मिलियन पौंड का आवंटन किया गया। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दूसरे चरण के संबंध में निर्णय लेगा।

उपभोक्ता वस्तुओं पर लाभ की सीमा

1295. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादकों द्वारा ली जाने वाली लाभ की निर्धारित सीमा संबंधी मामला सरकार द्वारा एक पैनल को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पहले से पैकशुदा रूप में बेची जाने वाली वस्तुओं पर विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले लाभ को उचित सीमाएं निर्धारित करने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता का मामला मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को भेजा गया है। समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1995 के अंत तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

"वर्ली-बान्द्रा सम्पर्क परियोजना"

1296. **श्री राम नाईक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ली-बान्द्रा सम्पर्क परियोजना के मामलों में मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मुम्बई से प्राप्त पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन विवरण मंत्रालय में काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिलने का संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) नरीमन प्वाइन्ट से वर्ली तक वेस्टर्न फ्री-वे की संपूर्ण लम्बाई की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जो विशेषज्ञ समिति द्वारा मांगी गई थी, उसे मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय परियोजना प्रस्ताविक से अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरों की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सर्कस कम्पनियां

1297. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सर्कस कम्पनियां सरकार द्वारा कुछ विशेष पशुओं के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 2 मार्च, 1991 की अधिसूचना के अनुसार भालुओं, बाघों, बंदरों, तेन्दुओं और कुत्तों के प्रशिक्षण या प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारतीय सर्कस फैडरेशन ने इसको दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना के परिचालन पर स्थगन आदेश दिया है। यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

खेल गतिविधियों के लिए अनुदान

1298. **श्री पी०सी० थामस :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेल परिसरों के निर्माण और खेल संबंधी अन्य गतिविधियों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों में स्वयं सेवी संगठनों को कितनी सहायक अनुदान राशि दी गई; और

(ख) इन स्वयं-सेवी संगठनों के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के नाम, अनुमोदित खेल परियोजनाएं और दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से आज की तारीख तक स्वीकृत और जारी किए गए अनुदान दर्शाए गए हैं।

विवरण

राज्य/वर्ष		स्वैच्छिक संगठन का नाम	अनुमोदित परियोजना	स्वीकृति केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)	
1		2	3	4	5	
हरियाणा						
1993-94			- शून्य -			
1994-95						
1995-96	1.	संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल, यमुना नगर	खेल मैदान	0.63	0.63	(अंतिम किश्त)
कर्नाटक						
1993-94	1.	गोडली हाई स्कूल, कोडागू जिला	खेल मैदान	0.69	0.62	(प्रथम)
	2.	जिला वोकालीगेरा संघ, शिमोगा जिला	बहुउद्देशीय हाल	4.25	3.825	(प्रथम)
	3.	श्री नीलकंठेश्वर विद्या वर्धक संस्था, वेलगांव जिला	बहुउद्देशीय हाल	2.63	2.35	(प्रथम)
	4.	डा० बी०आर० अम्बेडकर मिशन, शिमोगा	खुला स्टेडियम	3.97	1.97	(अंतिम)
	5.	जनता हाई स्कूल, सागर	खेल मैदान	0.90	0.81	(प्रथम)
	6.	श्री शारदा सोसायटी, दक्षिण कन्नड़	खेल मैदान	0.25	0.25	(अंतिम)
1994-95	7.	कंपोजिट स्पोर्ट्स हाई स्कूल, चन्दगी बेलगांव	इंडोर स्टेडियम	5.00	0.50	(अंतिम)
	8.	अमररुधुर शैक्षिक सोसायटी, तुमकुर	बहुउद्देशीय हाल	3.05	2.745	(प्रथम)
	9.	आदिचुनचुनगेरी शिक्षण ट्रस्ट, हिरकोडीगी, चिकमंगलूर	खेल मैदान	0.675	0.6075	(प्रथम)
	10.	श्री जयंती विद्या वर्धक संघ, वनवासी, उत्तर कन्नड़	खेल मैदान	0.90	0.81	(प्रथम)
	11.	श्री नीलकंठेश्वर विद्या वर्धक संघ, बेलहोगांल, बेलगांव	बहुउद्देशीय हाल	2.63	0.28	(अंतिम)
1995-96	12.	उदय हाई स्कूल, बेटागिरी, कोडगू	खेल मैदरन	1.00	1.00	(अंतिम)
	13.	कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन, बंगलौर	इंडोर स्टेडियम	35.00	31.50	(प्रथम)
	14.	निर्मल हाई स्कूल, दक्षिण कन्नड़	खेल मैदान	2.00	1.80	(प्रथम)
केरल						
1993-94	1.	ए०के०जे०एम० हाई स्कूल कांजीरापल्ली, कोट्टायम जिला	इंडोर स्टेडियम	8.85	7.965	(प्रथम)
	2.	श्री चेत्तूर शंकरन नायर मैमोरियल ट्रस्ट, जिला पालघाट	इंडोर स्टेडियम	2.90	1.45	(प्रथम)
	3.	आकापुथन हाई स्कूल समिति, जिला पालघाट	खेल मैदान	0.5	0.25	(अंतिम)

1	2	3	4	5
	4. अनाथालय हाई स्कूल, वायनाड	खेल मैदान	0.5	0.25 (अंतिम)
	5. सैंट एंथनी हाई स्कूल, वेलीकुलम, कोट्टायम जिला	खेल मैदान	0.5	0.25 (अंतिम)
	6. सैंट मेरी हाई स्कूल, टीकोय, कोट्टायम जिला	खेल मैदान	0.5	0.25 (अंतिम)
	7. श्री नारायण कालेज, कोल्लम	खेल मैदान	0.32	0.16 (अंतिम)
	8. सैंट जॉन हाई स्कूल, पुलियाथानम, एर्नाकुलम	खेल मैदान	0.50	0.25 (अंतिम)
	9. माठनगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कोचीन	खेल केन्द्र	1.37	0.69 (अंतिम)
	10. ए०के०एम०यू०पी० स्कूल कोथेरा, इदुक्की	स्टेडियम	5.00	2.50 (प्रथम)
	11. एम०ए० जोहर हाई स्कूल, कोझीकोड	स्टेडियम	1.35	0.68 (अंतिम)
	12. सैंट जेवियर हाई स्कूल, चेमानाउनर, इदुक्की	स्टेडियम	0.875	0.4375 (अंतिम)
	13. सैंट सेबेसत्तियन यू०पी० स्कूल, नाडमकोडाम, इदुक्की	खेल मैदान	0.50	0.25 (अंतिम)
	14. सैंट अगस्तीन हाई स्कूल, नेल्लीकुट्टी कन्नूर	स्टेडियम	1.20	0.60 (अंतिम)
1994-95	15. सैंट जोसफ हाई स्कूल, कुंवापल्ली, कोट्टायम	मिनी स्टेडियम	1.08	0.54 (अंतिम)
	16. कारमल खेल परिसर, चालकुडी, त्रिचूर	खेल परिसर	5.00	0.50 (अंतिम)
	17. बी०यू०जे०एम० हाई स्कूल, कन्नानूर	स्टेडियम	1.12	0.56 (अंतिम)
	18. पी०ई०एम० माध्यमिक स्कूल, तिरुवंचूर, कोट्टायम	खेल मैदान	0.42	0.378 (प्रथम)
	19. सैंट एंथनी पब्लिक स्कूल	खेल मैदान	0.75	0.7 (अंतिम)
1995-96	20. दीपा हाई स्कूल, इदुक्की	स्टेडियम	0.60	0.30 (अंतिम)
	21. ए०के०जे०एम० हाई स्कूल, कोट्टायम	खेल मैदान	8.85	0.885 (अंतिम)
मध्य प्रदेश				
1993-94		- शून्य-		
1994-95	1. इंडोर टेबल टेनिस ट्रस्ट, इंदोर	इंडोर स्टेडियम	30.00	10.00 (अंतिम)
1995-96		- शून्य-		
महाराष्ट्र				
1993-94	1. प्रियदर्शनी क्रीड़ा प्रतिष्ठान, धनकवाड, पुणे	जिम्नाजियम हाल	4.98	4.48
	2. महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन, मुंबई	निशानेबाजी रैंज	0.5	25,000 (अंतिम)
	3. इंजीनियर तथा वास्तुकला एसोसिएशन, जिला संगली	बहुद्देशीय हाल	5.00	4.50 (प्रथम)

1	2	3	4	5
	4. आजाद व्यायाम मंडल, सांगली	इंडोर स्टेडियम	5.00	4.50 (प्रथम)
	5. नगर नागसेन खेल क्लब, नागपुर	जिम्नाजियम हाल	0.68	.14 (अंतिम)
	6. अकोला खेल परिसर, अकोला	तरणताल	30.28	17.00 (प्रथम)
1994-95	7. अकोला खेल परिसर, अकोला	तरणताल	38.28	10.00 (द्वितीय)
1995-96	8. शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव	बहुउद्देशीय हाल	4.425	0.425 (अंतिम)
	9. रयात शिक्षण संस्था, पुणे	बहुउद्देशीय हाल	3.31	2.98 (प्रथम)
	10. सहजीवन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं शैक्षिक केन्द्र, पुणे	इंडोर स्टेडियम	10.00	9.00 (प्रथम)
	11. कृष्णा घाटी उद्योग एवं वाणिज्य मंडल, संगली	इंडोर स्टेडियम	20.00	20.00 (अंतिम)
	12. शिव स्मारक समिति, पुणे	इंडोर स्टेडियम	15.65	14.00 (प्रथम)
	13. नगर युवक शिक्षण संस्था, नागपुर	इंडोर स्टेडियम	20.00	18.00 (प्रथम)
	14. सहयाद्री शिक्षण संस्था, सावरडे, रत्नागिरि	इंडोर स्टेडियम	30.00	27.00 (प्रथम)
	15. हनुमान व्यायामशाला क्रीड़ा मंडल, यवतमाल	तरणताल	20.00	10.00 (प्रथम)
उड़ीसा				
1993-94	1. बलियांथा हाई स्कूल, पुरी	खेल मैदान	1.00	0.50 (अंतिम)
1994-95	2. चिटालो महाविद्यालय, चिटालो, जाजपुर	खेल मैदान	0.50	0.45 (प्रथम)
	3. आर्टाट्रान विद्यानिकेतन, पुरी	खेल मैदान	0.50	0.45 (प्रथम)
राजस्थान				
1993-94	1. श्री जवाहर जैन शिक्षण संस्थान, उदयपुर	बहुउद्देशीय हाल	5.50	4.95 (प्रथम)
1994-95		-शून्य-		
1995-96	2. बाल हितकारी समिति, कोटा	आउटडोर स्टेडियम	10.00	5.00 (प्रथम)
तमिलनाडु				
1993-94	1. वाई०एम०सी०ए०, तूतीकोरिन	इंडोर स्टेडियम	1.50	0.75 (प्रथम)
1994-95	2. भारती एम०एच्र० सैकेण्डरी स्कूल, कोयम्बतूर	बास्केटबाल कोर्ट	0.41965	0.37770 (प्रथम)
1995-96	3. रेनुगा हिन्दू हाई स्कूल पुडुपट्टी, कामराजार	खेल मैदान	3.00	2.70 (प्रथम)
	4. एस०के०टी० गांधी रायावरम, पुडुकोट्टाई	खेल मैदान	0.4175	0.4175 (अंतिम)
उत्तर प्रदेश				
1993-94	1. उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, लखनऊ	टेबल टैनिस हाल	5.00	4.50 (प्रथम

1	2	3	4	5
1994-95		-शून्य-		
1995-96				
पश्चिम बंगाल				
1993-94	1. राम नगर हाई स्कूल, रामनगर, बांकुरा	खेल मैदान	0.37500	0.18500 (अंतिम)
1994-95	2. नंदन मिलोन बीथी, 24 परगना	जिम्नाजियम हाल	5.50	4.95 (प्रथम)
1995-96	3. मोहर ब्रह्ममयी हाई स्कूल, मिदनापुर	जिम्नाजियम हाल	1.14	1.00 (प्रथम)
	4. बसंतापुर झारेश्वर बानी भवन, उचितपुर	स्टेडियम	4.93	4.437 (प्रथम)
	5. खलस्यूली हाई स्कूल, मिदनापुर	खेल मैदान	0.46432	0.42790 (प्रथम)

महिला आयोग

1299. श्री दाऊदयाल जोशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला आयोगों और उनकी उप-समितियों में विक्लांग महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्या है; और

(ख) डीजिंग में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत से गए शिष्टमण्डल में ऐसे प्रतिनिधयों की संख्या कितनी थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (विमला वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग में अथवा इसकी समितियों में बाल विक्लांगता के बक्त कोई महिला सदस्य नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3(2) के अन्तर्गत उनकी पात्रता के आधार पर की जाती है। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में भारत की ओर से गए सरकारी शिष्टमण्डल का कोई भी सदस्य बाल विक्लांगता से ग्रस्त नहीं था।

पशमीना उत्पादन

1300. श्री इन्द्रकरण रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पशमीना का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा खरीद मूल्य कम दिए जाने के कारण उत्पादनकर्त्ता अपने उत्पादों की बिक्री पड़ोसी देशों को कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मूल्यवान उत्पाद को अन्य देशों में जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"स्ट्राबेरी" का उत्पादन

1301. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या -"स्ट्राबेरी" के उत्पादन में निर्यात हेतु वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं तथा क्या योजना तैयार की है;

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) "स्ट्राबेरी" के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार "समेकित फल विकास" के अन्तर्गत स्ट्राबेरी सहित फलदार फसलों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्रियों के उत्पादन के लिये सहायता दे रहा है। भारत सरकार, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड के माध्यम से शीघ्र खराब होने वाले विभिन्न बागवानी उत्पादों के लिए आवश्यक फसलोत्तर बुनियादी संरचनाओं तथा विपणन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये उदार ऋण के रूप में सहायता दे रही है। जिसके अंतर्गत स्ट्राबेरी की समेकित परियोजना पर विचार किया जा रहा है। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) भाड़ा-सब्सीडी के रूप में सहायता दे रहा है। सरकार निर्यात की क्षमता वाली नवीनतम विकसित किस्मों की रोपण सामग्रियों का बहुतायत में आयात कर रही है। स्ट्राबेरी की खेती में ड्रिप सिंचाई तथा प्लास्टिक "मल्च" का प्रयोग करने के लिए भी सहायता दी जा रही है।

त्यौहारों के लिए चीनी का कोटा

1302. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष दीवाली त्यौहार के अवसर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन अवसरों में से प्रत्येक बार चंडीगढ़ के लिए ऐसी जारी की गई कोटे की क्या मात्रा है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पसंद

के महीने/महीनों में प्रतिवर्ष एक लाख टन लेवी चीनी (मासिक लेवी चीनी कोटे के अतिरिक्त) त्यौहार कोटे के रूप में आवंटित करती है। चण्डीगढ़ का वार्षिक त्यौहार कोटा 112 मी०टन है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सितम्बर तथा अक्टूबर महीनों में आवंटित किया जा रहा है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1303. श्री कुन्जी लाल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1995 के दौरान नई पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कोई शिकायत और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) राज्य सरकार को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अभी तक उपलब्ध करायी गई वस्तुओं का मात्रावार ब्यौरा क्या हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली राजस्थान की कुल अनुमानित जनसंख्या (1991 की जनगणना पर आधारित) 2,55,01,078 है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचलानात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है तथा सभी संबंधित मामलों, जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर वितरण करना, पात्रता के मापदण्ड बनाना, उचित दर दुकानें खोलना, राशन कार्ड जारी करना इत्यादि पर कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करती है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सुझावों पर भी चर्चा की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिलावार नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की सलाह दी थी, जहां उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की अनुपलब्धता तथा उचित दर दुकानदारों और बेईमान व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों की शिकायत कर सकें। केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाचार और अपवर्तन के मामलों को निपटाने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम और नियंत्रक आदेशों के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शक्तियों प्रत्यायोजित की हैं। सुझावों पर, शिकायतों के प्रभावी तथा शीघ्र निवारण हेतु साधारणतः जिला/स्थानीय प्रशासनों द्वारा कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सरकार इन शिकायतों के ब्यौरे नहीं रखती है।

(घ) 1993-94 और 1994-95 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवंटित वस्तुओं के मात्रावार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

हजार आंकड़े मी० टन में

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल	सोफ्ट कोक
1993-94	9368.60	12218.70	4299.15	44.91	8577.11	1966.30
1994-95	10587.03	13107.53	4108.18	137.93	8788.03	1037.02

गोदामों का निर्माण

1304. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम के मरारीकुलम स्थिति गोदाम के निर्माण के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) : केरल के मरारीकुलम केन्द्र को वर्ष 1996-97 के लिए 10,000 मीटरी टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक योजना प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

वाह और सांगद सिंचाई परियोजनाएं

1305. क्या शिवराज सिंह चौहान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार का वाहन और सांगद सिंचाई परियोजनाओं को, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लंबित पड़ा है, स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कब तक स्वीकृति दिए जाने का संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 30 जून 1988 को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विदिशा जिले में वाह सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव को नामंजूर किया गया था। इस प्रस्ताव को परियोजना के लिए अपर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम और प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर नामंजूर किया गया है। बाद में, प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर 20.2.95 को राज्य सरकार से कतिपय आवश्यक ब्यौरे मांगे गए जो कि अभी प्राप्त होने हैं। पूर्ण ब्यौरे न होने से परियोजना पर निर्णय लेने हेतु पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। सांगद सिंचाई परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पाम ऑयल

1306. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषरूप से गुजरात में पाम ऑयल के लदान के लिए आवंटित किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लदान के स्थान के पाम ऑयल की प्रति मीट्रिक टन दुलाई पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से दुलाई के प्रभार में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम के सुपुर्दगी स्थलों की सूची, जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आयातित खाद्य तेल उठाने हेतु उपलब्ध कराया जाता है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वितरण केन्द्रों तक राज्य व्यापार निगम के भंडारण स्थल से माल की दुलाई हेतु सड़क भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति की दरें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य सरकारों ने राज्य व्यापार निगम के मुंबई तथा गुवाहाटी से आयातित पामोलीन को उठाने हेतु क्रमशः 1800 रुपए प्रति मी०टन तथा 1200 रुपए प्रति मी०टन की दर से वास्तविक परिवहन प्रभार की प्रतिपूर्ति करने की मांग की है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित पामोलीन की आपूर्ति पर राजसहायता दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार के खाद्य तेल के लेखों में भारी कमी है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सड़क भाड़े की मौजूदा दरों को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

विवरण

1.9.1984 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सड़क भाड़ा राजसहायता की दरें

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य व्यापार निगम का सुपुर्दगी स्थल	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य वितरण केन्द्र के बीच दूरी (कि०मी०)	सुपुर्दगी केन्द्र तथा मुख्य वितरण केन्द्र	राजसहायता की दर (रु० प्रति मी० टन)
1	2	3	4	5	6
थोक में तेल की सुपुर्दगी					
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजाग	हैदराबाद	637	355
		मुंबई	हैदराबाद	731	350
2.	कर्नाटक	मंगलौर	शिमोगा	195	120
		मद्रास	" (31.3.86 तक)	600	315
		मुंबई	"	799	380
		मंगलौर	बंगलौर	360	190
		मद्रास	" (1.4.86 से)	330	175
3.	केरल	मंगलौर	कोचीन	402	210
		मद्रास	कोचीन	700	370
4.	तमिलनाडु	मद्रास	मदुरई	450	235
5.	लक्षद्वीप	मद्रास	कवराती (सड़क + समुद्री)		435
		मंगलौर	कवराती (सड़क + समुद्री)		275
6.	पांडिचेरी	मद्रास	पांडिचेरी	162	100
7.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	मद्रास	पोर्ट ब्लेयर (समुद्री मार्ग)		—
		कलकत्ता	पोर्ट ब्लैयर (समुद्री मार्ग)		530
8.	गुजरात	कांडला	बड़ौदा	435	145
		मुंबई	बड़ौदा	441	210
डिब्बाबन्द तेल की सुपुर्दगी					
9.	चंडीगढ़	लुधियाना	चंडीगढ़	99	35
		अमृतसर	चंडीगढ़	225	70
		दिल्ली, साहिबाबाद फरीदाबाद, गुड़गांव	चंडीगढ़	248	80

1	2	3	4	5	6
10.	दादरा व नगर हवेली	मुंबई	सिलवासा	198	90
11.	गोवा, दमण, दीव	मुंबई	मारगोवा	630	250
12.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	लागू नहीं	
13.	हरियाणा	करनाल	करनाल	लागू नहीं	
		दिल्ली इत्यादि	करनाल	121	45
14.	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	लागू नहीं	
		दिल्ली इत्यादि	लुधियाना	305	100
15.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	लागू नहीं	
		दिल्ली इत्यादि	जयपुर	261	85
16.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	साहिबाबाद	लागू नहीं	
		लखनऊ, कानपुर	लखनऊ, कानपुर		
17.	मध्य प्रदेश	इन्दौर, कटनी	इन्दौर, कटनी	लागू नहीं	
		रायपुर	रायपुर		
18.	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	लागू नहीं	
19.	बिहार	पटना	पटना	लागू नहीं	
20.	उड़ीसा	कटक	कटक	लागू नहीं	
21.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, आसनसोल सिलीगुड़ी	मिदनापुर	लागू नहीं	
22.	हिमाचल प्रदेश	अमृतसर	शिमला	337	180
		लुधियाना	शिमला	198	125
		दिल्ली इत्यादि	शिमला	347	210
23.	जम्मू और कश्मीर	लुधियाना	श्रीनगर	571	345
		अमृतसर	श्रीनगर	520	310
		दिल्ली इत्यादि	श्रीनगर	890	445
24.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी	लागू नहीं	
		सिलीगुड़ी	गुवाहाटी	536	160
		कलकत्ता	गुवाहाटी	1062	320
25.	*अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	इटानगर	265	225
		सिलीगुड़ी	इटानगर	755	340
		कलकत्ता	इटानगर	1380	620
26.	*मणिपुर	गुवाहाटी	इम्फाल	474	400
		सिलीगुड़ी	इम्फाल	1009	530
		कलकत्ता	इम्फाल	1536	805
		डीमापुर	इम्फाल	216	184
27.	*मिजोरम	सिलचर	एज्वाल	175	275
		गुवाहाटी	(31.10.86 तक)	535	695
		सिल्चर	कौल कुलह	318	415
		गुवाहाटी	(1.11.86 से)	661	860
28.	*मेघालय	गुवाहाटी	शिलांग	105	145
		सिलीगुड़ी	शिलांग	640	335
		कलकत्ता	शिलांग	1157	605

1	2	3	4	5	6
29.	*नागालैण्ड	गुवाहाटी	कोहिमा	351	300
		सिलीगुड़ी	कोहिमा	886	465
		कलकत्ता	कोहिमा	1413	740
30.	*त्रिपुरा	गुवाहाटी	अगरतला	632	535
		सिलीगुड़ी	अगरतला	1177	620
		कलकत्ता	अगरतला	1697	890
		सिलचर (20.2.87 से)	अगरतला	294	250
31.	सिक्किम	सिलीगुड़ी	गंगटोक	114	115
		कलकत्ता	गंगटोक	749	300
		गुवाहाटी	गंगटोक	650	275

क्रम सं० 22, 23 और 31 हेतु संशोधित दरें केवल 1.2.87 से लागू की गई हैं।

*असम को छोड़कर पहाड़ी राज्यों के लिए 1.12.90 से 500/- रु० प्रति मी० टन की और राजसहायता की प्रतिपूर्ति की गई है।

सेन्ट्रल स्टेट फार्मस

1307. श्री एन०जे० राठवा :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेंट्रल स्टेट फार्मस के अन्तर्गत फार्मवार तथा राज्यवार कुल कितना भूमिक्षेत्र है;

(ख) उनमें से कितने फार्म जनजातीय क्षेत्र में हैं;

(ग) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों की खेती के लिए फार्मवार कितने भूमिक्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन फार्मों में कितनी मात्रा में बीजों का फार्मवार उत्पादन किया गया है;

(ङ) इन फार्मों में वर्ष 1995-96 के दौरान बीजों का कितनी मात्रा में उत्पादन किये जाने की संभावना है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन फार्मों पर कितना व्यय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम लि० के फार्मवार क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	केन्द्रीय राज्य फार्म	कुल भूमि क्षेत्र (हैक्टे० में)
1	2	3
1.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	6293
2.	सरदारगढ़ (राजस्थान)	4548
3.	जैतसर (राजस्थान)	5393
4.	हिसार (हरियाणा)	2715
5.	लाधोवाल (पंजाब)	1163
6.	बहराइच (उ०प्र०)	3828
7.	रायबरेली (उ०प्र०)	191
8.	रायचूर (कर्नाटक)	2960
9.	चेंगम (तमिलनाडु)	3904
10.	अरालम (केरल)	3060
11.	कोकिलाबाड़ी (असम)	1986
12.	बारपेटा (असम)	100
	कुल:	36141

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में 4 फार्म अर्थात केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच (उ०प्र०), केन्द्रीय राज्य फार्म, अरलाम (केरल), केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी (असम) तथा केन्द्रीय राज्य फार्म, बरपेटा (असम) हैं।

(ग) 1994-95 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों की खेती के लिये उपयोग में लाई गई भूमि का फार्मवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	केन्द्रीय राज्य फार्म	बुवाई क्षेत्र (हैक्टे० में)
1	2	3
1.	सूरतगढ़	4730
2.	सरदारगढ़	3365
3.	जैतसर	1997
4.	हिसार	1845
5.	लाधोवाल	907
6.	बहराइच	1988
7.	रायबरेली	143

1	2	3
8.	रायचूर	373
9.	चैंनगम	65
10.	कोकिलाबाड़ी	953
11.	बारपेटा	88
	कुल	16454

(घ) 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्मों में उत्पादित बीज की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ङ) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्मों में उत्पादय किये जाने वाले बीज की सम्भावित मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	केन्द्रीय राज्य फार्म	मात्रा क्विंटल में
1.	सूरतगढ़	68139
2.	सरदारगढ़	37750
3.	जैतसर	26129
4.	हिसार	47321
5.	लाढोवाल	19992
6.	बहराइच	36675
7.	रायबरेली	1754
8.	रायचूर	10825
9.	चैंनगम	459
10.	कोकिलाबाड़ी	19470
11.	बारपेटा	160
	कुल	268682

(च) केन्द्रीय राज्य फार्म पर किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये)

क्र०सं०	केन्द्रीय राज्य फार्म	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	सूरतगढ़	781.76	615.11	727.11
2.	सरदारगढ़	383.17	404.45	437.87
3.	जैतसर	302.50	316.19	325.60
4.	हिसार	386.36	388.69	446.69
5.	लाढोवाल	168.10	174.82	185.93
6.	बहराइच	411.07	437.73	528.68
7.	रायबरेली	38.97	44.48	45.82
8.	रायचूर	183.52	178.72	194.59
9.	चैंनगम	233.71	229.27	236.99
10.	अरालम	632.20	437.73	535.73
11.	कोकिलाबाड़ी	146.88	142.90	151.75
12.	बारपेटा	14.44	13.15	16.16
13.	भूमि विकास एकक (सूरतगढ़)	34.86	41.85	31.63
	कुल	3637.54	3425.09	3864.55

विवरण

क्र०सं०	केन्द्रीय राज्य फार्म	खाद्यान्नों का बीज उत्पादन (क्विंटल में)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	सूरतगढ़	31156	27469	43771
2.	सरदारगढ़	16012	16796	25247
3.	जैतसर	7562	5802	10835
4.	हिसार	23498	26833	32270
5.	लाढोवाल	13457	12247	15873
6.	बहराइच	24035	29516	33726
7.	रायबरेली	1967	1267	800
8.	रायचूर	650	1134	2593
9.	चैंनगम	245	454	283
10.	कोकिलाबाड़ी	14545	16207	12531
11.	बारपेटा	553	390	290
	कुल	133680	138115	178219

[अनुवाद]

खो-खो चैम्पियनशिप

1308. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1995 में कलकत्ते में प्रथम एशियाई खो-खो चैम्पियनशिप आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह भारतीय ओलम्पिक संघ का काम है और संबंधित परिसंघों को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आयोडीन युक्त नमक की बिक्री

1309. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खदरा विक्रय केंद्रों द्वारा आयोडीन युक्त नमक की बिक्री का प्रावधान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रावधान कब तक लागू कर दिया जाएगा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री बिनोद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा सोफ्ट कोक थोक में आवंटन करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपभोक्ताओं की पसन्द के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडाइज्ड नमक जैसी आम उपभोग की अतिरिक्त मदों को शामिल करें। आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा तथा दादरा व नगर हवेली जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे सूचित किया है कि वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में आयोडाइज्ड नमक वितरित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

1310. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों/निजी संगठनों को वनरोपण तथा अन्य कार्यों के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवक्रमित वन भूमि के वनीकरण में उद्योगों को शामिल करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अभ्यारण्यों को अनधिसूचित करना

1311. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कई जीव-जन्तु पक्षियों को अभ्यारण्यों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अनधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1991 से अभ्यारण्यवार और राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को अनधिसूचित किया गया है;

(ग) क्या अनधिसूचना केन्द्र सरकार की सहमति से अथवा उसकी असहमति के बावजूद की गई है और क्या कुछ मामलों में ऐसी अनधिसूचना को न्यायिक रूप से रोक दिया गया है;

(घ) क्या ऐसे कदम उठाने से पहले राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से परामर्श किया है;

(ङ) यदि उपरोक्त (ग) और (घ) भागों का उत्तर सकारात्मक है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा जारी ऐसी अनधिसूचना को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ विधान को मजबूत करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के ध्यान में आए संरक्षित क्षेत्रों के आंशिक/पूर्णतः अनधिसूचित करने के मामले निम्नवत् हैं :—

1. 1993 में गोआ के कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य के 105 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को [illegible] ९5.65 वर्ग कि०मी० किया गया था।
2. 1991 में हिमाचल प्रदेश के दरलाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य के संपूर्ण 6.28 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को अनधिसूचित किया गया था।
3. 1995 में नारायण सरोवर अभ्यारण्य के 765.79 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को घटाकर 444.23 वर्ग कि०मी० किया गया था।
4. 1993 में महाराष्ट्र के मेलघाट बाघ रिजर्व के 1597.25 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को घटाकर 1150.03 वर्ग कि०मी० किया गया था।
5. 1994 में मध्य प्रदेश के घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य के 512 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को घटाकर 498.5 वर्ग कि०मी० किया गया था।

(ग) से (ङ) वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 25-क के तहत राज्य सरकारें, राज्य विधान सभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात् संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। केवल नारायण सरोवर अभ्यारण्य के मामले में ही अनधिसूचना को न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

(च) से (ज) इस प्रकार की अनधिसूचनाओं पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचाराधीन है ताकि किसी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ने वाले किसी क्षेत्र की अनधिसूचित करने से पहले भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित हो जाए।

श्रमिक विद्यालय

1312. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रमिक विद्यालयों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार और स्थान-वार कितने श्रमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश में श्रमिक विद्यापीठों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार और संघशासित प्रदेश-वार एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1995-96 के दौरान रतलाम और ग्वालियर (मध्य प्रदेश), गया (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और सिरसा (हरियाणा) के जिलों में पांच नए श्रमिक विद्यापीठ स्थापित किए गए हैं।

विवरण

क्रं०सं०	राज्य	श्रमिक विद्यापीठों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	4
13.	महाराष्ट्र	7
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	2
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	4
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	4
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	2
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1
क्र०सं०		संघशासित क्षेत्र
1.	अंडमान व निकाबार द्वीप समूह	—
2.	चंडीगढ़	1
3.	दादरा व नगर हवेली	—
4.	दमन और दीयु	—
5.	लक्षद्वीप	—
6.	पांडिचेरी	—
	कुल श्रमिक विद्यापीठों की संख्या	48

सोयाबीन के निर्यात के लिये पत्तन

1313. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केवल सोयाबीन के निर्यात के लिये एक पत्तन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केवल एक ही वस्तु के लिए अलग पत्तन बनाने के पीछे क्या तर्क है;

(ग) क्या इसकी लाभप्रदता सहित अन्य बातों पर इसके सभी परिणामों के बारे में गहराई से विचार कर लिया गया है और इस संबंध में अन्य मंत्रालयों से परामर्श भी कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केवल सोयाबीन के लिए बड़ा पत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों के मूल्य

1314. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य की तुलना में समर्थन मूल्यों सहित निर्धारित मूल्यों में संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ख) मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न वितरित करने के लिए एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) पर राज्य सरकारों/संघ

शासित प्रदेशों को खाद्यान्न (गेहूं और चावल) जारी किए जाते हैं। रबी/खरीफ मौसम, 1994-95 और 1995-96 के दौरान गेहूं, और धान के वसूली मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद दिनांक 1.2.1994 के पश्चात् गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनांक 1.4.1995 को 350/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 360/- रुपये प्रति क्विंटल और साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्म की धान के लिए ये मूल्य 340/- रुपये, 360/- रुपये और 380/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर दिनांक 1.10.1995 को क्रमशः 360/- रुपये, 375/- रुपये और 395/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिए गए थे।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि और परिणामस्वरूप वसूली लागत में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से खपाने के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की जाती है परन्तु 1994-95 और वर्तमान वर्ष (1995-96) में न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धियों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

दरियाई घोड़ों की बिक्री

1315. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के चिड़ियाघर से कुछ दरियाई घोड़े जेमिनी सर्कस को बेचे गए हैं जबकि देश के 300 पुराने चिड़िया घरों में मुश्किल से 57 दरियाई घोड़े ही बचे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) प्रिन्स आफ वेल्स जूलाजिकल गार्डन, लखनऊ ने 2 दरियाई घोड़े जेमिनी सर्कस को बेचे। चिड़ियाघर प्राधिकारियों के अनुसार, चिड़ियाघरों में दरियाई घोड़ों की आबादी में वृद्धि के कारण उन्हें खाना खिलाने और आवास की समस्या हो रही थी। 2 दरियाई घोड़ों की बिक्री के मामले को रिट याचिका सी डब्ल्यू संख्या 1858/95 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

1316. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कार्य प्रणाली क्या है और तकनीकी शिक्षा संचालन की अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा किन विषयों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या काफी संख्या में आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं क्योंकि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए परिषद् के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या बढ़ती जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृति के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(घ) परिषद् की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ और सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना देश में तकनीकी शिक्षा की उचित आयोजना और समन्वित विकास की दृष्टि में रखकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने पूर्णकालिक अध्यक्ष और स्टाफ की पर्याप्त पूर्ण संख्या और अध्ययन बोर्डों/क्षेत्रीय समितियों की स्थापना के साथ वर्ष 1993 से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने नई तकनीकी संस्थाएं आरंभ करने, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु विनियम जारी किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा की गयी उद्घोषणा के अनुसार अनुमोदनों की बाबत आवेदनों पर कार्रवाई करने के संबंध में एक निर्धारित समय-सारणी व अनुक्रम होता है। प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अंतिम निर्णय सूचित करने की तारीख 30 अप्रैल है।

कमल नयन काबरा समिति

1317. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के 2 मई, 1995 को दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपयोगी वस्तुओं के वायदा और भावी व्यापार की शर्तों में रियायत करने के पक्ष में है;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय को टिप्पणियां मांगी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कमल नयन काबरा समिति की सिफारिशों के संबंध में अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सभी मंत्रालयों ने रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (छ) काबरा समिति, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ वायदा बाजारों के कार्यों की समीक्षा करने तथा वायदा बाजार आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अंतर्गत विभिन्न संबंधित मुद्दे आते हैं। इन मुद्दों में उत्पादकों की भागीदारी, एसोसिएशनों की आधार-ढांचे संबंधी सुविधाएं, वायदा बाजार आयोग को मजबूत करके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के स्तर तक लाना, जिस एक्सचेंजों में अंतनिर्मित नियंत्रण तथा तौर-तरीके, एसोसिएशन को दी जाने वाली मान्यता की अवधि, जिस एक्सचेंज को स्वनियामक संगठनों के रूप में विकसित करना तथा अतिरिक्त वस्तुओं की फ्यूचर्स व्यापार शुरू करना आदि शामिल है। काबरा समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार अन्य संबंधित मंत्रालयों, जिनमें उद्योग मंत्रालय शामिल है, के परामर्श से विचार कर रही है।

इन सिफारिशों पर जल्दी अंतिम निर्णय लेने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1318. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने अपने सत्ता में आने के 100 दिनों के अंदर मूल्यों में वृद्धि पर अंकुश लगाने का वायदा किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के लिए कुछ चुनिंदा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इस समय देश में दालों और खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर है। इन वस्तुओं के आयात को घंटे आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं तथा चावल की खुले बाजार में बिक्री के कार्य में तेजी लाई गई है। देश में चीनी की अस्थाई कमी से निपटने के लिए गत वर्ष उसका आयात किया गया था। इसके अलावा, इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक उपाय भी किए गए हैं। गेहूं, चावल, चीनी आयातित पामोलीन, मिट्टी के तेल व सॉफ्ट कोक जैसी आवश्यक वस्तुएं बाजार दरों से कम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जा रही हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों के जरिए दालें, कापियां आदि जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करें। कालाबाजारियों, जमाखोरों और अनुचित व्यापार पद्धति में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 आदि के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता तथा मूल्य स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए समय से उपचारात्मक उपाय कर सके।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

	(वर्तमान) थोक मूल्य सूचकांक 11.11.95	(1 वर्ष की तुलना में) 12.11.94	(दो वर्षों की तुलना में) 13.11.93	(तीन वर्षों की तुलना में) 14.11.92
1	2	3	4	5
चावल	320.2	299.5	279.6	252.5
गेहूं	277.3	272.1	253.6	223.3
चना	229.6	405.5	370.3	208.1
अरहर	520.3	363.7	345.2	290.8
आलू	535.0	364.3	420.5	328.5
प्याज	379.0	375.9	465.5	162.3
चाय	396.5	266.9	340.3	282.5
चीनी	227.2	218.8	205.9	176.9
नमक	457.4	244.1	241.1	214.4
वनस्पति	256.3	248.9	243.7	269.5
सरसों का तेल	258.7	245.4	217.5	220.5
मूंगफली का तेल	306.5	259.5	251.4	233.3
समग्र वस्तुएं	298.6	275.9	251.9	231.8

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

[अनुवाद]

ग्रामीण शिक्षा परिषद्

1319. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण शिक्षा परिषद् के गठन का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिषद् के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने 19 अक्टूबर,1995 को राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् की स्थापना की जिसका मुख्यालय, हैदराबाद में है। अन्य बातों के साथ-साथ जिन उद्देश्यों के लिए परिषद् की स्थापना की गई, वे निम्नलिखित हैं:—

(एक) शिक्षा पर महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनरूप ग्रामीण उच्च शिक्षा को प्रोन्नत करना ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में यथासंशोधित) की परिकल्पना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट करने के लिए सूक्ष्म योजना की चुनौतियों को स्वीकार किया जा सके।

(दो) नेटवर्क को समेकित करना एवं गांधीवादी बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में संलग्न संस्थानों को विकसित करना;

(तीन) अन्य शैक्षिक एवं स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे शिक्षा के गांधीवादी दर्शन के अनुसार अपना विकास कर सकें;

(चार) गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना;

(पांच) विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए इन सभी संस्थानों की विषय-वस्तु सुदृढ़ करना;

(छः) सामाजिक व ग्रामीण विकास के लिए एक यंत्र के रूप में अनुसंधान को प्रोन्नत करना; तथा

(सात) सूक्ष्म स्तर की योजना द्वारा समुदाय के लिए विस्तार सेवायें प्रोन्नत करना।

[हिन्दी]

बूचड़खानों को हटाना

1320 **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोनी, हिण्डन हवाई अड्डे के पास चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों के ऊपर उड़ रहे पक्षियों के मिग-21 विमान से टकराने के कारण हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो हिण्डन हवाई अड्डे के समीप चलाए जा रहे सभी बूचड़खानों को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जिला प्राधिकारियों ने हिण्डन हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर पशु वध पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इस आदेश के प्रभावी होने पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद तथा लोनी में आधुनिक बूचड़खाने की स्थापना के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पर विचार किया जा रहा है। विमानों का पक्षियों से टकराने के खतरे से बचने के लिए गाजियाबाद में एक पशु शव तथा उपोत्पाद उपयोग केन्द्र को मंजूरी प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

कॉफी का मूल्य

1321. **श्री जार्ज फर्नांडीस :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1994 और अगस्त, 1995 के बीच कॉफी के मूल्य में 21 प्रतिशत गिरावट आई है और इसी अवधि में प्रसंस्कृत इंसटेंटस कॉफी की लागत में 103.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके मूल्यों के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) कॉफी के थोक मूल्य सूचकांक में अगस्त, 1994 तथा अगस्त, 1995 के बीच 22.1% की गिरावट आई है और इन्सटेंट कॉफी के मूल्यों में इसी अवधि के दौरान दिल्ली में 111.1% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994 के दौरान देश में तथा साथ ही विश्व भर में कॉफी के उत्पादन में कमी आने से 1994 के दौरान कॉफी के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। वर्ष 1995 में मूल्यों में गिरावट का रुख दिखाई दिया है। कॉफी के मूल्यों को नियंत्रित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

1322. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण उत्पादक असंगत लाभ कमा रहे हैं जिससे सामान्य व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य व्यक्ति के हितों के संरक्षण देने के लिए कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों से 100 चयनित वस्तुओं का उनकी लागत तथा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाली दर के संबंध में अध्ययन करने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली को बेकरी की दुकानों में भुनी हुई मूंगफली के 200 ग्राम के पेकेट 18 रुपए में बिक रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या साधारण व्यक्ति को इससे काफी हानि उठानी पड़ती है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे पैट्रोलियम उत्पाद (स्नेहकों को छोड़कर), नाइट्रोजन उर्वरक के निर्देशित मूल्यों के जरिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किए जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी के मूल्यों पर आंशिक नियंत्रण के जरिए, सरकार सहकारी भंडारों, सुपर बाजारों की श्रृंखला आदि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर उन्हें उपलब्ध करने का प्रयास करती है। तथापि, अन्य वस्तुओं के मूल्य, आमतौर पर बाजार में उनकी मांग तथा आपूर्ति के मुक्त संचलन (फ्रीप्ले) द्वारा प्रभावित होते हैं।

समय-समय पर, चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, दालों आदि के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता पर निरन्तर नजर रखी जाती हैं जब भी आवश्यक होता है, आयात किए जाते हैं, ताकि उनके मूल्यों को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, इन वस्तुओं के बाजार मूल्यों को संयत करने के लिए गत दो वर्षों से चावल तथा गेहूं की खुले बाजार में बिक्री कर रहा है। इसके अतिरिक्त जमाखोरों तथा चोरबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाती है।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(घ) और (ङ) कच्ची मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं में प्रतिबिम्बित होते हैं। बेकरी की दुकानों के जरिए बेची जाने वाली मूंगफली के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पर्यावरण और वृक्षारोपण हेतु विशेष कोष

1323. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं अथवा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण और वृक्षारोपण प्रयोजनों के लिए विशिष्ट धनराशि का आवंटन किया गया है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्यों को कोई मार्ग निर्देश जारी किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) केन्द्र और राज्य योजनाओं में कुल उपलब्ध धनराशि को देखते हुए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। योजना आयोग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के परामर्श से आठवीं योजनावधि (1992-97) के लिए इस प्रयोजन हेतु धनराशि के आवंटन को अंतिम रूप दे दिया है पिछले 3 वर्षों में राज्यवार धनराशि के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वार्षिक आवंटन सहित समग्र योजना आवंटनों में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वीकृत तथा चल रही योजनाओं के तहत धनराशि को उपयोग में लाया जाता है। योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के लिए पर्यावरण और वृक्षारोपण हेतु केन्द्र और राज्य आवंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यों के लिए धनराशि का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य/संघ शा० प्रदेश	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2510.52	3324.70	2579.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	434.55	511.00	1324.00
3.	असम	1520.00	1217.00	267.69
4.	बिहार	2112.46	3381.46	4715.60
5.	गोवा	156.95	150.80	154.66
6.	गुजरात	6713.93	6684.04	6881.12
7.	हरियाणा	4576.57	3777.40	3669.10
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	6063.13	प्राप्त नहीं हुए
9.	जम्मू और कश्मीर	1795.95	1108.02	प्राप्त नहीं हुए
10.	कर्नाटक	6157.87	7548.06	11513.51
11.	केरल	1215.00	695.05	330.00 अन.
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	7350.68 सं०	5800.98
13.	महाराष्ट्र	7624.11	8936.47	9525.86
14.	मणिपुर	573.65	284.49 अनं.	542.61
15.	मेघालय	1164.07	1084.20	प्राप्त नहीं हुए
16.	मिजोरम	870.00	906.09	927.44
17.	नागालैंड	155.38 सं.	158.11 सं.	744.00
18.	उड़ीसा	4208.00	4069.50	978.35
19.	पंजाब	1159.50	1672.70	908.35
20.	राजस्थान	9583.00 सं०	12550.44 स.	14339.17
21.	सिक्किम	383.87	364.82	प्राप्त नहीं हुए
22.	तमिलनाडु	4648.70	5199.39	8868.00
23.	त्रिपुरा	1158.04	1163.63	861.67
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9043.33	12983.49
25.	पश्चिम बंगाल	2880.00 सं.	2098.30 अनं.	3057.27
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	116.25	114.85	127.50
27.	चण्डीगढ़	30.00	170.00	45.00
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	200.00	146.87
29.	दमन व द्वीप	13.00	13.00	22.50
30.	दिल्ली	281.00	197.00	193.00
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.50	प्राप्त नहीं हुए
32.	पाण्डिचेरी	91.33	131.00	92.00
	योग	79288.02	90177.14 अनं.	91599.21

सं० — संशोधित

अनं० — अनंतिम

[हिन्दी]

कर्नल सी० के० नायडू शताब्दी वर्ष

1324. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वर्ष कर्नल सी० के० नायडू का शताब्दी वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे मनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से

(ग) जी, हां। सरकार ने महान क्रिकेट खिलाड़ी कर्नल सी०के० नायडू की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी०सी०सी०आई०) ने कर्नल सी० के० नायडू का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) क्रिकेट के खेल के प्रति उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है यह पुरस्कार अभी तक सर्वश्री लाला अमरनाथ और सैयद मुश्ताक अली को प्रदान किया गया है।

(2) अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक विश्व मास्टर्स टूर्नामेंट मुंबई में आयोजित किया गया था जिसमें कई देशों ने भाग लिया था।

(3) कर्नल सी० के० नायडू के नाम पर एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

1325. श्री लाल बहादुर रावल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वे जिले कौन-कौन से हैं जहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ख) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अयूब खान) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम

1. बहराइच
2. बस्ती
3. बलिया
4. पिल्खी
5. वाराणसी
6. झांसी
7. मथुरा
8. रायबरेली
9. फतेहपुर
10. अलीगढ़
11. रानीचौरी
12. बिजनौर
13. रामपुर
14. बदायूं
15. गाजियाबाद
16. सहारनपुर
17. शाहजहांपुर
18. पिथौरागढ़
19. सुल्तानपुर
20. एटा
21. मिर्जापुर
22. गौंडा
23. बान्डा
24. सिद्धार्थ नगर
25. मेरठ
26. मुर्जफ्फरनगर
27. इलाहाबाद
28. बरेली

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में 1992-93 से 1994-95 में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किया गया व्यय।

क्र०सं०	कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम	वर्ष 1992-95 के दौरान बजट प्रावधान (लाख रुपये में)	किया जाने वाला व्यय
1	2	3	4
1.	बहराइच	32.41	यह विभाग में उपलब्ध कोष तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए कोष की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।
2.	बस्ती	37.58	
3.	बलिया	30.15	
4.	पिल्खी	145.61	
5.	वाराणसी	21.73	
6.	झांसी	27.78	
7.	मथुरा	31.71	
8.	रायबरेली	38.56	
9.	फतेहपुर	34.67	
10.	अलीगढ़	17.38	

1	2	3	4
11.	रानीचौरी	24.48	
12.	बिजनौर	24.88	
13.	रामपुर	37.60	
14.	बदायूं	28.98	
15.	गाजियाबाद	08.20	
16.	सहारनपुर	08.27	
17.	शाहजहांपुर	04.39	
18.	पिथौरागढ़	04.05	
19.	सुल्तानपुर	67.89	
20.	एटा	40.55	
21.	मिर्जापुर	24.91	
22.	गौंडा	49.24	
23.	वादा	51.04	
24.	सिद्धार्थ नगर	54.11	
25.	मेरठ	51.90	
26.	मुजफ्फरनगर	04.64	
27.	इलाहाबाद	08.25	
28.	बरेली	23.00	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जलविभाजक (वाटरशेड) विकास परियोजना

1326. डा० साक्षी जी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों, विशेषतः मथुरा और आगरा जिलों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल-विभाजक विकास परियोजना के अंतर्गत हुए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इन दो जिलों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(ग) इससे प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों कि लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 111.147 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 32,78,16 हैक्टे० क्षेत्र को शामिल करते हुए 212 सूक्ष्म पनधारा परियोजनायें शुरू की गई हैं। मथुरा जिले में कोई सूक्ष्म पनधारा परियोजना शुरू नहीं की गई है जबकि आगरा जिले के जगनेर, पखण्ड में एक सूक्ष्म पनधारा परियोजना शुरू की गई है जिसकी अनुमानित लागत 1.689 करोड़ रु० तथा जिस का क्षेत्र 6,369 हैक्टे० है।

(ग) प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिये विविधीकृत फार्मिंग प्रणाली अपनाकर जैव सामग्री को बेहतर उत्पादन करने तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनः उत्पादन करने और जाड़े तथा गर्मी के महीनों में उपयोग में लाये जाने के लिये वर्षा के पानी का पुनः बंटवारा करने में इस परियोजना से मदद मिली है।

संस्कृत को बढ़ावा

1327. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने संस्कृत में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) संघ सरकार द्वारा देश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में संस्कृत के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने विगत में संस्कृत में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कभी भी कोई सहायता नहीं दी है, अतः सहायता बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के जरिए संस्कृत को बढ़ावा देती है। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं को लागू करती हैं जिनमें आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता, स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों, संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन एवं क्रय, शास्त्र चूड़ामणि एवं अखिल भारतीय संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु वैदिक सम्मेलन आदि के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार केन्द्रीय योजनागत योजना के जरिए समय-समय पर राज्य सरकारों को अनुदान देती है तथा प्रतिवर्ष संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को 15 राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित करती है।

उत्तर प्रदेश के मामले में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने इलाहाबाद और लखनऊ में एक-2 इस प्रकार दो केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किये हैं तथा वह तीन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी चलाता है तथा 136 स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता देता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा से कर दाताओं को वंचित करना

1328. श्री राम निहोर राय : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 14 फरवरी, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा से आयकर दाताओं को वंचित करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी चीनी, चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल आदि की बचत होगी?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राजमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

1329. श्री वृशिण पटेल :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भण्डारण पर व्यय में विगम तीन वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान प्रति क्विंटल खाद्यान्नों के रख-रखाव और आवागमन पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान निगम को दी जा रही राजसहायता की राशि में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी राजसहायता दी गई है और वर्ष 1996 के दौरान कितनी दिए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के रख-रखाव और परिवहन पर प्रति क्विंटल वहन किये गए खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	औसत स्टाक की प्रति क्विंटल भण्डारण लागत	दुलाई पर प्रति क्विंटल परिवहन लागत
1992-93	3.29	21.55 रुपये
1993-94	2.00	33.51 रुपये
1994-95	1.95	29.23 रुपये

भण्डारण लागत के घटक में गोदामों/तोल-सेतुओं/रेलवे साइडिंग्स का मूल्य ह्रास, स्थापना प्रभार, मरम्मत और रख-रखाव, उपयोग किए गए सामान और कलपुर्जे, नगरपालिका कर और किराये पर लिए गए गोदामों का किराया शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनाज की वसूली लागत में वृद्धि होने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के उपभोक्ताओं पर वृद्धि को विलम्ब और आंशिक रूप से डालने, भाड़े की दर में वृद्धि होने और बफर स्टाक में वृद्धि होने के कारण सब्सिडि में वृद्धि हुई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई सब्सिडि की राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	सब्सिडि की राशि (करोड़ रुपये में)	
1992-93	2800	(इसमें 14.72 करोड़ रुपये की चीनी सब्सिडि शामिल है)
1993-94	5700	(इसमें 162.86 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडि शामिल है)
1994-95	5100	(इसमें 591 करोड़ रुपये की चीनी सब्सिडि शामिल है)

वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में भारत सरकार ने खाद्य सब्सिडि के लिए 5798 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

चीनी और खाद्यान्नों का कोटा

1330. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतिश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत में उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की मात्रा में राजवार कितना अंतर है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इन वस्तुओं के पर्याप्त भंडार को देखते हुए राज्यों को चीनी, गेहूं और चावल के कोटे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी उपभोक्ताओं की अपेक्षित मात्रा में खाद्य वस्तुओं को उसी दर पर उपलब्ध कराने के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कोटा निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के प्रत्येक उपभोक्ता को चीनी, चावल, गेहूं का कितना मासिक कोटा दिए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए संयुक्त जिम्मेदारी के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी, गेहूं तथा चावल के प्रापण और आवंटन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कार्य संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गेहूं तथा चावल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामितों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए समान गोदाम बाह्य मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। तथापि, इन खाद्यान्नों के खुदरा मूल्य साथ ही योग्यता की शर्त तथा पात्रता का पैमाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी 9.05 प्रति किलोग्राम की समान दर से वितरित की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय मूल से गेहूं तथा चावल का थोक आवंटन, उपलब्ध स्टाक, सामयिक उपलब्धता, सापेक्ष आवश्यकता तथा उठाने के रुख को भी ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह के आधार पर किया जा रहा है। सामान्यतः लेवी चीनी आवंटन 1.10.1986 को प्रदिप्त जनसंख्या को 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के समान मानदण्ड जो 1.2.1987 से लागू है, के आधार पर किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन चीनी को आधिक अच्छे रूप में उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनवरी, 1991 से, 1996 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

इन वस्तुओं के आवंटन की प्रकृति पूरक के रूप में है न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए।

[अनुवाद]

रंगीन पत्थरों का खनन

1331. श्री राम कृष्ण कोंताला :
श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति :
श्री सुलतान सल्लाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संकरम आरक्षित वन में बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का अनधिकृत रूप से खनन करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) सरकार ने इन पत्थरों के अनधिकृत रूप से खनन करने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विशाखापट्टनम जिले के चोदवरम रेंज में किथाली बीट के संकरम रिजर्व वनों में 21-1-95 को ग्रामीणों ने अवैध रूप से रंगीन पत्थर निकालने का प्रयास किया था। अवैध रूप से रंगीन पत्थर निकालने को रोकने के लिए वन कर्मचारियों ने तत्काल कदम उठाए। वन विभाग ने चौदह मामले तथा पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं।

(ग) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय के दक्षिण अंचल के मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) को मौके पर मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया था और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जांच तथा वन क्षेत्रों में खजिनों की जांच के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न हो।

फलों और सब्जियों की क्षति

1332. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों और सब्जियों की फसलोत्तर होने वाली क्षति के कारण देश को 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक की वार्षिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) फसलोत्तर होने वाली क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) फलों और सब्जियों की फसलोत्तर हानि की सही मात्रा और राशि का आकलन कराने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। हालांकि डा० एम०एस० स्वामीनाथन की रिपोर्ट — "पेरिशावित सग्रीकल्चर कमोडिटीज" (1991)", के अनुसार फलों और सब्जियों का वैज्ञानिक ढंग से रख-रखाव करने तथा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण फलों और सब्जियों में होने वाली फसलोत्तर हानि 30,000-40,000 मिलियन रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से दो योजनायें यथा-

(I). बागवानी उत्पादों के फसलोत्तर प्रबन्ध संबंधी समेकित परियोजना और

(II) उदार ऋणों में भागीदारी के माध्यम से विपणन विकास योजना चला रही है जिसके अंतर्गत फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं जैसे-ग्रेडिंग, पैकिंग, फुटकर बिक्रीकेन्द्रों, रेफ्रिजरेटेड परिवहन वाहनों, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग सामग्री आदि के सुदृढ़ीकरण के लिये तथा विपणन सुविधाओं में सुधार लाने के लिये सहायता दी जा रही है ताकि होने वाली फसलोत्तर हानि को कम से कम किया जा सके।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारण, फल और सब्जियों के सहकारी विपणन समितियों और फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण के लिये सहायता दे रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ग्रमीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण ईकाइयां, मशरूम के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने के लिये संसाधित खाद्य पदार्थों के सामान्य विज्ञापन और विपणन के लिए सहायता दे रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्यात समझौता

1333. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पिछले तीन महीनों के दौरान कुछ निर्यात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दिनांक 21.9.95 को पांच वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विनिर्मित तथा/अथवा उसके द्वारा किए जा रहे लेन-देन के विभिन्न उष्णकटिबंधीय फलों आदि के आसवों, सांद्रित पदार्थ, रस तथा टमाटर सास एवं अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए कैम वित्तीय तथा सामान्य व्यापार एस०ए०, स्विटजरलैण्ड के साथ एक निर्यात सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपरोक्त करार के अनुसरण में प्रतिवर्ष अर्जित किए जाने वाले मिलियन अमरीकी डॉलरों में (सी०आई०एफ०) अनुमानित विदेशी मुद्रा की धनराशियां नीचे दी गई हैं:—

पहले वर्ष	7.5
दूसरे वर्ष	8.5
तीसरे वर्ष	10.0
चौथे वर्ष	10.0
पांचवें वर्ष	10.0

समर्थन मूल्य

1334. श्री राम कापसे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मंत्रालय ने वसूली मौसम के आते-आते धीरे-धीरे समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की ग्रेड प्रणाली के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान गेहूं की वसूली भिन-भिन्न समय में (स्टेंगर्ड) करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

बायो-डाइवर्सिटी कनवेंशन

1335. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो में बायो डाइवर्सिटी कनवेन्शन में स्वीकार किए गए प्रस्ताव को अमरीका सहित सभी देशों ने अनु-समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 30 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार 133 देशों ने रियो में अपनाए गए जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। संयुक्त राज्य अमरीका ने अभी कन्वेंशन की अभिपुष्टि नहीं की है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

1336. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू० डी०पी०आर०ए०) कब से आरम्भ की गई हे;

(ख) उक्त कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना अक्तूबर 1990 के दौरान शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विस्तृत भू-भाग में जैव समूह का सतत् उत्पादन तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन बहाल करना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय प्रादेशिक तथा राज्य स्तर पर समय-समय पर कराई गई समीक्षाओं से परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने तथा उन परिणामों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दी गई धन राशि		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1238.000	1062.000	636.550
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.000	–	22.000
3.	असम	350.000	460.000	535.000
4.	बिहार	130.858	–	435.000
5.	गोवा	2.733	–	–
6.	गुजरात	1180.000	1370.000	1073.940
7.	हरियाणा	38.552	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	80.000	–	575.000
9.	जम्मू व कश्मीर	60.000	192.000	–
10.	कर्नाटक	1380.000	3149.000	1524.810
11.	केरल	300.000	1360.000	80.000
12.	मध्य प्रदेश	980.053	1900.000	500.000
13.	महाराष्ट्र	742.673	2000.000	3100.00
14.	मणिपुर	73.000	–	80.000
15.	मेघालय	28.000	100.000	–
16.	मिजोरम	66.000	398.000	319.77
17.	नागालैंड	28.000	680.000	250.000
18.	उड़ीसा	772.187	1750.000	1250.000
19.	पंजाब	120.000	120.000	115.000

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	2350.000	1900.000	1900.000
21.	सिक्किम	70.000	108.000	110.000
22.	तमिलनाडु	84.887	1664.000	700.000
23.	त्रिपुरा	35.000	60.000	95.000
24.	उत्तर प्रदेश	1300.000	1450.000	2295.000
25.	पश्चिम बंगाल	91.244	—	400.000
26.	दादरा व नागर हवेली	0.500	10.000	—
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	25.000	21.000
	योग	11519.687	19781.999	16118.070

खाद्यान्नों की उपलब्धता

1337. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम ने देश के सभी भागों विशेषकर दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में पूरे वर्ष पर्याप्त खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम ने दिनांक 6.9.1995 को 1995-96 के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राष्ट्रीय खाद्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इसका विवरण निम्नानुसार है:—

(1) किसानों को प्रभावी मूल्य समर्थन प्रदान करना ताकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें;

(2) खाद्य सुरक्षा के रूप में बफर स्टाक को रखना जिससे कि न केवल अन्तर्मौसमी स्थिरता बनाई रखी जा सके बल्कि सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसल नष्ट होने से उत्पन्न आयात स्थिति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(3) उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

1338. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्थापना नहीं की जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने वर्ष 1993 से 1998 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए रक्षा/शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 20 तक तथा परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जहां सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय, प्रायोजक परियोजना द्वारा वहन किया जाता है, व्यवहार्य संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुमोदन प्रदान किया है।

तदनुसार, गत तीन वर्षों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निम्नलिखित नये केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं:—

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1993-94	26
1994-95	23
1995-96	22

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन/आयात

1339. कुमारी उमा भारती : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान चीनी का कितना उत्पादन हुआ और आयातित चीनी को मिलाकर चीनी का कितना भंडार है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी चीनी का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने की संभावना है, और

(घ) निर्यात के पश्चात् चीनी के अतिरिक्त उत्पादन के निपटान सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है ताकि घरेलू बाजार प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1994-95 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 145.85 लाख टन था (अनंतिम) आयातित चीनी को मिलाकर 30.9.95 तक चीनी का अंतिम स्टाक 55.57 लाख टन था।

(ख) आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर, 1995 से आरम्भ हो रहे वर्तमान 1995-96 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन यदि बेहतर नहीं तो समान रूप से अच्छा होगा।

(ग) वित्तीय वर्ष 1995-96 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निर्यात के माध्यम से वर्तमान में 670 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है।

(घ) खुली बिक्री रिलीज व्यवस्था विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित की जा रही है ताकि खुले बाजार में चीनी का मूल्य संतुलित स्तर पर बना रहे जिससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादक भी किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दे सके।

[हिन्दी]

महानगरों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

1340. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में विभिन्न उद्योगों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण से पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के अंतर्गत महानगरों में किन-किन उद्योगों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उन उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है; जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रक अब तक नहीं लगाए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) महानगरों में वे उद्योग जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, प्रदूषण में योगदान कर रहे हैं और पर्यावरण को खतरा पैदा कर रहे हैं।

(ख) और (ग) चार महानगरों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 अभिनिर्धारित श्रेणियों में दोषी इकाइयों के नाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चार महानगरों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 अभिनिर्धारित श्रेणियों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की सूची तथा की गई कार्रवाई।

क्र०सं०	इकाई का नाम	की गई कार्रवाई
1.	**बम्बई**	
(1)	मैसर्स राजीव लैदर इन्डस्ट्रीज पूनावाला चौल, धारावी, बम्बई	एक साझे वहिस्राव संयंत्र में बहिस्रावों के शोधन के लिए इस उद्योग को देवनगर में शिफ्ट किया जाना है।
(2)	मैसर्स विकरर एण्ड सन्स, पूनावाला, चौल, धारावी, बम्बई	-वही -
2.	**दिल्ली**	
(3)	मैसर्स राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली	सेटलिंग द्वारा नम राख संग्रहण के लिए पर्याप्त तालाब क्षेत्र की उपलब्धता के बावजूद पुराने भरे हुए तालाबों का प्रयोग किया जा रहा है जिसका निष्पादन संतोषजनक नहीं है। उद्योग को निर्देश दिया गया है कि वह अतिरिक्त तालाब क्षेत्र को कार्य में लाए अन्यथा अभियोजन चलाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
(4)	मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लि० गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, दिल्ली	उद्योग ने अतिरिक्त इकाइयां मुहैया कराकर अपने बहिस्राव शोधन संयंत्र में संशोधन किया। नई इकाइयों का कार्यकरण तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का पूरा आकलन नहीं किया गया है।
(5)	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन, डेसू, नई दिल्ली	निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए संयंत्र के पास पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हैं। यह संयंत्र जल अधिनियम के अंतर्गत सहमति प्राप्त किए बिना चल रहा है और यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
3.	**मद्रास**	
(6)	मैसर्स एन्नूर थर्मल पावर स्टेशन, एन्नूर, मद्रास	बहिस्राव शोधन संयंत्र और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाने के लिए कार्य प्रगति पर है।
4.	**कलकत्ता**	
(7)	मैसर्स कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, कलकत्ता	उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण साधनों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

साक्षरता

1341. **श्री ललित उरांव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय शिक्षित व्यक्तियों की राज्यवार और लिंगवार क्या प्रतिशतता है;

(ख) स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक पास, मिडिल पास और मिडिल से कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों की राज्यवार और लिंगवार क्या प्रतिशतता है;

(ग) क्या बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता अन्य राज्यों के शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता से कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने के प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1991 की जनगणना की प्रासंगिक सूचना प्रकाशित नहीं हुई है।

(ग) और (घ) शिक्षित व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनका इस सम्बन्ध में प्रतिशत बिहार से कम है। तथापि केन्द्रीय सरकार पूर्ण साक्षरता अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और व्यावसायिक शिक्षा जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न स्तरों को विकसित करने हेतु बिहार को पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

विवरण

उन साक्षर व्यक्तियों जिन्होंने स्नातक और उससे ऊपर, मैट्रिक, मिडिल और मिडिल से कम तक शिक्षा प्राप्त की है, की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण।

भारत की 1981 की जनगणना के अनुसार

	स्नातक और उससे ऊपर		मैट्रिक		मिडिल		"मिडिल से कम	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	1.72	0.40	4.86	1.71	7.22	3.63	23.22	14.04
2. असम	*	*	*	*	*	*	*	*
3. बिहार	1.38	0.22	6.97	1.22	8.52	3.00	19.31	8.89
4. गुजरात	2.17	0.86	8.07	3.92	5.57	2.65	36.94	24.18
5. हरियाणा	1.88	0.84	6.82	2.14	8.70	2.91	28.36	15.32
6. हिमाचल प्रदेश	1.86	0.59	6.62	2.14	8.02	3.18	34.45	24.68
7. जम्मू और कश्मीर	1.95	0.76	5.31	2.08	8.59	3.03	18.33	9.15
8. कर्नाटक	2.11	0.62	6.57	3.06	10.03	5.80	27.55	17.34
9. केरल	1.73	1.05	7.00	5.84	18.61	16.07	45.34	40.80
10. मध्य प्रदेश	1.71	0.58	2.17	0.68	5.30	1.90	27.59	11.50
11. महाराष्ट्र	2.58	1.02	8.66	3.77	12.57	7.15	31.65	21.87
12. मणिपुर	2.93	1.00	6.93	2.82	11.66	5.21	28.79	18.76
13. मेघालय	1.57	0.85	3.56	2.14	9.34	6.59	22.05	19.68
14. नागालैंड	1.34	0.34	5.39	2.22	7.32	3.83	34.41	26.90
15. उड़ीसा	1.27	0.22	3.59	0.91	9.26	3.71	31.54	16.00
16. पंजाब	2.15	1.26	8.06	4.14	8.74	4.85	25.54	17.91
17. राजस्थान	1.65	0.45	3.01	0.74	5.82	0.16	23.40	8.02
18. सिक्किम	1.32	0.48	3.32	1.53	4.40	2.18	33.19	17.42
19. तमिलनाडु	1.89	0.62	9.05	4.39	8.35	4.96	34.21	23.92
20. त्रिपुरा	1.50	0.55	4.34	1.80	7.24	3.75	36.10	24.70
21. उत्तर प्रदेश	1.99	0.64	4.36	1.11	3.23	1.76	22.98	9.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. पश्चिम बंगाल	2.78	1.05	5.64	2.29	8.04	4.33	31.18	21.47
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.71	1.01	5.95	3.45	8.60	5.18	39.08	30.48
24. अरुणाचल प्रदेश	1.34	0.37	3.18	0.94	3.39	1.11	19.76	8.58
25. चंडीगढ़	14.13	10.39	12.71	9.49	9.31	8.03	24.37	23.99
26. दादरा और नगर हवेली	1.01	0.35	5.14	2.10	2.44	1.11	26.75	12.99
27. दिल्ली	9.91	7.09	12.22	7.39	10.76	7.62	28.32	25.86
28. गोवा दमन और दीव	3.13	1.40	10.00	6.32	12.31	8.90	36.91	29.34
29. लक्षद्वीप	1.29	0.19	5.14	1.96	10.76	5.77	46.37	36.26
30. मिजोरम	1.16	0.25	3.65	1.84	6.72	4.49	50.49	47.41
31. पांडिचेरी	2.49	0.75	11.65	5.62	10.34	6.85	38.19	31.22
भारत	2.05	0.72	5.93	2.34	8.39	4.15	28.03	16.75

* असम में जनगणना नहीं हुई थी।

** इसमें गैर औपचारिक और औपचारिक साक्षर (बिना शिक्षा स्तर) और प्राथमिक शामिल हैं।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

1342. श्री हरिन पाठक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अनेक परियोजनाओं के लिए प्राप्त 800 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सहायता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इसकी निगरानी करने और विदेशी सहायता का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उन सभी परियोजनाओं, जिनके लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भौतिक और वित्तीय प्रगति की गति की नियमित निगरानी की जाती है।

चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति

1343. श्री रविराय : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दर से चीनी उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को प्रोत्साहन के रूप में तैयार उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। चीनी उद्योग के लिए गन्ने की आपूर्तिकर्ताओं को चीनी के रूप में इस प्रकार के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि पिछले मौसम में चीनी के भारी उत्पादन में उनका प्रमुख योगदान रहा है अतः भारत सरकार गन्ने के आपूर्तिकर्ताओं को रियायती मूल्य पर चीनी देने के लिए उत्सुक है।

इस संबंध में जांच की जा रही है।

साक्षरता सम्मेलन

1344. श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य नवम्बर, 1995 में दिल्ली में एक साक्षरता सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग लिया, और

(ग) सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम रहा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिए गए थे:—

(I) जिन जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया उन्हें सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों की कवरेज में शामिल करने के लिए राज्य सरकारें एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगी।

(II) साक्षरता अभियानों में लगे हुए स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

(III) पंचायती राज संस्थाओं और साक्षरता अभियानों के मध्य सशक्त संबंध स्थापित किया जाना। साक्षरता प्रचार में पंचायती राज के प्रतिनिधियों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

(IV) साक्षरता कार्यक्रम और पल्स पोलियो, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जवाहर रोजगार योजना, डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए० इत्यादि जैसे अन्य विकास कार्यक्रमों के मध्य सशक्त संबंध स्थापित किया जाना।

(V). राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों को साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन करना। राज्य प्राधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष से निधियां जारी की जाएंगी।

(VI) राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों को सशक्त करना ताकि वे साक्षरता कार्यक्रमों के अनवीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों तथा शिक्षकों को चिकित्सा सुविधाएं

1345. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों तथा शिक्षकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महानगरों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा शिक्षकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन जो कि भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, भारत सरकार के चिकित्सा परिचर्या नियमों का अनुसरण कर रहा है जिसमें प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा चिकित्सा उपचार और चिकित्सा खर्चों आदि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान है संगठन के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा में शामिल होने के लिए स्वतः पात्र नहीं है।

तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व सहमति से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवास करने वाले कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को प्रदान की गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि वे लाभग्राहियों की नई श्रेणियों को ये सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

उपभोक्ताओं को उत्पाद कर लाभ

1346. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** उपभोक्ताओं को उत्पाद कर लाभ के बारे में 25 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अधिकतम खुदरा मूल्य प्रभारित करने से बचाव के लिए पैकेजों पर वस्तुओं को कारखाने से बाहर कीमत प्रदर्शित करने की व्यावहारिकता पर विचार कर रही है;

(ख) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि 1995-96 के बजट में घोषित उत्पाद कर छूटों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले;

(ग) क्या उद्योगों के लिए यह छूट उपभोक्ताओं को देना न ही ऐच्छिक है और न ही अनिवार्य; और

(घ) यदि हां, तो उद्योगों पर निगरानी रखने के लिए क्या प्रणाली तंत्र है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं), नियम, 1977 के तहत पहले से पैक की गई वस्तुओं पर खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के सर्वोत्तम तरीके का सुझाव देने हेतु मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पैकेज पर "फैक्टरी मूल्य" अंकित करने से संबंधित मामला भी एक विकल्प है, जिस पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन उनके बाजार मूल्य में समानुपातिक रूप से परिलक्षित हो। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कानूनी तंत्र के माध्यम से उत्पाद शुल्क में कटौती के अनुरूप मूल्यों में कटौती लागू करना साध्य नहीं है।

केरल में औद्योगिक प्रदूषण

1347. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके कारण बड़ी नदियों में प्रदूषण हो रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उन उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की अवधि की दौरान सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रदूषण समाप्त करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि 20 बड़े उद्योग प्रमुख

नदियों में अपने उपचारित बहिस्रावों का विसर्जन कर रहे है। इनमें से मैसर्स ग्रासिम उद्योग लिमिटेड, मवूर द्वारा उत्सर्जित बहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई शुरू की गई है।

(ग) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पद

1348. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी स्तर के कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा कब से; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी स्तर के 5395 पद हैं जिसमें से 800 अधिकारी अनुसूचित जाति और 135 अधिकारी अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) पदोन्नति कोटे से संबंधित 159 रिक्तियां वर्ष 1995 से संबंधित हैं और सीधी भर्ती से संबंधित 328 रिक्तियां वर्ष 1991 और उसके बाद की अवधि से संबंधित हैं।

(ग) पदोन्नति कोटे की रिक्तियां भारतीय खाद्य निगम द्वारा भरी जा रही हैं। फिलहाल सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पिछली बची रिक्तियों को भरने के लिए उपाय किए हैं।

भगवद् गीता की नीलामी

1349. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भगवद् गीता को महात्मा गांधी की प्रति की लंदन में नीलामी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नीलामीकर्त्ता के दावों का सत्यापन कराने के लिए लंदन में कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार महात्मा गांधी के भगवद् गीता की प्रति को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। भगवद् गीता की महात्मा गांधी की प्रति की नीलामी 9 नवम्बर, 1995 को लंदन में की गई थी।

(ख) से (घ) : भारत सरकार ने लंदन स्थित अपने उच्चायोग को पुस्तक प्राप्त करने के संबंध में समुचित कदम उठाने की सलाह दी थी। उच्चायोग ने सूचित किया है कि एक मानव प्रेमी, श्री मनुभाई माधवानी द्वारा पुस्तक की नीलामी में खरीद लिया गया था तथा भारत सरकार को भेजने के लिए उसने इसे पहले ही उच्चायोग को सौंप दिया है, ताकि इसे किसी उपयुक्त गांधी संग्रहालय अथवा अभिलेखागार में गांधी से संबंधित अन्य कागज-पत्रों के साथ रखा जा सके।

[हिन्दी]

सांडों की उन्नत नस्ल

1350. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उन्नत नस्ल के सांडों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को पूरा करने तथा गायों और अन्य पशुओं की नस्ल सुधार के लिए सभी जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में सांड उपलब्ध कराने तथा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उन्नत नस्ल के सांडों तथा हिमित वीर्य तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के एक नेटवर्क की व्यवस्था करते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने उन्नत नस्ल के सांडों तथा कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरंभ की हैं :—

1. राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से उन्नत नस्ल के सांडों की व्यवस्था करने के लिए सात केन्द्र सरकार के पशु प्रजनन फार्म तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नौ बुल मदर फार्मों की स्थापना की गई है।

2. उन्नत नस्ल के सांडों का हिमित वीर्य तैयार करने के लिए हैस्सर घट्टा (बंगलौर) में केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

3. हिमित वीर्य सांड केन्द्रों, हिमित कार्य बैंकों, हिमित वीर्य कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार" किया गया है।

4. आठवीं पंचवर्षीय योजना में, महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनन सांडों के उत्पादन तथा परीक्षण के साथ-साथ ड्राफ्ट नस्लों के संरक्षण तथा विकास के लिए राज्य गोपशु प्रजनन फार्मों तथा गोशालाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी के साथ "राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम" आरंभ किया गया है।

5. कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए हिमित वीर्य सांड केन्द्रों तथा तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सांडों का उत्पादन भी कर रहा

है तथा देश में उन्नत नस्ल के सांड तथा वीर्य उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान कर रहा है।

7. "रष्ट्रीय मेढ़ा तथा मृग उत्पादन" तथा "भारवाही पशुओं के संरक्षण" एवं विकास तथा सूअर विकास के अंतर्गत क्षेत्र में वितरण के लिए उन्नत किस्म के मेढ़ों, मृगों, घोड़ों, ऊंटों तथा सूअरों के उत्पादन करने के दृष्टिकोण से आधारभूत संरचना को सुदृढ़ तथा उसकी स्थापना करने के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि उपकरणों तथा उत्पादों के मूल्य

1351 **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उपकरणों तथा कृषि उत्पादों के मूल्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि उपस्करों तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों के बीच सन्तुलन कायम रखने के लिये कोई नई नीति नहीं बनाई है।

[अनुवाद]

आनन्द पद्धति पर दुग्ध सहकारिताएं

1352. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में भी आनन्द पद्धति पर दुग्ध सहकारिताएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहकारिताओं को स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उच्च गुणवत्ता का दूध उत्पादित हो और उसे उपभोक्ताओं को दिया जाए?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अयूब खान) : (क) और (ख) देश मे आनन्द पैटर्न पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सितम्बर, 1995 तक, 266 जिलों को शामिल करते हुए 170 दुग्ध शेडों में 91.7 लाख कृषक सदस्यों के साथ आनन्द पैटर्न की 71,596 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं। ऑपरेशन फ्लड में देश के सभी संभाव्य जिलों को शामिल किया गया है तथा ऑपरेशन फ्लड के अधीन सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए किसी नए जिले/राज्य की पहचान नहीं की गई है।

(ग) दूध के गुणवत्ता की निगरानी खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के अधीन की जाती है।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

1353. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपरेशन ब्लैकबोर्ड भारत के सभी गांवों में पहुंच चुका है;

(ख) दो शिक्षकों तथा दो कमरों की वृद्धि करने के कार्यक्रम के विस्तार के बाद सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है और स्कूलों के कितने कमरों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या उक्त सभी विद्यालयों को सभी प्राधिकृत उपस्कर उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डॉ० कृपा-सिंधु भोई) : (क) मूल रूप से इस योजना के अन्तर्गत सभी एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित करने तथा वर्ष 1987 से चल रहे सभी प्राथमिक स्कूलों को आवश्यक पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। यथा-प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता प्रायः पूर्ण रूप से प्रदान की गई है। आठवीं योजना के दौरान 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तृतीय शिक्षक उपलब्ध कराने तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए यह योजना बढ़ा दी गई है। आज तक 100 से अधिक नामांकन वाले 23000 प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षक स्वीकृत किया गया है तथा 33600 उच्च प्राथमिक स्कूलों को पठन-सामग्री स्वीकृत की गई है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण

1354. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के लिए धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) इन संगठनों द्वारा अब तक कितने वृक्ष लगाए गए हैं और उन्हें कहां-कहां लगाया गया है;

(ग) इन संगठनों द्वारा जितने वृक्ष लगाए गए उनमें से कितने वृक्ष जीवित रहे;

(घ) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा वृक्ष नहीं लगाने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य में स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र०सं०	स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम	1992 से 1995 तक दी गई कुल धनराशि (लाख रुपए)	स्थान का नाम जहां इन संगठनों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है।	लगाए गए वृक्षों की संख्या	उगाए गए वृक्षों की संख्या
क.	**राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना**				
1.	इन्टर नेशनल रूरल एजुकेशन एण्ड कलचरल एसोसिएशन, देदियापाड़ा, गुजरात	1.00	स्थानः—भड़ौच जिले में राजपुर, मोटा वेगुदेड़ मंकपुर, मजोठ, नौआगरेडिया।	1,60,000	1,25,000
2.	दि वनवासी महिला गृह उत्पादक सहकारी मण्डली, देदियापाड़ा, गुजरात	16.98	स्थानः— भड़ौच जिले में केवाड़ी, गड़ी, मोती सिंगलोटी घनतोली, जर्मनी, मोती कालबी, अम्बावादी, गंगपुर, कुनमादी, कुकार्दा, अजानवन, जरगाम, कोयलीवन, खोखराउमेर, कुण्डी अम्बा, बसना, मोजारा, कुनबुदा, नाना सुक अम्बा, निवालदा, निनघाट, कंकल-पिप्ला, ककारपाडा, कुनबार।	10,69,5000	सू०उ०नहीं
3.	आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम, अहमदाबाद गुजरात	2.72	स्थानः— भड़ौच जिले में खेदियापाड़ा, तिलपाड़ा, बाबदा, पिनगोट, पोम्पलापादा	2,55,800	सू०उ०नहीं
(ख)	**राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजना**				
1.	सर्वोदय पशु विकास सहकारी मण्डली लि०, अहमदाबाद, गुजरात	3.38	स्थानः— अहमदाबाद जिले में वनझर, भट फतेहवाड़ी, विशालपुर, पिराना और गिराठा	71,940	सू०उ० नहीं
2.	ग्राम्य विकास ट्रस्ट जामनगर, गुजरात	3.15	स्थानः— जामनगर जिले में गोरिंजा और गोरियारी	1,60,000 (लक्ष्य)	सू०उ०नहीं
3.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, नेहरू स्मारक, अहमदाबाद, गुजरात	2.01	स्थानः— राजकोट जिले में हिंगोलगढ़, भोड़नरा, खडकाना, अमरापुर, गुण्डाला, लालावदार	48,000 (लक्ष्य)	सू०उ०नहीं
4.	स्व—रोजगार महिला संघ अहमदाबाद, गुजरात	1,04	स्थानः—जूनागढ़ जिला	2,12,200	1,68,659
5.	विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट इंटरऐक्शन, अहमदाबाद गुजरात	0.77	स्थानः— मेहसाना जिले में कुवदा, समरपुर, नाना कोठासाना, और वंसवास	32,000 (लक्ष्य)	सू०उ०नहीं
6.	श्री आदिवासी मजूर कारीगर और कामदार विकास मण्डल, बलसाड़, गुजरात	0.77	स्थानः— वल्साद जिले में परिया, अम्वाक और कोपारली	32,000	सू०उ०नहीं

सू०उ०नहीं: सूचना उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवाएं

1355. **श्री बोल्ला बुल्ली राम्य्या :**
श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि समेकित बाल विकास सेवाओं से पूर्व प्राथमिक बच्चों की पोषक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन ब्लाकों में यह योजना लागू की गई है; और

(ग) देश के लगभग सभी हिस्सों में इस योजना को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी हां। केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा आयोजित नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि स्कूल-पूर्व बच्चों के पोषाहारीय स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ख) अद्यतन स्थिति के अनुसार, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत 3702 सामुदायिक विकास ब्लाक कवर किए जा चुके हैं।

(ग) सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को शीघ्रातिशीघ्र विश्व व्यापी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार, घरेलू संसाधनों के पूरक के रूप में, बाह्य संसाधन, विशेष रूप से विश्व बैंक तथा द्विपक्षीय दाता एजेन्सियों से संसाधन मुहैया कराने के लिए समन्वित प्रयास कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम

1356. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 4 सितम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एफ०सी०आई० इन स्पोर्ट ओवर गवर्नमेंट इंडिसीजन" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने यह उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले सकने के कारण निगम को अत्यधिक हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 25 चावल मिलों की स्थापना की थी परंतु आगामी दस वर्षों के दौरान जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक धान उत्पादन की संभावना थी उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई; और

(ङ) क्या इन्हीं मतभेदों के कारण पंजाब में 13.59 टन धान पड़ा है और मिलों ने उनकी भूसी निकालने से तब तक के लिए इंकार कर दिया जब तक उनकी मांग पूरी न हो जाए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 4 सितम्बर, 1995 की प्रेस रिपोर्ट मुख्य रूप से निगम में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, निगम द्वारा माडर्न राइस मिल्स स्थापित करने, चावल की निकासी और टोटे के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और धान मिल मालिकों के बीच विवाद, भण्डारण स्थान की कमी, भारतीय खाद्य निगम में कम स्टाफ आदि के संबंध में है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, निगम में शीर्ष पदों पर नियुक्ति "केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम" के अधीन की जाती है। इन सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की अन्य पदों पर नियुक्तियां केवल आवश्यकता-आधार पर की जाती हैं और यह निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की कुल संख्या की तुलना में नगण्य (केवल 22 अधिकारी) है।

निगम ने 1968 और 1977 के बीच 25 माडर्न राइस मिल स्थापित की हैं। यह उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त कर लिया गया है और विभिन्न घटकों के कारण इन मिलों का प्रचालन मितव्ययी नहीं रहा है, इसलिए निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन मिलों को बन्द कर दिया जाए और इनकी बिक्री/निपटान संबंधी कार्यवाई चल रही है।

हाल ही में, एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियां लागू करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं और कच्चे चावल की निकासी प्रतिशतता 67% और सेला-चावल के लिए निकासी प्रतिशतता 68% निर्धारित की गई है। भण्डारण संबंधी बाधाओं के कारण चावल मिलों के परिसरों में धान का भण्डारण किया गया था न कि प्रेस रिपोर्ट में बताए गए कारणों की वजह से। यह कहना भी सही नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने 35% तक टोटे की प्रतिशतता स्वीकार करने के लिए सिफारिश की थी। बकाया धान की मिलिंग करवाने के लिए भारतीय खाद्य निगम आवश्यक उपाय कर रहा है।

30.9.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 27.92 मिलियन मीटरी टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी जबकि इसके पास 19.36 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि निगम के पास भण्डारण स्थान की कोई कमी नहीं थी। किराये पर लिए गए भण्डारण स्थान का किराया बढ़ाने अथवा घटाने की शक्ति पूर्णतया निगम के पास है। जब कभी अपेक्षित होता है तब निगम अतिरिक्त क्षमता किराए पर लेने के लिए स्वतंत्र है।

यद्यपि, श्रेणी 3 और 4 के पदों में प्रवेश स्तर पर कुछ रिक्तियां हैं जिन्हें सीधी भर्ती पर रोक लगी होने के कारण नहीं भरा गया है फिर भी भारतीय खाद्य निगम में स्टाफ की कमी नहीं है। स्वीकृत स्टाफ संख्या केवल भण्डारण क्षमता के आधार पर ही निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि वास्तव में रखा गया स्टाक, कार्यभार आदि जैसे अन्य घटकों के आधार पर भी निर्धारित की जाती है।

यह कहना सही नहीं है कि गेहूं का कोई खरीदार नहीं है और 1991 में वसूल किया गया चावल अभी भी निगम के पास पड़ा हुआ है। वास्तव में पिछले 3-4 वर्षों के दौरान चावल की भारी वसूली होने के कारण निगम के पास 1991-92 फसल के चावल की नगण्य मात्रा उपलब्ध है। जहां तक गेहूं का संबंध है। 1993-94 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/खुली बिक्री के अधीन 87.64 लाख मीटरी टन गेहूं जारी किया गया था जबकि 1994-95 में 101.56 लाख मीटरी टन की मात्रा और 1995-96 के दौरान अक्तूबर, 1995 तक 50.67 लाख मीटरी टन की मात्रा जारी की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने राइस मिलिंग की आधुनिक तकनीकी के लाभों का प्रदर्शन करने की दृष्टि से पूरे देश में 25 माडर्न राइस मिल स्थापित की थी।

(ङ) यह तथ्य गलत है कि 1994-95 खरीफ मौसम के दौरान चावल मिल मालिकों ने भारतीय खाद्य निगम और एजेन्सियों द्वारा वसूल किए गए धान की मिलिंग करने में उस समय तक असहयोग का रवैया अपनाया था जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली गईं, जिसमें केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट क्रियान्वित करना, धान से चावल की प्राप्ति के अनुपात में कमी करना और पंजाब के पांच जिलों अर्थात् फिरोजपुर, फरीदकोट, अमृतसर, लुधियाना और कपूरथला में चावल में 40% तक टोटे की प्रतिशतता की छूट देना शामिल थे। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों और अन्य संबंधितों के साथ परामर्श करने के पश्चात् चावल की निकासी और एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियां लागू करने के मामले में 8 सितम्बर, 1995 और 28 सितम्बर, 1995 को अपने निर्णय भेजे हैं। भारतीय खाद्य निगम के सामने बकाया धान की मिलिंग करवाने की समस्या उत्पन्न हो गई है और इस प्रयोजन के लिए यह सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।

कुरियार कुट्टी-कारप्पारा विद्युत परियोजना

1357. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कुरियार कुट्टी-करप्परा विद्युत परियोजना को अपनी पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, नहीं। कुरियार कुट्टी-करप्परा विद्युत परियोजना को पश्चिमी घाटी में सदाबहार वनों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण मई, 1983 में पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर कर दिया गया था। पालघाट क्षेत्र की जल और विद्युत आवश्यकताओं की जांच करने के लिए तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा गठित एक अन्तर-राज्यीय विशेषज्ञ समिति ने संशोधनों का सुझाव दिया था जिनके आधार पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना है। पूरे पर्यावरणीय आंकड़ों और प्रबंध योजनाओं सहित संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में वृक्षों की कटाई

1358. डा० परशुराम गंगावार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में वृक्षों की अवैध कटाई की जानकारी है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान अब तक पोलीभीत जिले के उत्तर में शारदा नदी के किनारे पर और राष्ट्रीय दुधवा पार्क में अलग-अलग कितने वृक्ष काटे गए हैं;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बालिकाएं

1359. श्री शरत पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनीसेफ की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में काफी बड़ी संख्या में बालिकाओं के गुम होने की घटनाएं हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट देश में बालक-बालिकाओं के प्रतिकूल अनुपात के बारे में है जिसमें लड़को की तुलना में लड़कियों की कम संख्या दिखाई गई है। इससे लड़कियों के साथ भेद-भाव और महिलाओं का अपमान दर्जा परिलक्षित होता है किन्तु संविधान में प्रदत्त अनुकूल ढांचे तथा महिलाओं को समानता प्रदान करने वाले विभिन्न महिला-विशिष्ट और महिलाओं से संबंधित कानूनों तथा सरकार द्वारा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए अनेक कार्यक्रमों के फलस्वरूप साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, कार्यभागीदारी जैसे संसूचकों के आधार पर महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। प्रषव-पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए लिंग निर्वारण परीक्षणों का विनियमन करता है। बालिका भ्रूण हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ राज्यों ने कानूनी उपाय किए है।

बालिकाओं के प्रति सामाजिक रवैये और सोच में परिवर्तन लाने के लिए बालिका की सकारात्मक कृषि प्रदर्शित करने के प्रयास भी किए जा रहे है। महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए देश में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। बालिकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागृति उत्पन्न करने के लिए सरकार ने एक प्रचार अभियान भी शुरू किया है। बालिका की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दक्षेदस बालिका रक्षक (1991-2000 ई०) के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई है। समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से किशोर बालिकाओं के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए गए हैं।

तमिलनाडु और हरियाणा राज्य सरकारों ने बालिका की उत्तरजीविता, शिक्षा, विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निर्धन परिवारों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्कीमें चलाई हैं।

सभीत के लिए शिक्षा

1360. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में "सभी के लिए शिक्षा" योजना को आरंभ करने के लिए केन्द्रीय सरकारी को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र उन सात राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में से एक है जहां पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) की सहायता से पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जिला विशिष्ट आयोजना और पृथक लक्ष्य निर्धारण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। इस कार्यक्रम में आयोजना तथा प्रबन्ध के लिए सहभागी प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है, सभी स्तरों पर क्षमता का निर्माण करने पर बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम मे आदिवासियों तथा महिलाओं और पुरुषों में व्याप्त शैक्षिक असमानता पर ध्यान दिया जाता है और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं जैसे वंचित वर्गों की शिक्षा के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाता है।

पूर्वी घाट में वनों की कटाई

1361. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी घाट के वनों को कटाई से बचाने के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के साथ कोई विचार विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वनों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पूर्वी घाट क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में वननाशन को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, पूर्णतया पूर्वीघाट क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। वननाशन को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

1. वन और वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 लागू है।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग पर नियंत्रण रखा जाता है।
3. सुरक्षा कर्मचारियों को वेतार सेट, तीव्रगति के वाहन आदि जैसे संचार के आधुनिक साधन मुहैया कराए जाते हैं। वन उत्पादों को अवैध रूप से प्राप्त करने पर जांच रखने के लिए नाजुक क्षेत्रों में उड़न दस्ते गश्त लगाते हैं।
4. वनों के प्रबंधन में जन भागीदारी की अनुमति के लिए देश में संयुक्त वन प्रबंधन शुरू किया गया है।
5. ईधंन की लकड़ी के विकल्प के रूप में गोबर गैस और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
6. वनों के आस-पास वाली बस्तियों में ईधंन क्षम चूल्हों को शुरू किया गया है।
7. वनों पर दबाव कम करने के लिए काष्ठ विकल्पों और सामग्रियों की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाता है।
8. वृक्ष वृद्धि की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते है।

(ग) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में क्रमशः विश्व बैंक और स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, समन्वित वर्गीकरण और पारि-विकास स्कीम, लघु वनीपत स्कीम, मृदा संरक्षण स्कीम जैसी राज्य वन विभागों और केन्द्रीय सरकार की स्कीमों के तहत वर्गीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां शुरू की जाती हैं।

[हिन्दी]

पर्यावरण संबंधी समस्याएं

1362. श्री रामविलास पासवान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के कारण हो रहे द्रुत औद्योगिकीकरण से भविष्य में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बढ़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) त्वरित औद्योगिकरण के कारण किन्हीं भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के उपशंसन के उद्देश्य से नए उद्योग की स्थापना करने से पूर्व कतिपय एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) प्रस्तावित यूनिट को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थल मंजूरी लेनी होती है।

(2) प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराए जाने की आवश्यकता है तथा केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों से जरूरी सांविधिक अनुमोदन भी लेने होते हैं।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा इकाई को निर्धारित मानकों का पालन करना होता है।

भाषाओं के संवर्धन और विकास

1363. श्री राम पूजन पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के संवर्धन और विकास पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के संवर्धन और विकास पर भी धनराशि खर्च की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के दौरान प्रत्येक भाषा पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाषाओं के संवर्धन और विकास पर 1992-93 से 31.10.95 (आयोजना) तक व्यय।

(लाख रु० में)

भाषा	राशि
हिन्दी	2157.22
अंग्रेजी	277.78
*आधुनिक भारतीय भाषाएं	595.23
संस्कृत	1913.88
अरबी तथा फारसी	44.83

* इसमें असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु व उर्दू भाषाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित है।

[अनुवाद]

पूर्ण साक्षरता अभियान

1364. श्री केशरी लाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत नये साक्षरों के लिये कोई नई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसके लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं; जहां इसे आरम्भिक चरण में क्रियान्वित किया जायेगा। और योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) मे राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। *

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

* आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संपूर्ण साक्षरता अभियानों की अपनी प्रधान कार्यनीति के माध्यम से 15-35 वर्ष आयु-वर्ग के 100 मिलियन शिक्षुओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य है।

संपूर्ण साक्षरता अभियानों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होने के पश्चात्, नवसाक्षरों के लिए जिले में दो वर्षीय अवधि का एक उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किया जाता है ताकि पूर्ण साक्षरता अभियान चरण के दौरान नवसाक्षरों द्वारा प्राप्त बेसिक साक्षरता कुशलता को समेकित करके उसे बनाए रखा जा सके।

उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर साक्षरता अभियानों के दो वर्ष पूरा होने पर संबंधित जिलों के अन्तर्गत आने वाले नवसाक्षरों के लिए जनशिक्षण नियमों के माध्यम से सतत शिक्षा के रूप में एक नई योजना पुनः तैयार की जा रही है। इस संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य तथा तौर-तरीके सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रदूषणकारी उद्योगों का बंद किया जाना/हटाया जाना

1365. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 8 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं० 1235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों के बंद किए जाने/हटाए जाने के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने संबंधित सूचना नहीं भेजी है। इन बोर्डों और समितियों को अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही इसे सदन के पटल पर रखा जायेगा।

आवश्यक वस्तुओं का विनियन्त्रण

1366. श्री विजय एन० पाटील : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार प्रस्ताव कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य तेल और दलहन को छोड़कर अनेक आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय को विनियन्त्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यापारियों को निर्यात के लिये अनाज का भण्डार जारी करने को देखते हुए गेहूं मोटा अनाज और चावल लाइसेंस-कोटा प्रणाली को समाप्त करने के लिये किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रणों को उदार बनाया गया है। यहां तक कि, नारियल के तेल, ताड़ तेल, ताड़ गिरी तेल तथा आर०बी०डी० ताड़ स्टोयरिन को छोड़कर, खाद्य तेलों तथा दालों के आयात को घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है तथापि, देश में इन वस्तुओं को कम आपूर्ति तथा कम आपूर्ति के मौसम में उनके मूल्यों में वृद्धि के रुख को ध्यान में रखते हुए उनका निर्यात लाइसेंस के अधीन रखा गया है।

(ग) और (घ) कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात तथा आयात की नीति की निरंतर अनुवीक्षा की जा रही है तथा चावल, गेहूं और मोटे अनाज के निर्यात के लिए, देश के भीतर आपूर्ति तथा मूल्यों के रूप में उनके जल्दी प्रभावित होने वाले स्वरूप को देखते हुए, मात्रा की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन, अनुमति दी जा रही है। उपभोक्ता के लिए खाद्य सुरक्षा, सरकार की निर्यात-आयात नीति का मुख्य लक्ष्य है।

गया में प्रदूषण

1367. श्री प्रेम चन्द्र राम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत पुणरूद्धार परिषद, गया और अन्य संस्थाओं की ओर से गया, बिहार में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गया में प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत पुनरुद्धार परिषद, गया तथा अन्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकायतों की जांच की तथा प्रदूषण के कारणों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल ने स्थान का दौरा किया। यह सूचित किया गया है कि गया नगर की परिधि में राम शिला पहाड़ियों में अनेक क्रशर अत्यधिक निलम्बित धूलकण उत्सर्जित कर रहे थे जिससे प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता का ह्रास हुआ निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने पत्थर क्रशरों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

घटिया चावल

1368. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **खाद्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के निकट आर०के०पुरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब गुंणवत्ता के कारण चावल की बोरियां पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक सरकार ने चावल की कितनी मात्रा लेने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने रद्द स्टॉक को बढ़िया किस्म के चावल देकर बदल दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। गोदाम आर०के०पुरम में नहीं बल्कि के०आर० पुरम में है।

(ख) 12235 मीट्रिक टन चावल विनिर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया और इसकी गुंणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज है।

(ग) सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से जारी करने योग्य 30,000 मे०टन० चावल राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह स्टाक मजदूर हड़तालों के कारण, जो कि 21.2.94 से 27.4.94 कुल 14 महिने तक चला, लम्बे समय तक गोदाम में रहा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने चावल के थैलों की सफाई होने से पहले—जिस पर मजदूर हड़ताल के कारण वायु-प्रवाहन/संचारण, रोग निरोध एवं उपचारी कदम नहीं उठाये जाने से मकड़ी के जाल बन गये थे—इन स्टाकों का निरीक्षण किया।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चूंकि शिकायत के घेरे में पड़े स्टाक राज्य सरकार को जारी नहीं किया गया है, अतः स्टाक को बदल कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का विनियंत्रण

1369. **श्री राम नाईक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अगस्त, 1978 से चीनी पर के विनियंत्रण समाप्त किए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे उस समय के चीनी स्टाक रखने वाले लाइसेंसधारी आवंटियों (नामीनीज) के भण्डार को अनुपलभ्य(फ्रीज) बना दिया है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त कार्यवाही के कारण राज्य सरकार को घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुपलभ्य बनाई गई चीनी के कारण हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अनुरोध पर धनराशि अभी तक नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस बकाया धनराशि का निपटान न हो पाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया था कि वे स्टाक को अनुपलभ्य बना दें और इसका चीनी के थोक व्यापारियों को इसकी लागत पर निपटान कर दें।

(ख) से (घ) फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की 14.54 लाख रु० और कर्नाटक सरकार का 23.87 लाख रु० का दावा इस मंत्रालय के विचाराधीन है;

महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे लागत मूल्य से कम मूल्य पर चीनी की बिक्री संबंधी परामर्श की प्रतियां भेजे। कर्नाटक सरकार से वसूली की दरों, बिक्री प्राप्तियों आदि के संबंध में सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी

1370. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाए गये हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में से किसी परियोजना को विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से प्राप्त हो रही है और उसकी परियोजना वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में 1995-96 में विश्व बैंक की सहायता से 245.94 करोड़ रुपए की लागत से एक वृहत् वानिकी परियोजना चलाई गई है। चार वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान राज्य में लगभग 2,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक से 58 मिलियन अमरीकी डालर लगभग 185 करोड़ रुपए की सहायता है। इस परियोजना को 29 सितम्बर, 1995 से प्रभावी घोषित किया गया और यह कार्यान्वयन के शुरुआती चरणों में है।

कीटनाशकों का दुरुपयोग

1371 **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आत्महत्याओं के लिए कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) क्या कीटनाशक दावाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति ने सरकार को 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो समिति ने निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा समिति द्वारा किए गए सुझावों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कीटनाशक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार को ऐसी कोई प्राधिकृत सूचना नहीं मिली है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार द्वारा कृमिनाशी दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं:—

(एक) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें कृमिनाशी दवाओं के रख-रखाव, उपयोगों, बरती जाने वाली सावधानियों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों तथा अन्य उपयोग कर्त्ताओं को प्रशिक्षण देती है।

(दो) किसानों तथा आम जनता को कृमिनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिये सरकार पर्चे, पोस्टर, फिल्में आदि निकालती है।

(तीन) सरकार समेकित कृमि प्रबंध प्रौद्योगिकी की धारणा को बढ़ावा दे रही है जिसमें कृमि नियंत्रण के लिए कृषि यांत्रिक और जीव वैज्ञानिक विधियां तथा कृमिनाशी दवाओं का विवेक पूर्ण उपयोग प्रतिपादित है।

[अनुवाद]

लम्बित पड़े उपभोक्ता मामले

1372. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में कितने उपभोक्ता मामले 90/150 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन न्यायालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 30.9.1995 को तीन महीने से अधिक अवधि के 9315 मामले जिला उपभोक्ता मंचों में अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) राज्य सरकार मामलों को तेजी से निपटाने के लिए दो और जिला मंच स्थापित करने के प्रयास कर रही है।

कृषि संबंधी ऋण के लिए सहायता

1373. श्री ए०इन्द्रकरण रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार कुल कितनी राशि वितरित की गयी;

(ग) किन अभिकरणों द्वारा यह राशि वितरित की गई; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ अगले दो वर्षों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार खरीफ 1993 तक राज्य सरकारों को हर साल खरीफ तथा रबी मौसम के लिए अलग-अलग अल्पावधिक ऋण दे रही थी ताकि वे उर्वरक बीज और कीटनाशी जैसे कृषि आदनों की खरीद कर सकें और उसे समय से किसानों को उपलब्ध करा सकें। वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों को स्वीकृत किये गये अल्पावधिक ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्यों को अल्पावधिक ऋण दिए जाने की इस योजना को रबी 1993-94 से बन्द कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों को स्वीकृत किये गये अल्पावधिक ऋण

क्र०सं०	राज्य	(करोड़ रु० में) 1993-94 (केवल खरीफ मौसम के लिए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.55
2.	कर्नाटक	6.50
3.	केरल	0.93
4.	तमिलनाडु	7.81
5.	गुजरात	6.85
6.	मध्य प्रदेश	10.77
7.	महाराष्ट्र	18.32
8.	राजस्थान	10.51
9.	हरियाणा	5.45
10.	पंजाब	8.45
11.	उत्तर प्रदेश	17.66
12.	हिमाचल प्रदेश	1.38
13.	बिहार	19.10
14.	उड़ीसा	7.85
15.	पश्चिम बंगाल	12.81
16.	त्रिपुरा	0.51
17.	मेघालय	0.10
	योग	149.99

[हिन्दी]

"यूरिया" का आयात

1374 श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान यूरिया का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान यूरिया के आयात पर कितनी ध नराशि खर्च की गई; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान यूरिया के आयात पर कितनी धनराशि खर्चे किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयातं किए गए यूरिया की मात्रा और मूल्य निम्न सारणी में दिए गए हैं:—

वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मीटरी टन)	लागत एवं भाड़ा (करोड़ रुपये में)
1993-94	28.40	1053.05
1994-95	28.84	1610.17

(ग) चालू वर्ष तथा 1996-97 के दौरान आयात किये जाने वाले यूरिया की मात्रा और उसके मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यूरिया का आयात विभिन्न कारकों जैसे — स्वदेशी उर्वरकों के उत्पादन और देश में उनकी खपत का रुख, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की स्थिति, विश्वव्यापी मांग और आपूर्ति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है।

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

1375. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित धान विकास कार्यक्रम के बजाय समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य के सभी खण्डों को इस नये कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने और उपकरणों के लिए सहायता के अंतर्गत पावर टिलर थ्रेशर आदि जैसी मशीनों को शामिल करने और आई०पी० आर०डी० के अंतर्गत खरपतवार नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के लिए तदर्थ आधार पर सहायता जारी रखने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का कर्यान्वियन इस समय गुजरात सहित देश के 6 राज्यों में किया जा रहा है। यह योजना समेकित फसल प्रणाली एप्रोच पर आधारित है। समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम नाम की कोई योजना गुजरात अथवा देश में नहीं चलाई जा रही है।

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, मोटे, अनाज के अंतर्गत फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक प्रशिक्षण के आयोजन प्रमाणित बीजों के वितरण, अभिज्ञात उन्नत कृषि उपस्कर, छिड़काव सिंचाई यंत्रों, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए ग्राम पंचायतों को पुरस्कार आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम मोटा अनाज योजना समग्रतः उन सभी ब्लाकों में चलाई जा रही है जिनका उत्पादकता स्तर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता से कम है। गुजरात राज्य में ऐसे ब्लॉकों की संख्या 170 है। इस योजना में अन्य उपस्करों के अलावा हस्तचालित धान थ्रेशर तथा विद्युत चालित मल्टी क्रांप थ्रेशर शामिल हैं परन्तु पावर टिलर शामिल नहीं हैं। समेकित अनाज कार्यक्रम मोटा अनाज योजना में खरपतवार नियंत्रित करने वाले कीटनाशियों के लिए सहायता का कोई प्रावध ान नहीं है। इस समय आई०पी०आर०डी० नामक कोई योजना नहीं है।

स्वैच्छिक संगठन

1376. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर गुजरात के जन-जातीय क्षेत्र में संगठनात्मक सहायता द्वारा कितने स्वैच्छिक संगठनों को लाभ हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे लाभप्राप्त संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय में सहायता संबंधी मंजूरी के लिए कोई आवेदन पत्र लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार पिछड़े/जन-जातीय क्षेत्रों के और कुल कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ङ) विलंब के क्या कारण हैं तथा इन आवेदन पत्रों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों के लिए संगठनात्मक सहायता की योजना का प्रचालन कल्याण मंत्रालय व महिला व बाल विकास विभाग करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत 1992-93 से 1994-95 के दौरान देश में 312 संगठनों को सहायता दी गई थी जिसमें से 17 गुजरात में स्थित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित संगठनों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार है :—

आंध्र प्रदेश	11
असम	2
बिहार	36
गुजरात	17
हरियाणा	3
जम्मू व कश्मीर	11
कर्नाटक	3
केरल	17
महाराष्ट्र	17

मध्य प्रदेश	12
मणिपुर	1
उड़ीसा	8
पंजाब	3
राजस्थान	24
तमिलनाडु	30
उत्तर प्रदेश	55
पश्चिम बंगाल	37
दिल्ली	25

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेहरू स्मारक पैविलियन

1377. श्री वाइस जॉन अंजलोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपेल्ली में नेहरू स्मारक पैविलियन के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

खेती करने की पोडू पद्धति

1378. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पोडू पद्धति से खेती हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में खेती करने की पोडू (झूम/स्थानांतरण) पद्धति पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो खेती करने की पोडू पद्धति को रोकने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विशिष्ट नई प्रौद्योगिकी का नाम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) अनुमान है कि भारत के 11 राज्यों में 49.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पोडू/झूम खेती के अंतर्गत आता है। राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.10
3.	असम	1.39
4.	बिहार	0.81
5.	मध्य प्रदेश	1.25
6.	मणिपुर	3.60
7.	मेघालय	2.65
8.	मिजोरम	1.89
9.	नागालैन्ड	6.33
10.	उड़ीसा	26.49
11.	त्रिपुरा	1.12
	योग	49.13

(ग) पोडू/झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इस प्रकार की खेती के दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी अस्तित्व में है, जिसकी विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने सिफारिश की है/इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के झूम खेती वाले क्षेत्रों में 1994-95 में पनधारा विकास की योजना चलाई गई है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक-भू उपयोग/प्रौद्योगिकी को लागू करके इस प्रथा के दुष्प्रभावों की रोकथाम करना है, जिससे सतत् आधार पर उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार होगा।

[हिन्दी]

नए बाघ अभयारण्य

1379. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत तीन नए बाघ अभयारण्यों को स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ताकि बाघों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. मध्य प्रदेशः — अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य;
   — उदन्ती वन्यजीव अभयारण्य; तथा
   — बोरी—सतपुड़ा अभयारण्य।
2. कर्नाटकः — नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान; तथा
   — भद्रा वन्यजीव अभयारण्य।
3. उत्तर प्रदेश — कटारनीघाट अभयारण्य।

4. आंध्र प्रदेश — गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य।

(घ) बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित संसाधनों तथा अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 8वीं योजना अवधि के दौरान पहले से विद्यमान तेईस क्षेत्रों से बाहर स्कीम के अन्तर्गत किसी नए क्षेत्र को शामिल करने पर विचार न किया जाए। तथापि, राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे बाघों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त उपाय करें।

दालें

[अनुवाद]

1380. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में दालों की अनुमानित कमी कितनी थी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान खुदरा मूल्य स्तर में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का दालों को आम लोगों के सेवन वाली अनिवार्य वस्तु के रूप में खुले जनरल लाइसेंस में रखने या कम से कम दालों के उदारतापूर्वक आयात की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा, आयात करने वाली एजेन्सी का नाम, अनुमानित लागत, बीमा भाड़ा मूल्य और आयातित और स्वदेशी दालों के मूल्यों में अंतर संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) देश में दालों की अनुमानित कमी लगभग 50 लाख मी० टन की है।

(ख) अप्रैल और अक्तूबर, 1995 में चुने हुए केन्द्रों पर दालों के मास-अन्त के खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने पहले ही दालों को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया है और आयात बढ़ाने के लिए दालों पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, दालें खाने योग्य तिलहन (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में इस आदेश के तहत आयातित दालों को निर्धारित भंडारण सीमा से बाहर रखने के लिए संशोधन किया गया है।

(घ) सरकार का सरकारी खाते में दालों का आयात करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान चुने हुए केन्द्रों पर दालों के मास-अन्त के खुदरा मूल्य

मदें केन्द्र	खुदरा मूल्य अप्रैल 1995	(रु० प्रति कि०ग्रा०) अक्तूबर 1995
1	2	3
चना		
दिल्ली	13.00	14.00
बम्बई	15.00	15.00
कलकत्ता	16.00	15.00
मद्रास	13.00	12.50
अरहर		
दिल्ली	19.00	30.00
बम्बई	23.00	29.00
कलकत्ता	19.00	28.00
मद्रास	28.00	28.00
मूंग		
दिल्ली	24.00	23.00
बम्बई	23.00	23.60
कलकत्ता	22.00	24.00
मसूर		
दिल्ली	19.00	20.00
बम्बई	18.00	19.00
कलकत्ता	20.00	25.00
उड़द		
दिल्ली	36.00	36.00
बम्बई	38.00	32.00
कलकत्ता	24.00	25.00

स्रोत : (i) राज्य सरकारों के नागरिक आपूर्ति विभाग।
(ii) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति

1381. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष से आज तक कितने लोग किस-किस तरह के कुपोषण से पीड़ित हैं;

(ख) सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पोषाहार नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार नीति को कार्यान्वित करने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(घ) राष्ट्रीय पोषाहार परिषद् (एन०एन०सी०), जिसे इस नीति को कार्यान्वित करने पर नजर रखने हेतु एक शीर्षक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है; में राष्ट्रीय पोषाहार नीति के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है; और

(ङ) देश में अधिकतम पोषण के उद्देश्य को कब तक प्राप्त करने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री : (कुमारी विमला वर्मा) : (क) गत वर्ष आयोजित सर्वेक्षणों के परिणाम एक वर्ष के बाद प्राप्त होने की संभावना है।

(ख) सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषाहार नीति के घटक हैं – कुपोषण की बहु-आयामी समस्या के उपशमन के लिए बहु-क्षेत्रीय समाधान तथा कमज़ोर वर्गों के लिए सीधे पोषाहार कार्यक्रम चलाना और बेहतर पोषाहार हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए लघु अवधि उपायों के साथ-साथ दीर्घाकालिक संस्थागत तथा संरचनात्मक परिवर्तन लाना।

(ग) देश में राष्ट्रीय पोषाहार नीति को कार्यान्वित करने के लिए अवसंरचना के रूप में सरकार के संबंधित क्षेत्रों के सहयोग से एक राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना तैयार की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया था, जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें संबंधित क्षेत्रों के मामलों पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों को वर्ष 1994-95 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय समर्थन कार्यशालाओं के माध्यम से पोषाहार नीति तथा अल्प-पोषण, कुपोषण-नियंत्रण के बारे में जानकारी दे दी गई है।

(घ) योजना आयोग में स्थापित राष्ट्रीय पोषाहार परिषद् की प्रथम बैठक की तैयारियां की जा रही हैं।

(ङ) कुपोषण की विभिन्न किस्मों के नियत्रण तथा उन्मूलन के लिए पोषाहार नीति में पोषाहार को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई है। परन्तु देश में आदर्श पोषाहार हासिल करने के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई।

चीनी का निर्यात

1382. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य को चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 के अधीन एक अधिसूचित निर्यात संस्था, भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि० (आई०एस०जी०आई०ई०आई०सी०) द्वारा चीनी का निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

नकली विश्वविद्यालय

1383. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों के हित में नकली विश्व-विद्यालयों और उनकी अवैध उपाधियों/डिप्लोमा के बारे में घोषणा करने के लिए समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रानिक प्रचार-माध्यम का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वाली विश्वविद्यालयों के संबंध में सूचना दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समाचारों के माध्यम से समय-समय पर प्रसारित करता रहता है। आयोग अपनी समाचार परिपत्र (न्यूजलैटर) में जाली विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रकाशित करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ "रोजगार समाचार" और अपनी साप्ताहिक पत्रिका 'विश्वविद्यालय समाचार" में समय-समय पर अधिसूचनायें जारी करता है जिसमें विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ से स्वघोषित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में स्थिति को सुनिश्चित कर लें।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ व्यापक पुस्तिका प्रकाशित करता है जिसमें विद्यार्थियों और दूसरों के लाभ के लिए देश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के संबंध में सूचना होती है।

सीमेंट की गुणवत्ता

1384. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट के अनेक कारखाने घटिया किस्म के सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय जो कि प्रशासनिक रूप में विषय से संबंधित है ने सूचित किया है घटिया किस्म के सीमेंट के उत्पादन के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो सीमेंट को विभिन्न किस्मों पर अपने मानक चिह्न के उपयोग के लिए उसके द्वारा जारी लाइसेंसों के प्रचालन पर निगरानी रखने के लिए आवधिक जांच करता है। गत दो वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने लाइसेंसों के बारे में स्वतंत्र परीक्षण के लिए 3207 नमूने लिए, जिनमें से 369 नमूने संगत मानकों को एक या अधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाए गए जिन मामलों में स्वतंत्र परीक्षण में नमूनों के अपेक्षाओं के अनुरूप न होने की पुनरावर्ती देखी गई, वहां "चिह्नांकनरोक दें" के आदेश लागू कर दिए गए।

2. भारतीय मानक बयूरो ने यह भी सूचित किया है कि 5 सीमेंट कारखानों के विरुद्ध उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वे सीमेंट बनाने के लिए खंगर (क्लिन्कओं) पीसते समय मिलावट कर रहे हैं। दो मामलों में शिकायतें प्रमाणित नहीं हो सकीं। एक मामले में नमूना स्वतंत्र परीक्षण में फेल हो गया। शेष 2 मामलों में नमूने का परीक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में हिन्दी शिक्षक

1385. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में सृजित नये पदों पर नियुक्त हिन्दी शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाले केन्द्रीय सहायता को अचानक स्थगित और रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) से (ग) 1992-93 से 1994-95 तक आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार को आठवीं योजना अवधि के दौरान सृजित हिन्दी शिक्षकों के 600 पदों के लिए 4.12 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। आठवीं योजना अवधि के अन्त तक इन पदों के लिए सहायता देना जारी रहेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों संबंधी शैलजा समिति

1386. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित शैलजा समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को कारगर ढंग से और निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित करने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) तत्कालीन उप मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) कु० शैलजा की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 50 सिफारिशें की गई हैं जिसके अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रबंधन ढांचे, प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक मामलों सहित उसके सभी क्षेत्र आ जाते हैं। समीक्षा समिति की रिपोर्ट की एक प्रति, उसकी सिफारिशों सहित, संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी निकाय ने अपनी आवधिक बैठकों में समीक्षा समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की मानीटरिंग करने का निर्णय लिया है।

सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

1387. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां जापान से भारत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्थियों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई परीक्षण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस विषय पर अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

1388. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को अनुदान की कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या इस जारी की गई राशि का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई ऐसी धनराशि उचित उपयोग की जांच करने की कोई विधि है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम के ग्रामीण इलाकों में हिन्दी का प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रदान की गयी राशि निम्न प्रकार है :—

1992-93	:	कुछ नहीं
1993-94		15,82,402/-रुपए
1994-95	:	15,82,402/-रुपए

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदान से संबंधित लेखाओं को अनुदानग्राही संस्थान द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं की जांच सनदी लेखपाल द्वारा की जाती है और उनके द्वारा जारी की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर केन्द्रीय सरकार अनुदान के लिए उपयोग प्रमाणपत्र जारी करती है। आवश्यक होता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भी अनुदानग्राही संस्थाओं के दौरे करता है और समय-समय पर लेखाओं की जांच करता है।

(ङ) हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर, शहरी क्षेत्रों में स्थित अन्य स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ विचार किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1992-93 से 1994-95 में असम के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 23 स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में ईंधन की आवश्यकता

1389. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में लोग ईंधन संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं;

(ख) क्या भारी भूस्खलन बड़े पैमाने पर द्रुमीवनों की कटाई का परिणाम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गए/किये जाने का विचार है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी एकत्रित की जाती है।

(ख) विभिन्न भौतिक और जलवायु संबंधी कारकों के मिल जाने से भूस्खलन होता है और वन नाशन के कारण यह अधिक बढ़ जाता है।

(ग) वन नाशन पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 को वन और वन्यजीव अपराधों पर रोक लगाने के लिए लागू किया जाता है।
2. भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधों के तहत वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंतरण पर निगरानी रखी जाती है।
3. सुरक्षा कर्मचारियों को वेतार सेट, तीव्र गति के वहन आदि जैसे संचार के आधुनिक साधन मुहैया कराए जाते हैं। वन उत्पादों को अवैध रूप से प्राप्त करने पर जांच रखने के लिए नाजुक क्षेत्रों में उड़न दस्ते गश्त लगाते हैं।
4. वनों के प्रबंधन में जन भागीदारी की अनुमति के लिए देश में संयुक्त वन प्रबंधन शुरू किया गया है।
5. ईंधन की लकड़ी के विकल्प के रूप में गोबर गैस और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
6. वनों के आस-पास वाली बस्तियों में ईंधन क्षम चूल्हों को शुरू किया गया है।
7. अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न राज्यों में व्यापक वनीकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं।
8. वनों पर दबाव कम करने के लिए काष्ठ विकल्पों और सामग्रियों की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाता है।
9. वृक्ष वृद्धि की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

अहिल्याबाई की दूसरी जन्मशती

1390. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 अहिल्याबाई का दूसरा जन्मशती वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहिल्याबाई का जन्मशती वर्ष मनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है।

राष्ट्रीय समिति की बैठक दिनांक 11.11.1995 को इंदौर में हुई है। बैठक में लिये गए मुख्य निर्णयों को दर्शाने वालों एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय समिति की दिनांक 11.11.95 को हुई बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

(एक) अहिल्यावाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महेश्वर एवं देव गुरादियों में सार्वजनिक स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अहिल्याबाई से जुड़े स्थानों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

(दो) अहिल्याबाई की स्मृति में भारत सरकार द्वारा पांच लाख रुपये की राशि का एक वार्षिक पुरस्कार संस्थापित किया जाना चाहिए। पुरस्कार ऐसी महिला को दिया जाना चाहिए, जिसने सार्वजनिक सेवा, प्रशासन और भारतीय संस्कृति एवं विरासत में परिरक्षण हेतु उल्लेखनीय योगदान दिया हो। पुरस्कार के कारकों पर विचार करते समय प्रशासकीय सक्षमता पर बल दिया जाना चाहिए।

(तीन) अहिल्याबाई की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए।

(चार) अहिल्याबाई के जीवन पर एक टी०वी० धारावाहिक तैयार करने एवं उसे प्रसारित करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया जाना चाहिए।

(पांच) देवी अहिल्याबाई चैरिटी ट्रस्ट, इंदौर जो अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिरों, घाटों, एवं धर्मशालाओं का रख-रखाव करता है, को इनके समुचित रख-रखाव के लिए सहायता प्रदान की जाती चाहिए।

(छ) भारत सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्थापित लाल बाग संग्रहालय में एक विशेष अहिल्याबाई एकक की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

(सात) मानव संसाधन विकास मंत्री को सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे द्विशती की अवधि के दौरान "अहिल्याबाई के विचार और मूल्य" विषय पर शैक्षिक संस्थाओं में सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन करें।

[अनुवाद]

खाद्य तेल

1391. डा० बसंत पवार : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनकि वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खाद्य तेलों का कितना निर्यात किया गया और 1996 में कितना निर्यात होने की संभावना है;

(ख) खाद्य तेलों का 30 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार कितना भंडार है; और

(ग) आयातित खाद्य तेलों का लागत बीमा, भाड़ा पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत और देश में उसका औसत मूल्य क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सरकार की निर्यात तथा आयात नीति के तहत चुने खाद्य तेलों का 5 कि० ग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में निर्यात करने की अनुमति है। ये निर्यात बहुत कम है और निर्यात की गई वास्तविक मात्रा के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) 28.11.95 की स्थिति के अनुसार राज्य व्यापार निगम के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित पामोलीन का 17,953 मी०टन का स्टॉक था।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य तेल की लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीददारी की जाती है। इन प्रभारों में से प्रत्येक का अलग-अलग मूल्य उपलब्ध नहीं है। जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है खाद्य तेल का निर्यात केवल 5 कि०ग्रा०के पैकों में किया जाता है; थोक में नहीं किया जाता है। खाद्य तेल के निर्यात की पोतपर्यन्त निःशुल्क (एफ०ओ०बी०) दरें उपलब्ध नहीं हैं। खाद्य तेल के देशीय मूल्य प्रत्येक किस्म के लिए अलग-अलग हैं।

[हिन्दी]

दलहन उत्पादन

1392. श्री मोहन रावले :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में विभिन्न दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये उपाय किस हद तक सफल सिद्ध हुए हैं;

(घ) देश में दालों में मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने हेतु सरकार का कुछ अन्य उपाय करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 25 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में चलायी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत किसानों को बीजों के उत्पादन और वितरण राइजोबियम कल्चर, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत फार्म उपस्करों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अग्रणी प्रदर्शनों और राज्यों के कृषि विभागों के ब्लाक प्रदर्शनों के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

(ग) दलहनों का उत्पादन 1991-92 के 12.02 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1994-95 में 14.46 मिलियन मीटरी टन तक पहुंच गया है।

(घ) और (ङ) आयात के माध्यम से अंतराल को पूरा किया जा रहा है। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में आयात की गयी मात्रा क्रमशः 3,83, 6.28 और 5.55 लाख मीटरी टन थी। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से अगस्त तक) के दौरान आयात की गयी मात्रा 11.37 लाख मीटरी टन है।

साक्षरता अभियान

1393. डा० सालीजी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) प्रदान की गई राशि में से उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए प्राइमरी स्कूलों की प्रतिशतता क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उत्तर प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 9.58 करोड़ रु०, 25.67 करोड़ रु० और 22.62 करोड़ रु० के सहायता अनुदान प्रदान किए गए थे।

(ख) अभी तक केवल 23.10 करोड़ रु० उपयोग किए गए हैं क्योंकि साक्षरता अभियान कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल साक्षरता कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं।

[अनुवाद]

महिला और बाल कल्याण योजनाएं

1394. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में महिला और बाल कल्याण संबंधी अनेक योजनाओं का कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेफेड की शाखाएं

1395. श्री राम पाल सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में राष्ट्रीस कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ (नेफेड) की शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें इन शाखाओं को खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम रूप से कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नेफेड ने 20.1.94 से दुबई (जबल अली — मुक्त व्यापार क्षेत्र) में एक शाखा खोली है। इस समय विदेश में कोई और शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रिज क्षेत्र का अतिक्रमण

1396. श्री छेदी पासवान :
श्री कुन्जी लाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली क्षेत्रों से सभी अतिक्रमणों को, जिनसे दिल्ली की हरियाली कम हो रही है, को हटाने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या पोलो-ग्राउंड को तथा सैनिक और अर्द्ध-सैनिक बलों के परिसर सहित सरकार, धार्मिक संस्थओं और निजी व्यक्तियों द्वारा किये गये अन्य अतिक्रमणों को हटाने की दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत दिल्ली के समस्त रिज क्षेत्रों को उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सुरक्षित वन बनाए जाने के सरकारी आशय से अधिसूचित किया गया है। अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व विभिन्न पार्टियों द्वारा दायर दावों पर विचार करने हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी निकुक्त किया गया है। इन दावों पर निर्णय लेते समय वन बन्दोबस्त अधिकारी शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के भूमि और विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को किए गए आवंटनों पर विचार करेगा। अवैध कब्जों को हटाने का निर्णय वन बदोबस्त अधिकारी द्वारा इस मामले में उचित आदेश जाने के पश्चात ही लिया जा सकता है।

आदिवासियों में साक्षरता

1397. श्री महेश कनोडिया :
श्री कांशीराम राणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों में निरक्षरता को दूर करने और साक्षरता का प्रसार करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से गुजरात के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सभी के लिए शिक्षा के समेकित दृष्टिकोण के अन्तर्गत, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, स्कूल बीच में ही छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों, जिनमें गुजरात के जनजाति जिले भी सम्मिलित हैं, में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। चल रही आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत लगभग सभी प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित कर लिया गया है। 9-35 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत गुजरात राज्य के भी सभी जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है।

(ग) साक्षरता अभियान के अन्तर्गत किसी भी संख्या का वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता-मिशन का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग के 100 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। तथापि, सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाए गए सभी संभावित शिक्षुओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

अखिल भारतीय चावल निर्यातक परिसंघ

1398. श्री राम कृपाल यादव :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चावल निर्यातक परिसंघ ने सरकार से खुले बाजार में चावल की प्रचलित दर से एक रुपया कम दर पर चावल बेचने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संघ को इसकी अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) सरकार को अखिल भारतीय

चावल निर्यातक परिसंघ सहित निर्यातकों से भारतीय खाद्य निगम के खुले बाजार के बिक्री मूल्य से कम मूल्यों पर चावल की आपूर्ति करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी की वर्षगांठ

1399. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण क्या हैं;

(ख) उनके जीवन से सम्बद्ध कौन-सी मुख्य वस्तुओं और स्थानों को विरासत के रूप में रखा गया और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 2 अक्टूबर, 1995 को इंडिया गेट, नई दिल्ली पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो उस मूर्ति को न लगाने का क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा विवरण-III में प्रस्तुत है।

विवरण-I

महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती समारोह की मुख्य विशेषताएं

मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सभा को संबोधित किया। दिनांक 2 अक्टूबर, 1995 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सभा को संबोधित किया।

(2) एक अंतरराष्ट्रीय वार्षिक गांधी शांति पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। पुरस्कार में एक करोड़ रुपए की राशि एवं एक प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के लिए पांच करोड़ रुपए तथा साबरमती, बैरकपुर, पटना, मदुरई और बंबई स्थित क्षेत्रीय गांधी संग्रहालयों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की एक संचित निधि सृजित की गई है।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में पंचायतों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(5) देश में 125 खंडों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

(6) 45.00 लाख रुपए का अनुदान कस्तूरबा न्यास (गुजरात) को और 18.00 लाख रु० का अनुदान कस्तूरबा आश्रम (गुजरात) को उनके विकास व अनुरक्षण के लिए प्रदान किया गया है।

(7) प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित एक संस्थान की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(8) नेहरू युवक केन्द्र संगठन नामक स्वायत्त संगठन ने "मानवता यात्रा" का अयोजन किया, जिसे दिनांक 2.10.95 को पोरबन्दर से प्रारंभ किया गया और जो सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) में समाप्त हुई।

(9) महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। समितियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/कार्याकलाप प्रारंभ किए गए हैं।

(10) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा "अभिलेख और महात्मा गांधी-दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रही" नामक एक प्रदर्शनी। नवंबर, से 7 दिसंबर, 1994 तक आयोजित की गयी।

(11) वर्धा में एक अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

(12) दो गांधी पीठ, एक जामिया-मिलिया में और दूसरा किसी अन्य विश्वविद्यालय में, स्थापित किए जा रहे हैं।

(13) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में गांधी वादी अध्ययन के लिए 12 शोध एसोसिएटशिप प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण-II

मुख्य वस्तुएं एवं स्थान, जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े विरासत के रूप में परिरक्षित रखे गए हैं परिरक्षित किए जायेंगे

मुख्य वस्तुएं एवं स्थान निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में महात्मा गांधी से संबंधित 40,000 मदें और 400 माइक्रोफिल्म रोल्स की सामग्री का एक विशाल संग्रह है। ये सामग्रियां परिवेशी भंडारण स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में परिरक्षित की गई हैं।

2. वाल्मीकि भवन परिसर, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली, जहां गांधीजी ठहरते थे, के जीर्णोद्धार के लिए श्री सादिक अली की अध्यक्षता में एक संकल्पना समिति का गठन किया गया है।

3. चंपारण और आस-पास की संपदाओं के जीर्णोद्धार और पटना में सदाकत आश्रम के सुधार के लिए बिहार के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक संकल्पना समिति का भी गठन किया गया है।

विवरण-III

इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा की अधिस्थापना

महात्मा गांधी के 125वीं जयंती समारोह के समापन के अवसर पर 2.10.95 को महात्मा गांधी की प्रतिमा अधिस्थापित करने के बारे में तत्कालीन रेल मंत्री की अध्यक्षता में 22.12.94 को हुई भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती समारोह की संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया।

इंडिया गेट के प्रस्तावित अगस्त क्रांति उद्यान, जिसका नाम "सी" षड्भुज है, में महात्मा गांधी की प्रतिमा अधिस्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल खोजने का प्रश्न अभी विचाराधीन है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

छतरी हटाने के कथित प्रस्ताव के विरुद्ध दिल्ली के संरक्षण सोसायटी और इंटाक द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (सी०डब्ल्यू० पी० संख्या 2725/94) दायर की गयी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी, भारत संघ को छतरी को परिवर्तित करने, विकृत करने या नष्ट करने से उन्हें रोकने हेतु आदेश पारित किया है। इस तरह, मामला न्यायालय के अधीन है।

महात्मा गांधी की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निवासी मूर्तिकार श्री सी०आर०एस० पटनायक को सौंपा गया है प्रतिमा निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

1400. श्री वृक्षिण पटेल :
श्री नीतीश कुमार :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के अधिक उत्पादन को देखते हुए चीनी के निर्यात का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया;

(ग) सितम्बर, 1994 और अक्तूबर, 1995 के बीच कितनी मात्रा में चीनी के निर्यात करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) क्या चीनी का उक्त निर्यात वास्तव में किया गया था, और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और निर्यात हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और वास्तव में निर्यात की गई चीनी की मात्रा में अंतर रहने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्यिक तथा तरजीह निर्यात के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात की गई मात्रा इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1992-93	3.63
1993-94	2.85
1994-95	शून्य

(ग) सितम्बर, 1994 तथा अक्तूबर, 1995 के दौरान 5.19 लाख टन की मात्रा जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को 0.19 लाख टन तरजीह कोटा तथा 5 लाख टन वाणिज्यिक निर्यात शामिल है, अधिसूचित किया गया है।

(घ) और (ङ) निर्यात एजेन्सी की सूचना के अनुसार तरजीह कोटे की 0.19 लाख टन की पूरी मात्रा तथा 0.24 लाख टन का वाणिज्यिक निर्यात 31.10.95 तक भारत से बाहर भेजा जा चुका है तथा आगे का निर्यात प्रगति पर है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद मूल्य

1401. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाजों के वसूली मूल्यों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन वस्तुओं के बिक्री मूल्यों को निश्चित करने के लिए कोई नियम/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन वस्तुओं के वसूली मूल्यों और खुले बाजार में मूल्यों के बीच तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री मूल्य के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 1995 तक वर्ष-वार क्या अंतर रहा; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खुले बाजार में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की बिक्री की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन लागत, खाद्यान्नों के मूल्य में परिवर्तन आदान/पैदावार के मूल्य का अंतर बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति आदि जैसे कई महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करता है।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय खाद्यान्नों की वसूली लागत, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ता की भुगतान करने की क्षमता, सामान्य इकॉनॉमी में निर्गम मूल्यों का संभावित प्रभाव, गरीबों के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता और बढ़ी हुई लागतों को खपाने के लिए सब्सिडी बजट की क्षमता जैसे घटक ध्यान में रखे जाते हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों (गेहूं, धान और मोटे अनाजों) की वसूली करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए गेहूं, धान, और मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल — भूसी रहित अनाज के संबंध में)

	गेहूं	धान		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1993-94	330.00 (25 रुपये के बोनस सहित)	310.00	330.00	350.00
1994-95	350.00	340.00	360.00	380.00
1995-96	360.00	360.00	375.00	395.00

मोटे अनाज

	ज्वार, रागी, बाजरा	मक्का	जौ
1993-94	260.00	265.00	260.00
1994-95	280.00	290.00	275.00
1995-96	300.00	310.00	285.00

नवम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 से अक्तूबर, 1995 गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्य संलग्न विवरण I और II में दिये गए हैं।

उन खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों का विवरण संलग्न है जिनमें समय-समय पर और स्थान-दर-स्थान उतार-चढ़ाव आता रहता है।

(घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार की बिक्री के अधीन बेचे गये गेहूं और चावल की मात्राएं निम्नानुसार हैं :

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	खुली बिक्री	सा०वि०प्र०	खुली बिक्री	सा०वि०प्र०
1993-94	28.56	58.64	0.17	88.85
1994-95	50.29	48.29	4.54	79.79
1995-96	20.47	26.89	10.70	53.90

(अक्तूबर, 1995 तक)

सा०वि०प्र० = सार्वजनिक वितरण प्रणाली

विवरण-I

गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य

(दर रुपये प्रति मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	नवम्बर 1993	दिसम्बर 93 और जनवरी 1994	फरवरी और मार्च, 1994	अप्रैल 1994	मई, जून, जुलाई 1994	अगस्त और सितम्बर 1994	अक्तूबर और नवम्बर 1994	दिसम्बर 1994	जनवरी 1995 से मार्च 1995	अप्रैल से जुलाई 1995	28अगस्त से सितम्बर 1995	अक्तूबर 1995
1.	पंजाब/हरियाणा/ उत्तर प्रदेश	3850	3850	4100	4100	4100	4150	4200	4150	4100	4100	4150	4150
2.	दिल्ली	4050	4050	4250	4250	4200	4250	4300	4200	4150	4150	4200	4150
3.	राजस्थान	4000	3950	4150	4150	4150	4200	4250	4200	4150	4150	4200	4250
4.	जम्मू और कश्मीर/ हिमाचल प्रदेश	4000	4000	4200	4200	4200	4250	4300	4200	4150	4150	4200	4200
5.	महाराष्ट्र	4450	4400	4650	4500	4500	4550	4600	4550	4500	4350	4450	4550
6.	गुजरात	4300	4250	4450	4350	4350	4400	4450	4400	4350	4350	4400	4500
7.	मध्य प्रदेश	4100	4000	4200 (4100*)	4100	4100	4150	4200	4150	4100	4100	4150	4250
8.	पश्चिम बंगाल/ उड़ीसा	4400	4250	4400	4350	4350	4400	4450	4400	4350	4350	4400	4475
9.	बिहार	4300	4190	4350	4300	4300	4350	4400	4350	4300	4300	4350	4400
10.	तमिलनाडु	4500	4500	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600	4550	4650	4650
11.	आंध्र प्रदेश	4450	4450	4700	4550	4550	4600	4650	4600	4550	4550	4600	4600
11.	कर्नाटक	4550	4550	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600	4550	4600	4650
12.	केरल	4600	4600	4800	4600	4600	4650	4700	4650	4600	4550	4650	4700

* खुली बिक्री के अधीन मध्य प्रदेश में गेहूं के मूल्य 4.3.94 से घटाकर 4100 रु० कर दिए गए थे।

** पहली अगस्त से 27 अक्तूबर, ...1995....... तक खुली बिक्री बन्द रही।

*

** हिमाचल प्रदेश के संबंध में अक्तूबर, 1995 के लिए 4250 रुपए।

विवरण-II

जनवरी, 94 से नवम्बर, 95 के दौरान चावल की खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा घोषित मूल्य

(दर रु० प्रति मी० टन)

राज्य का नाम	जनवरी, 94	फरवरी, 94 से मई, 94	जून, 94 से जुलाई, 94	अगस्त, 94 से सितम्बर, 94	1.10.94 से 16.10.94 तक	17 अक्तूबर, से दिसम्बर,94	जनवरी से अक्तूबर, 1995	नवम्बर 1995
पंजाब	टेंडर इंक्वायरी के आधार पर बिक्री की गई थी	6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	7050/-	7000/-	7050/-
हरियाणा		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	7050/-	6950/-	7000/-
उत्तर प्रदेश		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6800/-	6800/-	6900/-
दिल्ली		6700/-	6600/-	6600/-	7200/-	6900/-	6700/-	7000/-
राजस्थान		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6900/-	6800/-	5850/-
जम्मू और कश्मीर		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6900/-	6800/-	6800/-
हिमाचल प्रदेश		6600/-	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र		6800/-	6700/-	6650/-	7250/-	6800/-	6600/-	6750/-
गुजरात		6800/-	6700/-	6650/-	7250/-	6800/-	6600/-	6750/-
मध्य प्रदेश		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6700/-	6600/-	6750/-
बिहार		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6800/-	6600/-	6750/-
पश्चिम बंगाल		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6800/-	6600/-	6750/-
उड़ीसा		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6700/-	6650/-	6750/-
तमिलनाडु		7000/-	6700/-	6650/-	7250/-	6800/-	6600/-	6750/-
आंध्र प्रदेश		6600/-	6550/-	6550/-	7150/-	6700/-	6600/-	6750/-
कर्नाटक		7000/-	6700/-	6650/-	7250/-	6800/-	6600/-	6750/-
केरल		7100/-	6700/-	6650/-	7250/-	6800/-	6600/-	6750/-

* कच्चे और सेला चावल की बढ़िया किस्म के मूल्य उत्तम किस्म के मूल्य 200 रुपये से प्रति मीटरी टन कम है। फरवरी, 94 से मई 94 तक के लिए आंध्र प्रदेश में ये मूल्य 100 रुपए प्रति मीटरी टन कम हैं।

** 1.6.1994 से बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 300 रुपए कम हैं।

[अनुवाद]

फूलों की खेती

1402 **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलों की खेती एक ऐसा नया क्षेत्र है जहां निर्यात की काफी अधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस साधनक्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अभी तक कितनी सफलता मिली है और इसके निर्यात से कितना लाभ अर्जित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) पुष्प निर्यात की क्षमता के संबंध में निम्नलिखित अध्ययन किए गये हैं :—

(एक) भारत में पुष्पकृषि विकास के संबंध में भारत सरकार के विशेषज्ञ दल द्वारा अध्ययन।

(दो) पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी एजेंसी अपेडा (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा प्रायोजित पुष्प संवर्धन के लिये मण्डी सर्वेक्षण।

(तीन) कृषि, पर्यावरण मामले तथा मात्स्यिकी मन्त्रालय, नीदरलैण्ड सरकार द्वारा भारत में पुष्पकृषि संवर्धन के अवसर।

(ग) (एक) आठवीं योजना के दौरान कृषि मंत्रालय वाणिज्यिक पुष्पकृषि संवर्धन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों के लिये पुष्पकृषि के विकास के लिये रोपण सामग्री का एकत्रण तथा बहुलीकरण, प्रशिक्षण आदि के संबंध में आधारभूत सहायता देना है।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्यात सहित समेकित उत्पादन तथा विपणन के लिये पुष्पकृषि संवर्धन एककों को उदार-ऋण के रूप में सहायता भी दी जा रही है।

(तीन) इसके अलावा, ऐसे एककों के लिये ड्रिप सिंचाई, पलवार डालने, ग्रीन हाऊस के लिये प्लास्टिक के उपयोग आदि के लिए भी सहायता दी जा रही है।

(चार) सरकार नई बीज नीति (1988) के अन्तर्गत निर्यात की क्षमता वाली नई किस्मों की रोपण सामग्री का अधिक मात्रा में निर्यात करने की सुविधा भी दे रही है।

(पांच) अपेडा आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा हवाई मालभाड़े पर राजसहायता हेतु पुष्पकृषि के वास्ते निर्यातोन्मुख एककों को वित्तीय सहायता दे रहा है अपेडा ने इस क्षेत्र में अग्रणी देशों जैसे नीदरलैण्ड, जापान इजराएल आदि के व्यापारिक शिष्टमण्डलों के दौरों की भी व्यवस्था की है।

(छ:) अपेडा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त पुष्पकृषि संबंधी परियोजना भी क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य उन्नत उत्पादन विशेषज्ञता तथा तराशे गये पुष्प के मण्डी आसूचना के आधार पर निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि करना है।

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में स्थापित किये जाने के लिये पुष्पकृषि संवर्धन के शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख 150 एककों का अनुमोदन हुआ है। इनमें से अधिकांश एकक विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से स्थापित किये जा रहे हैं। ऐसे लगभग 15 एकक उत्पादन तथा निर्यात शुरू कर चुके हैं और अन्य 15 एककों में 1995 के अन्त-1996 की शुरुआत तक काम शुरू हो जाने की संभावना है। तदनुसार पुष्पकृषि उत्पादों का निर्यात 1991-92 में 14.55 करोड़ रु० से बढ़कर 1994-95 में 30.16 करोड़ रुपये का हो गया है।

सुपर बाजार

1403. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर बेचे जाने के बावजूद लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त मामले में केन्द्रीय भंडार की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) सुपर बाजार के लेखा परीक्षित अन्तिम लेखाओं से केवल 8% के लगभग औसत मार्जिन (बिक्री के प्रति कुल लाभ की प्रतिशतता) प्रकट होता है। इससे प्रथम दृष्टि से यह प्रकट होता है कि समग्रतः सुपर बाजार में बेची जाने वाली अनेकों मदों के लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य के बीच बड़ा अन्तर नहीं है। वास्तव में सुपर बाजार ने सूचित किया है कि खाद्य तेल, चीनी, आटा, चाय तथा नहाने का साबुन जैसी कुछ वस्तुओं में औसत मार्जिन 1.5 से 5% तक सीमित है। सुपर बाजार ने आगे बताया है कि उनके द्वारा बेची जाने वाली लगभग 32,000 मदों में मार्जिन बाजार सर्वेक्षण के आधार पर नियत किया जाता है, ताकि उनके मूल्य प्रति-स्पर्धी रहें।

(ग) जी, नहीं। मंत्रालय में प्राप्त होनेवाली उपभोक्ता सहकारिताओं की वार्षिक रिपोर्टें केवल 5 से 8% तक का औसत मार्जिन दर्शाती हैं। अतः किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय भण्डार कुछ मदों जैसे लेखन सामग्री तथा फर्नीचर में सुपर बाजार की तुलना में कम मार्जिन पर कार्य करता है क्योंकि उनके ऊपरी खर्च कम हैं।

राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना

1404. **श्री बी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी विस्तृत राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना तैयार करने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा क्या विचार प्रस्तुत किये गये हैं; और

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (राजेश पायलट) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के निकट सहयोग से एक व्यापक "राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम" बनाया जा रहा है।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय वानिकी कार्य क्रम तैयार करना और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप निवेश और तकनीकी सहायता प्रस्तावों की शिनाख्त और संख्या निर्धारित करना है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जहां एक और सतत् विकास और वानिकी संसाधनों का उपयोग होगा वहीं दूसरी ओर देश का पारिस्थतिकीय संतुलन बना रहेगा।

(ग) और (घ) अभी तक राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम के दो राष्ट्रीय स्तर और पांच क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं में व्यापक चर्चा की गई है।

उठाए गए मुद्दों तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम के दस्तावेज में किया जा रहा है।

(ङ) अंतिम राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम दस्तावेज जून 1996 के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रैगिंग

1405. श्री फूल चंद वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई कालेजों के अनेक विद्यार्थियों ने रैगिंग से तंग आकर अपना जीवन समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का रैगिंग जैसे दुर्व्यवहार को कानूनी रूप से बंद करने का विचार है ताकि भविष्य में विद्यार्थियों के जीवन की रक्षा की जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने रैगिंग की घटनाओं की ओर, सभी विश्व विद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा-सचिवों का ध्यान आकृष्ट किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे रैगिंग को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और नये विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें वे स्वयं को अच्छा और सहज अनुभव कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी विभागों और कॉलेजों के परिसरों तथा सार्वजनिक वाहनों में रैगिंग पर कड़ाई से रोक लगाते हुए एक अध्यादेश पारित किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई दूसरे विश्वविद्यालय भी कर सकते हैं जहां रैगिंग की कुप्रथा पनप रही है। चूंकि, रैगिंग की यह कुप्रथा भर्त्सनीय है अतः यह विश्वविद्यालयों और कॉलेज के प्राधिकारियों और विद्यार्थियों का दायित्व हो जाता है कि वे खुद यह सुनिश्चित करें कि रैगिंग की कुप्रथा अस्तित्व में न रहें।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम

1406. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने अथवा सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्कूल के लिए पाठ्यक्रमों को समय-समय पर संशोधित करता है तथा उन्हीं को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनाया जाता है।

वन सम्पर्क परियोजना

1407. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता हेतु भेजी गई वन सम्पर्क परियोजना मंत्रालय में लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश में वन संचार परियोजना के लिए अन्तराष्ट्रीय सहायता लेने के लिए कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा पद्धति में परिवर्तन

1408. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त प्रवेश की पद्धति में परिवर्तन करने के क्या कारण है तथा उससे कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे;

(ग) क्या विदेशी नागरिक और विदेशों में पढ़ रहे भारतीय नागरिक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लिए बिना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीधे प्रवेश पाने के पात्र होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों सहित इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में, तीन घंटे की अवधि के अब केवल तीन प्रश्न पत्र (गणित, भौतिकी और रसायन) होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में स्क्रीनिंग प्रश्नपत्र के रूप में लिया जाने वाला विषय-परक प्रश्नपत्र हटा दिया गया है क्योंकि अनुभव से पता चलता है कि प्रश्न पत्र से ज्यादा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

(ग) और (घ) विदेशी राष्ट्रिकों और पिछले सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों तक विदेशों में रहने वाले भरतीय राष्ट्रिकों और जिन्होंने विदेश में अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है; उन पर सीधे प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे प्रवेश के लिए कतिपय मानदण्ड को पूरा करते हों।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1409. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केरल में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राज्य को कितनी अनुदान राशि दी गई है;

(ग) क्या केरल की कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्रों कि प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अयूब खान) : (क) केरल में नौ कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख)	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
	58.47	93.26	95.78	247.41

(रुपये लाख में)

(ग) और (घ) जी हां, मित्रनिकेतन के कृषि विज्ञान केन्द्र ने अपने कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन किया है।

(1) नारियल के बागानों में अन्तः फसल प्रणाली 40 से 60 प्रतिशत और धान में समेकित कीट प्रबंध संबंधी प्रक्रिया 30 प्रतिशत तक अपनायी गयी है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों एवं प्रदर्शनों के फलस्वरूप कृ०वि०के० के अधिकार क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र में सब्जियों की खेती की गयी। कृ०वि०के० के 25 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने फल एवं सब्जी प्रसंस्करण की प्रक्रिया अपनाई। जिले के खेती में लगे 53 प्रतिशत किसानों ने चारे का उत्पादन किया। 85 से 90 प्रतिशत कृषकों ने कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया अपनायी।

(2) नारियल ताड़ में "स्टेम ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रणालीबद्ध फफूंदनाशी जड़ों में डालने संबंधी प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने से नारियल की उपज बढ़ाने में मदद मिली है।

(3) खुम्बी की खेती के लिए धान के भूसे की पलवार बिछी क्यारियां तैयार करने संबंधी प्रक्रिया कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा अलग से मानकीकृत की गयी हैं। क्यारियों के बीच में 3 इंच व्यास के बास अथवा पी०वी०सी० पाइप द्वारा खोखला स्थान बनाया जाता है। इससे "ऑयस्टर" खुम्बी की भारी बढ़वार में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया कृषकों और खेतिहर महिलाओं द्वारा अपनायी गयी है।

(4) कम प्रयुक्त फल संवर्धित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र ने कम लागत वाली प्रौद्योगिकी भी विकसित की है।

(5) मूंगफली, लोबिया अथवा सेम के साथ अन्तः फसल के रूप में कसावा की उच्च उपजशील किस्मों संबंधी प्रदर्शनों से इस प्रकार की खेती लोकप्रिय हो गयी है।

अस्पतालों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण

1410. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1995 के "द पायनियर" में "देयर इज़ टू मच डिन इन कैपिटल्स हॉस्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिल्ली के अस्पतालों में शोर के स्तर के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषतः राजधानी के विभिन्न अस्पतालों के आस-पास होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाएं गए हैं/उठाने का विचार है।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) : गैर-सरकारी संगठन तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि दिल्ली में कुछ अस्पतालों में शोर स्तर अधिक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में शोर स्तर 62 से 90 डेसिबल मूलचन्द अस्पताल में 53 से 75 डेसिबल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 50 से 88 डेसिबल तथा महेन्द्र अस्पताल में 53 से 75 डेसिबल है। लोकनायक जय प्रकाश, सफदरजंग, मूलचन्द्र तथा महेन्द्र अस्पतालों में औसत शोर स्तर 66 से 68 डेसिबल तक है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों तथा शांत क्षेत्रों के लिए परिदेशी शोर मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के आसपास शोर प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए प्रस्तावित कदमों में लेनों और भवनों के बीच के खाली स्थानों में वृक्ष और झाड़ियों का रोपण, श्रेयार हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध, वाहनों को शोर और शांत क्षेत्रों के पास भारी वाहनों को चलाने के लिए मानक अधिसूचित करना शामिल है।

विवरण

परिवेशी शोर मानक

क्र०सं०	क्षेत्र +	एल ई क्यू डेसिबल (ए) दिन का समय (x)	रात का समय (xx)
1.	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
3.	आवासीय क्षेत्र	55	45
4.	शांत क्षेत्र	50	40

x दिन का समय — 6.00 बजे प्रातः से 9.00 बजे रात्रि (15 घंटे)

xx रात का समय — 9.00 बजे रात्रि से 6.00 प्रातः (9 घंटे)

xxx अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं तथा न्यायालयों जैसे कतिपय परिसरों के चारों ओर 100 मीटर तक क्षेत्र को सक्षम प्राधिकरण द्वारा शांत क्षेत्र घोषित किया जाए; वाहनों के भोंपू बजाने, लाउडस्पीकरों के उपयोग, पटाखे फोड़ने और हाकरों के शोर पर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

\+ मिलेजुले क्षेत्रों की सक्षम प्राधिकरण द्वारा ऊपर वर्णित चार क्षेत्रों में से एक घोषित किया जाए तथा समनुरूप सीमा लागू की जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई

1411. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री केशरी लाल :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों/राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या गंगा नदी अभी भी उत्तर प्रदेश के छः महत्वपूर्ण नगरों

यथा, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा फरुखाबाद में काफी ज्यादा प्रदूषित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों से पानी का कोई नमूना लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(च) क्या स्थानीय निकायों में संसाधनों की कमी की वजह से आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही के अभाव में धर्मशालाओं से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ तथा मल गंगा को प्रतिदिन प्रदूषित करते रहते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 6 नगरों में शुरू की गई 106 स्कीमों पर 184.84 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में से अब तक 163.86 करोड़ रुपए खर्च किए जा चके हैं। इनमें से 4 स्कीमों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के उन सभी नगरों में गंगा नदी का जल गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है जिन्हें योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था। कानपुर अधोप्रवाह में जैव आक्सीजन मांग (बी०ओ०डी०) के मामले में मानकों का उल्लघंन हो रहा है क्योंकि गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत कानपुर शहर के कुछ भाग को शामिल किया गया था जहां से नगर के कुल सीवेज का आधा हिस्सा उत्पन्न होता है। इलाहाबाद से भी कभी-कभी बी०ओ०डी० के मामले में उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है।

(घ) और (ङ) जल गुणवत्ता की स्थिति का मूल्याकंन करने के लिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे के चुने हुए स्थानों पर जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। बी०ओ०डी० स्तर, जोकि प्रदूषण मापन का माध्यम है, के विभिन्न निगरानी स्थलों के आंकड़े नीचे दिए गए है :

	हरिद्वार	फर्रूखाबाद कनौज (ऊर्ध्वप्रवाह)	कानपुर (अधोप्रवाह)	इलाहाबाद अधोप्रवाह)	वाराणसी (अधोप्रवाह)
बी०ओ०डी० स्तर (मिली ग्राम/प्रति लीटर) 1986	1.80	5.5	8.6	15.5	10.6
बी०ओ०डी० जून 1995 स्तर (मिली ग्राम/ प्रति लीटर)	1.50	2.1	5.8	3.8	1.6

(बी०ओ०डी० का स्तर 3 मिग्रा० / प्रति ली० से अधिक नहीं होना चाहिए)

(च) एवं (छ) कानपुर की सभी 175 चर्मशोधनशालाओं से उत्पन्न होने वाले बहिःस्राव का उनके मालिकों द्वारा पूर्वोपचार करने के पश्चात् जाजमऊ सामूहिक उपचार संयंत्र में 1:3 के अनुपात से घरेलू सीवेज मिलाने के बाद उपचार किया जाता है।

कीटों द्वारा फसल को क्षति पहुंचाना

1412. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों पर कीटों का आक्रमण आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटों ने कुल कितने मूल्य की फसल को क्षति पहुंचाई है; और

(घ) क्या सरकार ने कभी इसकी क्षतिपूर्ति की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं कृषि फसलों पर कीटों का आक्रमण तभी होता है, जब उनके बहुलन और विकास के लिए उपयुक्त कृषि जलवायु स्थिति रहती है।

(ख) और (ग) कीटों, कृमियों के कारण फसल की क्षति की वास्तविक मात्रा के मूल्यांकन के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया जाता है। नमूना परीक्षणों के आधार पर सामान्यतया यह अनुमान लगाया जाता है कि कृमियों, कीटों के कारण संभावित उत्पादन में 10-15% की कमी आती है।

(घ) कृमियों के कारण फसलों की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी, सरकार कृषकों को शिक्षा देने के लिए एकीकृत कृमि प्रबंध पर व्यावहारिक क्षेत्रगत प्रशिक्षण दे रही है, ताकि वे कीटों, कृमियों पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो सके।

बालिकाओं की शिक्षा

1413. **श्री सत्य देव सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालिकाओं के शिक्षा में सुधार लाने के लिए 'यूनिसेफ' से समय-समय पर कोई वित्तीय सहायता ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी वित्तीय सहायता ली गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्यमंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) और (ख) यूनीसेफ सभी के लिए शिक्षा, बिहार शिक्षा परियोजना, और शिक्षा में नए परिवर्तनों से जुड़े कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

बालिकाओं की शिक्षा पर बिहार शिक्षा परियोजना में और अनंतपुर और महबूब नगर जिलों (आंध्र प्रदेश) में सभी बालिकाओं को शिक्षा सुलभ कराने संबंधी परियोजना में अधिक बल दिया जाता है।

(ग) शिक्षा हेतु यूनीसेफ की सहायता कैलेण्डर वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान लगभग 59.97 करोड़ रु० रही है।

[अनुवाद]

लेवी चीनी

1414. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी का अनुपात इस समय 65 प्रतिशत से कम होकर 45 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या लेवी चीनी का मूल्य जो एक समय में 3.75 प्रति कि०ग्रा० था, इस समय 9.05 प्रति कि०ग्रा० है;

(ग) क्या चीनी उद्योग शीरा और "प्रेस मड" का उत्पादन करते हैं, जिससे चीनी उद्योग को अच्छा लाभ होता है; और

(घ) यदि हां, चीनी उद्योग को हो रहे घाटे के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 17.12.1979 से निरन्तर अनुसरण की जा रही आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन पूरे देश में एक समान खुदरा निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए प्रत्येक चीनी मिल के कुल उत्पादन का एक विशिष्ट प्रतिशत लेवी चीनी के रूप में वसूल किया जाता है। यह वसूली अधिसूचित मूल्य पर की जाती है। लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी का अनुपात समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहा है, जो निम्नानुसार है :

		लेवी : मुक्त बिक्री का अनुपात
दिसम्बर, 1979 से	1984-85	65 : 35
	1985-86	55 : 45
	1986-87	50 : 50
	1987-88	50 : 50
	1988-89 से 1991-92	45 : 55
	1992-93 से अब तक	40 : 60

(ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 3.75 रु० प्रति कि०ग्रा० से 9.05 रु० प्रति कि०ग्रा० तक भिन्न-भिन्न रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

निम्नलिखित तारीख से प्रभावी	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य रु० प्रति कि०ग्रा०
1	2
1.12.1982	3.75
1.2.1984	4.00
1.4.1985	4.40
1.12.1985	4.80
15.12.1986	4.85
1.1.1988	5.10
1.1.1989	5.25
1.1.1989	5.25
24.7.1991	6.10
21.1.1992	6.90
17.2.1993	8.30
1.2.1994	9.05

(ग) शीरा और अवशिष्ट पदार्थ (प्रेस मड) चीनी उद्योग के सह-उत्पाद हैं। शीरे का प्रयोग एल्कोहॉल तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है जबकि अवशिष्ट पदार्थ (प्रेस मड) का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है जो सामान्यतः अधिकांश फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को मुफ्त दिया जाता है। 171 चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.10.94 से 31.7.95 तक की अवधि के दौरान शीरे की औसत प्राप्ति 47.10 रु० से 244.27 रु० प्रति क्विंटल की रेंज में थी।

(घ) सरकार चीनी मिलों के संबंध में लाभ और हानि का हिसाब नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों की लाभदेयता इनके आकार, प्लांट और मशीनरी की आयु और अवस्था, तकनीकी और प्रबन्धकीय सक्षमता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर भी निर्भर करती है।

चावल का निर्यात

1415. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड़े : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मूल्य होते हुए भी भारतीय चावल को विदेशी बाजारों में कोई नहीं खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) अप्रैल-अगस्त, 1995 की अवधि के दौरान 1186.74 करोड़ रुपए मूल्य के 14,56,276 मीटरी टन चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात किया गया है।

फलदार वृक्ष लगाने हेतु निधियां

1416. श्री सुधीर सावंत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान बागवानी को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को फलदार वृक्ष लगाने हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण में आम की एलफॉन्जो किस्म को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देवगढ़ एलफॉन्जो को लेकर कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरबिंद नेताम) : (क) से (घ) जी हां, भारत सरकार "फलों के समेकित विकास" के लिए एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र को 1995-96 के दौरान 119.83 लाख रुपये के परिव्यय से फल नर्सरियों की स्थापना, फलदार फसलों के क्षेत्र में विस्तार करने तथा उनकी उत्पादकता में सुधार लाने, प्रशिक्षण तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार रोजगार गारण्टी योजना से जुड़े बागवानी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दे रही है जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष औसतन 98400 हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न फलदार फसलों के अंतर्गत कवर किया जाता है जिसमें कोंकण क्षेत्र का अलफान्स आम भी आता है।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वेनगुरला में स्थित उपोष्णदेशीय फलों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्र द्वारा अलफान्सों आम के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। इस केन्द्र में वर्धन तकनीक और पैक्लॉब्ट्राजॉल द्वारा पुष्पन को पहले ही मानकीकृत कर दिया है। केन्द्र ने सिन्धू नामक बीज रहित आम को भी बाजार में ला दिया है।

खाद्यान्न उत्पादन

1417. श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित 84.5 टन रबी की फसल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को फसल उत्पादन परक योजनाओं के लिए अप्रयुक्त शेष धनराशि को जारी करने के लिए कहा गया है; और

(घ) क्या सरकार को रबी लक्ष्यों के संबंध में सभी राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) 1995-96 का रबी उत्पादन 84.5 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य से अधिक हो सकता है और इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष के लगभग अर्थात 90 मिलियन मीटरी टन के लगभग होने की संभावना है।

(ग) विभिन्न प्रकार की फसलोत्पादोन्मुखी योजनाओं को लागू करने वाली सभी राज्य सरकारों को उनके पास बची राशि का उपयोग कर लेने की अनुमति दे दी गयी है।

(घ) रबी अभियान 1995-96 के लिए 27 और 28 सितम्बर, 1995 को आयोजित किये गए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में सभी राज्यों ने अपने रबी उत्पादन के लक्ष्य के बारे में बताया था।

ध्वनि प्रदूषण

1481. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में यातायात की ध्वनि से मानव स्वास्थ्य और श्रवणेन्द्रिय को खतरा है और इससे शारीरिक और मानसिक परेशानी हो रही है;

(ख) क्या हाल ही में उसका कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) वाहनों में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बड़े शहरों में प्रेशर हार्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से बसों द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उच्च स्तरों के यातायात संबंधी शोर में खतरा होता है जिससे मानव स्वास्थ्य और श्रवण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह तनाव का कारण बन सकता है। 1993-94 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल, अहमदाबाद, औरंगाबाद, कोयंबटूर और बंगलौर में सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता लगा कि भोपाल के व्यापारिक और साइलेंस क्षेत्रों में शोर स्तर मानदंडों से अधिक है जबकि अहमदाबाद में आवासीय, व्यापारिक क्षेत्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में शोर स्तर अक्सर दिन में निर्धारित मानदंडों से अधिक थे। औरंगाबाद में शोर प्रदूषण संबंधी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई थी लेकिन कोयंबटूर में आवासीय, व्यापारिक क्षेत्रों और साइलेंस क्षेत्रों में शोर स्तर अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक पाए गए थे। बंगलौर में भी अधिकांश स्थानों में शोर स्तर निर्धारित सीमाओं से अधिक पाए गए थे।

(ग) से (ङ) औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय और साइलेंस क्षेत्रों जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में शोर स्तरों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। मोटरगाड़ियों के विनिर्माण स्तर पर भी शोर सीमाओं को अधिसूचित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1989 से प्रेशर वाले हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ष के दौरान 15 नवम्बर, 1995 तक दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक लाख नौ हजार मुकदमे चलाए गए हैं जिनमें प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले बस चालकों के मामले भी शामिल हैं। देश के शेष भागों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1419. श्री शरत पटनायक :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान खोले जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अयूब खान) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान आरम्भ हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा :—

1.	किन्नूर	(हि०प्र०)
2.	शिमला	(हि०प्र०)
3.	चेरापुंजी	(मेघालय)

4. उत्तरी त्रिपुरा (त्रिपुरा)
5. विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)
6. पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)
7. अमरावती (महाराष्ट्र)
8. सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
9. यवतमाल (महाराष्ट्र)
10. तंजावूर (तमिलनाडु)
11. चिदरंबरनार (तमिलनाडु)
12. वारंगल (आंध्र प्रदेश)
13. झूंझुनूं (राजस्थान)

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान यदि धन उपलब्ध होता है तो आरम्भ किए जाने वाले संभावित कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा :—

1. बीजापुर (कर्नाटक)
2. चितौड़गढ़ (कर्नाटक)
3. भान्द्रा (महाराष्ट्र)
4. चंद्रापुर (महाराष्ट्र)
5. गढ़ चिरौली (महाराष्ट्र)
6. खड़गांव (मध्य प्रदेश)
7. पी०एम०टी० (तमिलनाडु)
8. कृष्णा (आंध्र प्रदेश)
9. नवगांव (असम)

[हिन्दी]

महिला कल्याण योजनाएं

+1420. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के कल्याण के लिए देश, विशेषरूप से महाराष्ट्र, में लागू की जा रही लाभार्थियोन्मुख योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) आज तक इन योजनाओं से लाभान्वित हुई महिलाओं की योजनावार संख्या क्या है; और

(ग) इनमें से कितनी योजनाओं को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सीधे लागू किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) महिला एवं बाल विकास, सम्पूर्ण देश में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से 11 लाभोन्मुख स्कीमें चला रहा है, जिनमें से 10 स्कीमें महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय क्रीड़ा क्लब

1421. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय क्रीड़ा क्लब को चलाने और उसके प्रबंधन हेतु केन्द्रीय अधिकारी कौन है;

(ख) क्या उसमें कोई सरकारी व्यक्ति नियुक्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उसमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समुचित देखरेख की जाती है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(च) क्लब के आधरभूत ढांचे में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भारतीय राष्ट्रीय खेल क्लब को चलाने और उसके प्रबंधन हेतु नोडल प्राधिकार इसकी दिल्ली और बम्बई स्थित क्षेत्रीय समिति में निहित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा बम्बई में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) : भारतीय राष्ट्रीय खेल क्लब एक स्वैच्छिक निकाय है जो स्वयं अपनी अवस्थापनाओं का प्रबंधन एवं देखरेख कर रहा है। सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इन अवस्थापनाओं की समुचित देखरेख नहीं हो रही है न ही सरकार को क्लब की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इसकी अवस्थापनाओं में सुधार करने हेतु सहायता के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रौद्योगिकी मिशन

1422. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सात प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में सात व्यापक क्षेत्रों में निम्नांकित उद्देश्यों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किये गये हैं :—

(I) उत्कृष्टता के इन केन्द्रों को आधुनिकीकृत करना ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी भूमिका अदा करने हेतु समर्थ बनाया जा सके।

(ii) राष्ट्रीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का निर्धारण और पूर्वानुमान करना।

(iii) प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्योगों के साथ-साथ विश्व व्यापी रूप से प्रतियोगी/भविष्य कालिक प्रौद्योगिकियां विकसित करना।

आठवीं योजना अवधि के दौरान इसके लिए 60.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों पर बकाया धनराशि

1423. श्री ललित उरांव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1995 की तिथि के अनुसार किसानों की गन्ने की राज्यवार कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन बकायों का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी मिलों द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना के आधार पर 1994-95 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य बकाया की 30.9.1995 तक की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसके पास इन भुगतानों को करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्यरत संगठन हैं। तथापि, केन्द्र सरकार स्थिति को मोनीटर करती रही है तथा राज्य सरकारों से गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने का अनुरोध करती रही है।

विवरण

1994-95 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य बकाया की 30.9.1995 तक राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	मिलों द्वारा सूचित गन्ना मूल्य बकाया (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	पंजाब	39.89
2.	हरियाणा	192.62
3.	राजस्थान	129.16
4.	उत्तर प्रदेश	6680.46
5.	मध्य प्रदेश	278.62
6.	गुजरात	155.06
7.	महाराष्ट्र	1079.83
8.	बिहार	2069.31
9.	असम	0.01
10.	आन्ध्र प्रदेश	928.27
11.	कर्नाटक	3395.31
12.	तमिलनाडु	3558.16
13.	केरल	0.71
14.	उड़ीसा	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	0.33
16.	नागालैंड	0.00
17.	पांडिचेरी	1.18
18.	गोवा	0.00
	समस्त भारत	18508.92

[अनुवाद]

उचित दर दुकानों के लिए कमीशन

1424. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों और सहकारी उपभोक्ता दुकानों इत्यादि के लिए वस्तुवार कोई कमीशन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों, आदि से उनके कमीशन में वृद्धि करने की कोई मांग हुई है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) 1990-95 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ-शासित क्षेत्रों में कमीशन संबंधी वर्षवार और वस्तुवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ती उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्यमंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियत केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वस्तुएं देती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आमतौर पर अपनी परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में वस्तुओं के अंतिम खुदरा मूल्य नियत करते समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के लिए मार्जिन जैसी बातों के बारे में निर्णय करते हैं। चीनी के मामले में मार्जिनों को खाद्य मंत्रालय द्वारा राज्यवार अंतिम रूप दिया जाता है। ये मार्जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सिफारिशों/प्रस्तावों के आधार पर तथा सारे देश में लेवी चीनी के अंतिम खुदरा मूल्य एक समान बनाए रखने की शर्त के अधीन नियत किए जाते हैं। मिट्टी के तेल के मामले में सरकार थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को मिलने वाले मार्जिनों को अंतिम रूप देती है और ढुलाई प्रभार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा नियत किए जाते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में खाद्यान्नों के अंतिम खुदरा मूल्य 25 पैसे से अधिक नहीं होने चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्षवार, वस्तुवार कमीशन का विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता है।

कृषि संबंधी राज सहायता

1425. **श्री राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य क्षेत्रों में संसाधनों में वृद्धि करने के लिये कृषि पर राज सहायता को कम करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 1994-95 में हाल के वर्षों में किये गये सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में ह्रास का रुख दिखाई दिया है; जिसे पलटने की जरूरत है। चूंकि कृषि में उच्च दर से निवेश किया जाना कृषि के समग्र विकास और विविधीकरण के लिये बहुत जरूरी है अतः यह जरूरी हो जाता है कि आदानों पर सब्सिडी, विशेषकर बिजली और सिंचाई के पानी पर, और अधिक खर्च करने की बजाय उपलब्ध संसाधनों का कृषि में बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिये अधिक उपयोग किया जाए।

खुले बाजार में गेहूं की बिक्री

1426. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की बिक्री से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) खुली बिक्री की योजना को और प्रभावी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे व्यापारियों सहित अधिकंश लाभार्थियों को इस योजना का फायदा हो, सरकार ने खुले बाजार की बिक्री योजना की नीति और पद्धति की समीक्षा की है। समीक्षा करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम को निम्नानुसार परामर्श दिये गये हैं।

(एक) भारतीय खाद्य निगम के 5000 मीटरी टन और 5000 मीटरी टन से अधिक क्षमता के गोदामों से प्रति सप्ताह प्रत्येक क्रेता के लिए खुली बिक्री हेतु क्रमशः 200 मीटरी टन और 1000 मीटरी टन की उच्चतम सीमा निर्धारित करना;

(दो) जिला प्रबन्धकों को खरीदारों हेतु खुली बिक्री के लिए गेहूं आवंटित करने की भूमिका अदा न करने का परामर्श देना। उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई उच्चतम सीमा के साथ "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन करें।

(तीन) खरीदारों की कठिनाइयों और तकलीफों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया गया था कि वे खरीदारों से गेहूं की ऐसे स्थान पर सुपुर्दगी लेने के लिए न कहें जो सामान्यतः उनके कारोबारी स्थल से 100 किलोमीटरी से अधिक दूर हो।

(चार) बिक्री के पैटर्न, सामान्य बाजार रिपोर्टों, मूल्य प्रवृत्ति आदि पर कड़ी और निरन्तर निगरानी रखना;

(पांच) खुली बिक्री में खाद्यान्न जारी करते समय "प्रथम आमद प्रथम निर्गम" की नीति लागू करना;

(छः) जिला प्रबन्धकों के कार्यालयों में उपयुक्त स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाना जिसमें बिक्री के लिए उपलब्ध अनंतिम मात्रा, उपलब्ध कुल स्टॉक और खुली बिक्री की दर स्पष्ट रूप से दर्शायी गयी हो।

भारतीय खाद्य निगम ने अपने फील्ड कार्यालयों को अनुदेश जारी किये थे और यह महसूस किया गया है कि उपर्युक्त प्रक्रिया/हिदायतों को अपनाकर आम क्रेताओं की शिकायतें न्यूनतम हो गई हैं।

मत्स्य संबंधी प्रस्ताव

1427. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से मत्स्यन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मात्स्यिकी से संबंधित चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर अन्य कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

1428. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व खाद्य योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को केन्द्र सरकार को यह परियोजना प्राप्त हुई तथा अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई;

(ग) परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(घ) क्या इस परियोजना को विश्व खाद्य संगठन के पास भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे वहां कब तक भेज दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध के माध्यम से समेकित वन विकास से संबंधित परियोजना भेजी थी।

(ख) यह प्रस्ताव 21 अप्रैल, 1995 को प्राप्त हुआ था। संबंधित विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ परामर्श करते हुए इसकी जांच की गई थी। इस प्रस्ताव का संशोधित रूपान्तर विश्व खाद्य कार्यक्रम को विचारार्थ भेजा जा चुका है।

(ग) इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं— (एक) रियायती दरों पर आहार सुलभ करवा कर लक्षित वर्गों के आय और पोषण स्तर में वृद्धि करना, (दो) वन लगाने के कार्यों का विकास तथा पारिस्थितिकी निम्नीकरण पर नियंत्रण करना (तीन) ग्रामीण और कृषि विकास, (चार) महिलाओं का सामाजिक आर्थिक कल्याण और (पांच) लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

इस परियोजना की लागत को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। यह प्रस्ताव विश्व खाद्य कार्यक्रम को भेजा जा चुका है तथा इस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मरुस्थलीकरण

1429. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि देश के विभिन्न भागों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव काफी तेज होती जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दशक के दौरान कितना क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया है;

(घ) मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने क्या उठाए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी गई है और/या प्राप्त की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) मरुस्थलीकरण के संबंध में अभी तक कोई आवधिक सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 33% अवक्रमित है और सूखा प्रवण है।

(घ) मरुक्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रभावों को नियंत्रित करने और अन्ततोगत्वा पारिस्थितिकीय वहाली के लिए भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधानों के संरक्षण, विकास और उपयोग के लिए सरकार ने 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम चलाया है। इस समय यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों/बागवानी के अन्तर्गत क्षेत्र

1430. श्री एन०जे० राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की खेती और बागवानी के अन्तर्गत अलग-अलग और राज्यवार भूमि का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) खाद्यान्नों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में अलग-अलग राज्यवार कुल कितने किसान कार्यरत हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और चालू वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खाद्यान्न तथा बागवानी (फल तथा सब्जी) के अंतर्गत कुल क्षेत्र का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) खाद्यान्न तथा बागवानी फसलों की प्रचालन जोतों का अलग-अलग राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, प्रचालन जोतों की राज्यवार कुल संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) खाद्यान्न तथा बागवानी फसलों के लिए राज्यों को 1992-93 से 1994-95 और तक दी गई वित्तीय सहायता तथा 1995-96 के लिए किए गए आबंटन का

(घ) ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और III में दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि सभी योजनाओं में आदिवासी जनसंख्या को भी कवर किया गया है।

विवरण-I

खाद्यान्न तथा बागवानी के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र एवं प्रचालन जोतों की संख्या

(क्षेत्र हजार हे०, प्रचालन जोतों की संख्या हजार में)

राज्य	खाद्यान्न (1994-95)	बागवानी फल तथा सब्जियां (1992-93)	प्रचालन जोतों की कुल सं० (1990-91)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	6660	487	9298
असम	2668	290	2419 *

1*	2	3	4
बिहार	8685	1158	11711 *
गुजरात	4202	256	3517
हरियाणा	4027	89	1538
हिमाचल प्रदेश	849	160	844
जम्मू एवं कश्मीर	889	365	1217
कर्नाटक	7079	642	5776
केरल	534	545	5419
मध्य प्रदेश	17497	282	8481
महाराष्ट्र	13531	496	9470
उड़ीसा	5776	910	3948
पंजाब	5921	162	1117
राजस्थान	12908	80	5107
तमिलनाडु	4477	190	7999
उत्तर प्रदेश	20150	1154	20074
पश्चिम बंगाल	6413	743	6284
अन्य	1282	319	1059
संपूर्ण भारत	123548	8308	105270

* उक्त आंकड़े 1985-86 से संबंधित हैं।

विवरण-II

राज्यों को खाद्यान्नों कार्यक्रमों के तहत 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा 1995-96

(लाख रु० में)

राज्य	जारी धनराशि के लिए आवंटित		लावंटन	
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1027	999	33	934
अरूणाचल प्रदेश	1	6	7	39
असम	103	48	—	159
बिहार	447	585	142	1156
गोवा	8	5	—	13
गुजरात	551	193	78	317
हरियाणा	807	905	187	697
हिमाचल प्रदेश	62	82	45	164
जम्मू एवं कश्मीर	52	42	159	206
कर्नाटक	460	440	201	481
केरल	83	134	80	80
मध्य प्रदेश	940	796	5	1585
महाराष्ट्र	1211	857	457	959
मणिपुर	5	4	5	26
मेघालय	5	5	—	21
मिजोरम	—	7	—	23
नागालैण्ड	5	13	29	36
उड़ीसा	211	176	—	761
पंजाब	1267	1616	41	624
राजस्थान	511	557	605	856
सिक्किम	8	8	27	28
तमिलनाडु	890	474	705	644
त्रिपुरा	20	14	22	23
उत्तर प्रदेश	2996	2585	2271	2476
पश्चिम बंगाल	252	115	270	125
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	2	1	1
दिल्ली	—	1	1	1
पाण्डिचेरी	2	22	8	
संपूर्ण भारत	11925	10693	5379	12435

विवरण-III

बागवानी फसलों के लिए 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्राप्त वित्तीय सहायता तथा 1995-96 के लिए आवंटित धनराशि

(लाख रु० में)

राज्य का नाम	जारी धनराशि		आवंटन	
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	346.69	677.45	1206.85	1194.71
अरूणाचल	65.59	89.92	166.51	121.62

1	2	3	4	5
असम	79.86	105.74	80.24	104.63
बिहार	75.57	214.55	50.06	127.79
गोवा	51.24	110.34	226.89	196.32
गुजरात	431.67	204.63	406.82	383.45
हरियाणा	79.23	181.12	545.80	231.58
हिमाचल प्रदेश	149.91	181.91	354.48	182.68
जम्मू एवं कश्मीर	104.76	145.78	148.20	236.52
कर्नाटक	581.94	927.20	1527.80	1287.53
केरल	1027.96	1591.49	3276.13	2035.08
मध्य प्रदेश	222.98	336.30	679.64	509.43
महाराष्ट्र	292.22	909.92	2584.02	1690.69
मणिपुर	25.98	41.18	129.95	72.64
मेघालय	19.04	41.85	75.38	74.23
मिजोरम	19.28	62.02	57.63	72.46
नागालैण्ड	23.63	38.48	160.83	98.54
उड़ीसा	72.41	295.08	335.12	276.13
पंजाब	109.18	158.24	311.49	184.73
राजस्थान	163.82	137.09	390.06	285.49
सिक्किम	23.98	62.23	131.41	95.61
तमिलनाडु	408.94	770.23	1038.86	902.06
त्रिपुरा	38.30	66.89	76.27	101.89
उत्तर प्रदेश	204.32	305.40	674.36	548.25
पश्चिम बंगाल	61.64	193.61	63.82	217.79
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	38.21	68.19	9.50	32.03
चंडीगढ़	1.50	39.46	11.73	2.50
दादर व नगर हवेली	6.50	18.07	74.90	34.38
दिल्ली	11.77	50.99	17.51	48.38
दमण व दीव	6.50	18.07	12.79	16.41
लक्षद्वीप	13.06	25.07	72.03	22.25
पाण्डिचेरी	14.96	37.38	17.43	49.22
योग :	4712.42	8063.73	14490.54	11437.02

खेसरी दाल

1431. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "लो बोआ खेसरी लाइन्स (किस्मों)" कि विकास के संबंध में शुरू किये गये कार्य के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेसरी दाल की उचित किस्म के बोये जाने से कमी को पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अयूब खान) : (क) और (ख) जी हां, डा० एस०एल०कोठारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नागपुर की ओर से निम्न बोआ खेसरी किस्मों पर भा० कृ० अ० परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

उन्होंने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि खेसरी दाल की कम विषैली किस्में जरूरी नहीं हैं क्योंकि रोजमर्रा की खुराक में खाई जाने वाली ऐसी दालों के विषैलेपन के स्तर एवं उनकी उपयुक्ता के बारे में अभी पता नहीं है। उनके विचार से चटरी-मटरी (लेथाइरिजम) रोग खेसरी दाल खाने के कारण नहीं होता।

(ग) किसानों द्वारा यदि कम जहरीली (टाक्सीन) खेसरी दाल की खेती की जाए तो देश में दलहन संबंधी कमी दूर करने में इससे कुछ हद तक मदद मिलेगी।

(घ) ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि खेसरी दाल उगाने वाले भिन्न-भिन्न राज्यों में उपयुक्त परीक्षण के बाद कम जहरीली खेसरी दाल की पहचान की जाए। इस दिशा में परिषद् द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है।

रस्तोगी समिति

1432. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कालेज और विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों को पहले ही अन्तरिम राहत दे दी है जिनके लिए विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों में पुनः संशोधन किए जाने के बारे में रस्तोगी समिति विचार कर रही है;

(ख) क्या सभी राज्यों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1986 में संशोधित किए प्रदर्शकों/पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए वेतनमानों को लागू कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन वेतनमानों को लागू नहीं किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"जर्मनी से प्रौद्योगिकी

1433. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेये :
श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जर्मनी, कनाडा और अन्य देशों से उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मृदा-संरक्षण के लिए धनराशि

1434. श्री प्रबीन डेका : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीनों वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में असम को मृदा संरक्षण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) राज्य में मृदा संरक्षण योजना के क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) असम राज्य में मृदा संरक्षण के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग की दो योजनाएं नामतः नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को प्रदत्त धनराशि तथा वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई राशि निम्नवत है :—

नदी घाटी परियोजना

वर्ष	प्रदत्त धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि
	(लाख रु० में)	
1992-93	60.00	30.98
1993-94	शून्य	3.00
1994-95	50.00	16.52

झूम खेती से संबंधित योजना के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 200.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई।

(ग) नदी घाटी परियोजना को प्रारम्भ से राज्य में 433.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा 13810 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत एन०सी० पहाड़ी जिले तथा काबरी एंगलांग जिले में दो आदर्श पनधारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार से इस संबंध में अभी कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली है।

[हिन्दी]

"लंबित विकासात्मक परियोजनायें"

1435. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री राम नाईक :
प्रो० पी०सी० थामस :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन की दृष्टि से स्वीकृति के लिए मंत्रालय के पास कौन-कौन सी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इनके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से सभी अपेक्षित सूचना और संगत ब्यौरों की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय लेने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

पर्यावरणीय और वन स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय में लंबित विकासात्मक परियोजनाओं की सूची

क. पर्यावरणीय स्वीकृति

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कब से लंबित	लंबित के कारण
1	2	3	4
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में फोनिक्स खोड़ी जेट्टी (चरण-2) का निर्माण	अगस्त 1995	कार्रवाई चल रही है।
	आंध्र प्रदेश		
2.	रा० मा०-5 के मद्रास-विजयवाड़ा भाग के चिलाकलरूपेट और विजयवाड़ा के बीच (334/775) कि०मी० तक 2 जेन के कैरिजवे को 4 लेन तक चौड़ा और सुदृढ़ करना।	अगस्त 1995	परीक्षण के अंतिम चरण में।
3.	दिवीज लैबोरेटरीज लि० का आं० प्र० के नालगोण्डा जिले में बल्क ड्रग मेन्यूफेक्टरिंग यूनिट	मई 1995	-वही-
4.	मैसर्स कमाण्ड पेट्रालियम (इंडिया) प्रा० लि० का आंध्र प्रदेश में ते०प्रा०गै०आ० के साथ गोदावरी नदी डेल्टा के समीप स्थित रावा आयल और गैस फील्ड का विकास	जून 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
5.	मैसर्स आई०टी०सी० भद्राचलम पेपरबार्ड लि० का आई०टी०सी० सरपका, खमाम में पेपरबोर्ड प्रोडक्शन और कोजनरेलन का विस्तार	अगस्त 1995	कार्रवाई चल रही है।
6.	एशियन पेण्ट्स, पाटनचेरू, आ०प्र० द्वारा पेण्ट्स परिसर का विस्तार	सितंबर 1995	-वही-
7.	मैसर्स लारसेन एण्ड टौब्रो लि० द्वारा अनंतपुर ग्राम में सीमेण्ट संयंत्र	नवम्बर 1995	-वही-
8.	मैसर्स पन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लि० का तादीपत्री में 600 टी०पी०डी० सीमेंट संयंत्र	अक्टूबर 1995	-वही-
9.	2X500 मे०वा० सिमहद्री टी०पी० एस०ए०पी०एस०ई०बी०	नवंबर 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
10.	एन०टी०पी०सी० का हैदराबाद मेट्रो कंबाइन्ड साइकिल पावर संयंत्र, चरण-I (650 मे०वा०)	नवंबर 1995	कार्रवाई चल रही है।
11.	मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया का तंदूर चूना खान	मार्च 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	मनुगुरू ओपनकास्ट-4 खान, मैसर्स एस०सी०सी०एल०	मार्च 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
13.	मैसर्स एस०सी०सी०एल० का कोयागुदम ओपनकास्ट कोयला परियोजना	नवंबर 1994	कार्यवाई चल रही है
14.	तुम्मल पेन्टा चूना खान, मैसर्स लारसन एण्ड टौब्रो	नवंबर 1995	-वही-
असम			
15.	नार्थ ईस्टर्न कोल फील्ड लि० द्वारा असम के कोल लोडों में प्रस्तावित हवाई पट्टी	जुलाई 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	मैसर्स डी०एल०एफ० पावर लि० द्वारा 15.5 मे०वा० बंशकंडी टी०पी०पी०	अक्टूबर 1995	-वही-
बिहार			
17.	मैसर्स रीगा सुगर कं० लि० का सीतामढ़ी, बिहार में 50 के एल/दिन डिस्टीलरी यूनिट	जून 1995	-वही-
18.	आई०ओ०सी० का 3.3 से 4.2 एम०डब्ल्यू० टी०पी०ए० तक बरौनी रिफाइनरी का फूड प्रोसिसिंग क्षमता का विस्तार	अक्टूबर 1995	कार्रवाई चल रही है।
19.	जमशेदपुर पावर कं० लि० का जोजोबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (3x67.5 मे०वा०)	अक्टूबर 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
20.	मैसर्स पिराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० का अमझोर माइनिंग प्रोजेक्ट	मार्च 1989	कार्यवाई चल रही है।
21.	मैसर्स सी०सी०आई० का नार्थ उरिमजरी ओपनकाष्ट माइन	फरवरी 1993	-वही-
22.	मैसर्स सी०सी०आई० का राय बचरा अण्डरग्राउण्ड माइन	फ़रवरी 1993	-वही-
23.	मैसर्स सी०सी०आई० का तारपिन साउथ ओपनकाष्ट माइन	अप्रैल 1993	-वही-
24.	मैसर्स सी०सी०आई० का गोबिन्दपुर ओपनकाष्ट माइन	अप्रैल 1993	-वही-
25.	मैसर्स सेल का हेसलडाग डोलोपाइट माइन	जनवरी 1994	-वही-
26.	मैसर्स सेल का भावनाथपुर चूना खान	मई 1994	-वही-
27.	मैसर्स सी०सी०एल० का हुरीलांग	दिसंबर 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
28.	मैसर्स सी०सी०एल० का चुरी अण्डरग्राउण्ड माइन	नवंबर 1991	कार्रवाई चल रही है।
29.	मैसर्स सी०सी०एल० का केडला ओपनकस्ट माइन	जुलाई 1992	कार्रवाई चल रही है।
30.	मैसर्स सी०सी०एल० का अशोक ओपन काष्ट माइन	अगस्त 1992	कार्रवाई चल रही है।
31.	मैसर्स सी०सी०एल० का कोनार ओपनकास्ट माइन	सितंबर 1992	-वही-
32.	मैसर्स सी०सी०एल० का कावेरी ओपनकास्ट माइन	जनवरी 1993	-वही-
33.	मैसर्स बी०सी०सी०एल० का संशोधित मालगोरूमाइन	जून 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
34.	मैसर्स इन्डाल का पाकबर बाक्साइट माइन	सितंबर 1995	कार्रवाई चल रही है।
35.	मैसर्स इन्डाल, बागरू हाइट बाक्साइट माइन	सितंबर	-वही-

1	2	3	4
दीव और दमन			
36.	मैसर्स ख्यातिहोटल्स प्रा० लि० द्वारा दमन में ख्याति होटल्स और जल क्रीड़ा काम्पलैक्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव	अप्रैल, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
37.	दमन में होटल देवका बीच रिसार्ट प्रा० लि० का विकास-तटीय विनियम क्षेत्र के अन्तर्गत मंजूरी	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
गोवा			
38.	स्टार बीच रिसार्ट द्वारा कोलवा में सर्वेक्षण संख्या 24, 26 और 16 पर प्रस्तावित पर्यटन कुटीरों और होटल भवन का निर्माण।	दिसम्बर, 1995	उच्च ज्वार रेखा प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
39.	मोर मुगक पत्तन, गोवा में बहुउद्देशीय बल्क कारगो बर्थ का निर्माण।	फरवरी, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
40.	मैसर्स मरमन इंजीनियरिंग तथा शिप बिल्डिंग प्रा०लि० द्वारा गोवा में जौरी नदी पर सनकोएल में विद्यमान शिपयार्ड का विस्तार	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
41.	सेलोसिम, गोवा में सर्वेक्षण संख्या 100/1, 2, 3 तथा 99/1 में विद्यमान लीला बीच रिसार्ट का प्रस्तावित विस्तार	अगस्त, 1995	एच०ए०एस०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
42.	चिकेलिम, गोवा के सर्वेक्षण संख्या 37/1 तथा 2 में ट्रेड विंग्स लि० द्वारा बोगमाली बीच में कुटीरों का प्रस्तावित निर्माण	अगस्त, 1995	एच०टी०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
43.	पेंथहाउस बिल्डर्स प्रा०लि० के लिए बेसमेंट सहित विद्यमान भवन का नियमितीकरण	अगस्त, 1995	एच०टी०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
44.	मैसर्स गाथी डिसूजा द्वारा बीच का संशोधित प्रस्ताव	अगस्त, 1995	एच०टी०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
45.	मैसर्स रिजवी एस्टेट एण्ड होटल्स प्रा०लि० द्वारा प्रस्तावित लघु सैरगाह	अगस्त, 1995	एच०टी०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
46.	सालसीटे, गोवा में इटोरडा गांव के सर्वेक्षण सं० 4/1, 2, व 42/2 में प्रस्तावित महारानी अतिथि ग्रह का निर्माण	सितम्बर, 1995	एच०टी०एल० प्रोफाइल पर भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
गुजरात			
47.	बम्बई से बड़ोदरा तक एक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
48.	मंगरौल फिशिंग हार्बर का विस्तार	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
49.	द्रव्य हाइड्रोकार्बन और अन्य रसायनों की हैंडलिंग के लिए काम्बे की खाड़ी में एक पत्तन का निर्माण	अक्तूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा हे।
50.	कांडला पत्तन में चौथी तेज जेरी का निर्माण	जनवरी, 1995	जांच के अन्तिम चरण में मंजूर
51.	कच्छ की खाड़ी, कांडला पत्तन में बादीनार में कच्चे तेल की हैंडलिंग के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रस्ताव।	फरवरी, 1995	जांच के अन्तिम चरण में
52.	नवल खाती पत्तन में एल०पी०जी० आयात टर्मिनल का निर्माण—मैसर्स धरमसी मोरारजी कैमिकल्स लिमिटेड।	जून, 1995	जांच के अन्तिम चरण में
53.	कच्छ जिले में खारो-क्रीक की फस्टिव जैटी का निर्माण — मैसर्स सांघी उद्योग लि० का प्रस्ताव	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
54.	तटीय क्षेत्र विनिमय अधिसूचना के अन्तर्गत गुजरात में ओखा पत्तन में भंडारण टैंकों के निर्माण की अनुमति — मैसर्स वेस्टर्न पेट्रो डाइमंड प्रा० लि० का प्रस्ताव	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
55.	तालुका महल जाफराबाद, जिला अमरेली, गुजरात में तटीय क्षेत्र विनियम में चूना पत्थर और मार्ल के खनन को जारी रखने की अनुमति	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
56.	गंधार पेट्रोकैमिकल्स काम्पलैक्स, आई०पी०सी०एल० के लिए नर्मदा नदी पर कैप्टिव जैरी सुविधाओं की स्थापना	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
67.	एच०पी०सी०एल० द्वारा कुंडला पत्तन में प्रस्तावित जैटी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में	अक्तूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
58.	डाहेज गंधार बड़ोदा पाइपलाइन परियोजना, आई०पी०सी०एल०	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
59.	मैसर्स डाल्फिन लेबोरेटरीज लि० का सनन्द, अहमदाबाद में फार्मास्यूटिकल संयंत्र	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
60.	मैसर्स मेट्रोकैम इन्डस्ट्रीज लि० बड़ौदा का डाईज और डाई इन्टरमीडिएट का विर्निर्माण	जून, 1995	कार्रवाई चल रही है।
61.	मैसर्स इफको, गुजरात द्वारा कांडला उर्वरक संयंत्र का विस्तार	जुलाई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
62.	मैसर्स यूनाइटेड फास्फोरस लि० का अहमदाबाद के पास जुदावा में जी आई०डी०सी० एस्टेट में एक क्लोर अल्काली की स्थापना	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
63.	मैसर्स एशियन पेन्ट्स का अंकलेश्वर, गुजरात में जी० आई०डी०सी० इन्डस्ट्रियल एस्टेट में पेन्ट संयंत्र का विस्तार	जुलाई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
64.	मैसर्स क्रिभडो का हजीरा में नाइट्रोफास्फेट परियोजना	अगस्त, 1995	कार्रवाई चल रही है।
65.	मैसर्स बिरला सेलूलोज, बडोदरा का कराच, जिला भड़ौच में 60000 ए०पी०ए० क्षमता का विस्कोस स्टेपल फाइबर संयंत्र	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
66.	कास्टिक सोडा प्लांट जंगाधिया मैसर्स डी०सी०एम० श्री राम केर्न्सा लिडटेड लिमिटेड	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
67.	कावास कम्बाइड साइकिल पखर प्रोजेक्ट स्टेज 11 (650 मे०वा०)	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
68.	2x120 मे०वा० मैंजोल टी०पी०पी०, जी०आई० पी०सी०एल०	सितम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
69.	4x250 मे०वा रिलाएंस टी०पी०पी० मोटी खेवडी, जाम नगर	सितम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
70.	2x500 मे०वा० कोल बेस्ट कोस्टल टी०पी०एस० साराखाड़ी के पास, सौराष्ट्र गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
71.	2x120 मे०वा० घोगा टी०पी०पी० मैसर्स गुजरात पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
72.	1x20 मे०वा० लिग्नाइट फायर्ड टी०पी०पी० खरसलिया गांव के पास भावनगर जिला मैसर्स गुजरात पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
73.	कैप्टिव कम्बाइंड साइकिल का-जेनरेशन स्टीम एंड पावर प्लांट (90 मे०वा०) एम०/एस० गुजरात एल्कलीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा	नवम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।

1	2	3	4
74.	कापर स्मेल्टर एंड रिफाइनरी काम्प्लेक्स एंड द कैप्टिव पार्ट फैसिलिटीज़, मैसर्स मेटडाइज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	नवम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
	हरियाणा		
75.	पलवल थर्मल पावर स्टेशन (2X250 मे०वा०) एच०एम०ई०बी०	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
76.	बल्क ड्रग यूनिट, गुड़गांव, ई०एम०एम० बायो०केम० लैबोरेटरीज़ (पी) लिमिटेड	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
77.	मैन्यूफैक्चर ऑफ डी०डी०पी० (डी०आई०ओ०सी०टी० वाय फथोलिटीज़) रोहना, जिला सोनीपात	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
78.	सेटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स प्रोजेक्ट पानीपत, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
	हिमाचल प्रदेश		
79.	हेलिस्कीइंग एक्टिविटीज कुल्लू क्षेत्र में, मैसर्स मर्करी हिमालयन इक्सप्लोरेशन्स द्वारा	फरवरी, 1995	कार्य चल रहा है।
	कर्नाटक		
80.	प्रपोज्ड बल्क एल०पी०जी० स्टोरेज एंड डिस्ट्रिब्यूशन फैसिलिटीज़ एंड कान्सट्रक्शन आफ जेटी, कारवार, एल०पी०जी० प्रपोजल के आयात के लिए मैसर्स इन्डो एल०पी०जी० बॉटलिंग प्लांट लिमिटेड	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
81.	पिग आयरन एंड फाउंड्री यूनिट, मैसर्स किर्लोस्कर फेरोअस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
82.	पिग आयरन एंड ड्युक्लाइट आयरन स्पन पाइप प्लांट, कुंडेरमुख आयरन और कं० लिमिटेड	मई, 1995	जांच के अन्तिम चरण में है।
83.	हाट मेटल पिग आयरन प्लांट रायचूर, मैसर्स कल्याणी फेरोअस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुणे	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
84.	बल्क ड्रग यूनिट कुन्निगल मैसर्स कानफा केपो आर्गेनिक लिमिटेड	जून, 1995	कार्य चल रहा है।
85.	बल्क ड्रग यूनिट, मैसूर कर्नाटक, मैसर्स मैक्स इंडिया लिमिटेड	जून, 1995	जांच के अन्तिम चरण में है।
86.	मैन्युफैक्चरिंग आफ बल्क ड्रग्स विदर, कर्नाटक का मैसर्स एल०एस० के फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि०	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
87.	स्टली प्लांट रायचूर जिला, का मैसर्स कल्याणी स्टील्स लिमिटेड	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
88.	मैन्युफैक्चरिंग आफ रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड इंडियन मेड लिकर बिदर, मैसर्स गैबसन्स डिस्टिलरीज़ लिमिटेड	सितंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
89.	प्रोजेक्ट आफ केमिकल्स प्लांट रानीपेट, मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
90.	बल्क ड्रग्स यूनिट मैसर्स रेकोन लिमिटेड पारामंगलम्, कर्नाटक	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
91.	4X250 मे०वा० मैंगलौर टी०पी०पी० नंदीकुर पावर कं०	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
92.	रायचूर टी०पी०एस० यूनिट्स 5 और 6 (2X210 मे०वा०)	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
93.	100 मे०वा० कैप्टिव पावर प्लांट, बेलगांव, मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कं० लि०	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
94.	संदूर मैंगनीज़ एंड आयरन और प्रोजेक्ट, मैसर्स एस०एम०आई०ओ० अ०आर०ई०	मई, 1993	कार्य चल रहा है।
95.	क्वार्ट्ज माइन मैसर्स संदूर मैंगनीज़ एंड आयरन और लिमिटेड	अप्रैल, 1994	कार्य चल रहा है।
96.	दोड क्न्या मैंगनीसाइट एंड ड्यूनाइट माइन, मैसर्स द टाटा आयरन एंड स्टील कं० लि०	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
97.	जैसिंहपुर आयरन और प्रोजेक्ट, मैसर्स पी० अबूबकर	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
केरल			
98.	फिशरीज़ हार्बर, स्टेज-II डेबलपमेंट एट कोचीन	मार्च, 1993	महासागर विकास विभाग से बन्दगाह के विकास के बारे में निश्चित उत्तर की प्रतीक्षा है।
99.	फिशरी हार्बर प्रोजेक्ट कायमकुलम्, केरल	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
100.	आयात एल०पी०जी० बाटलिंग तथा मार्केटिंग कालीकट, मैसर्स पीवस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
101.	900 टी०डी०पी० सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, एफ०ए०सी०टी० लि०	नवम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
मध्य प्रदेश			
102.	स्पांज आयरन प्रोजेक्ट, बिलासपुर जिला, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जून, 1995	जांच का अंतिम चरण चल रहा है।
103.	2x40 मे०वा० थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोरबा जिला, बिलासपुर मैसर्स डोवा पावर लि०	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
104.	120 मे०वा० डी०जी०पी०पी० ग्वालियर, ग्वालियर पावर प्रा० लि०	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
105.	125 मे०वा० डी०जी०पी०पी० बारासिंगपुर ग्लोबल बोर्ड लि०	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
106.	2x250 मे०वा० कोल मैसर्स टी०पी०पी० भिलाई एल०एंड०टी० लि० और सेल द्वारा	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
107.	बीना टी०पी०एस० (1000 मे०वा०) बीना पावर सप्लाई कं० लि०	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
108.	120 मे०वा० डीजल पावर प्रोजेक्ट पीतमपुर खेड़ा, इन्दौर केसमीम, मैसर्स शापोरजी पल्लोन जी पावर कं० द्वारा	नवम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
109.	रौघाट आयरन और माइन मैसर्स सेल	फरवरी, 1995	कार्य चल रहा है।
110.	बाड़ादुआर डोलोमाइट माइन, मैसर्स सेल	सितंबर, 1994	कार्य चल रहा है।
111.	निघाई ओपेनकास्ट (एक्स) माइन मैसर्स एन०सी०एल०	अक्टूबर, 1994	कार्य चल रहा है।
112.	बाक्साइट माइन, मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लि०	नवम्बर, 1994	कार्य चल रहा है।
113.	अराडेन्ड एंड के वाई प्रोजेक्ट मैसर्स एस०एफ०सी०एल०	मार्च, 1995	कार्य चल रहा है।
114.	राजगर ओपेनकास्ट माइन, मैसर्स एस०ई०सी०एल०	मार्च, 1995	कार्य चल रहा है।

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
115.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट का आधुनिकीकारण एम०ओ०टी० बर्थस जे-1 से जे-3 जवाहर द्वीप	मार्च, 1995	कार्य चल रहा है।
116.	इथिलीन/ओ०डी०सी० का निर्माण जे०टी० की उतराई तथा एथलीन स्टोरेज टैक रानपार पोर्ट मैसर्स फिनोलेक्स पाइप्स लि०	मार्च, 1995	जांच के अंतिम चरण में है।
117.	लगून क्षेत्रों के भाग में पुनर्दावा बर्थ काम्प्लेक्स के पीछ जवाहर लाल नेहरू पोर्ट	मई, 1995	कार्य चल रहा है।
118.	जे०एन०पी०टी० में मेरीन केमिकल टर्मिनल	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
119.	सम्पति का पुनर्विकास सी०एस०नं० 1552 गिरगांव डिवीजन में बम्बई सी०आर० जेड के अधीन	अप्रैल, 1995	कार्य चल रहा है।
120.	प्रोपर्टी वियरिंग का विकास अंतिम प्लाट नं० 766 टाउन प्लानिंग स्कीम 4, महिम डिवीजन, दादर, बम्बई मैसर्स सूरज इस्टेट्स डेवलपमेंट प्रा० लि०	मार्च, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
121.	दिघी जेटी राजापुरी क्रीक, महाराष्ट्र, मैसर्स कुकिंग गैस लिमिटेड का प्रस्ताव	मार्च, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
122.	पुनर्निर्माण प्रस्ताव के क्लियरेंस अफगान कन्सुलेट बिल्डिंग वाकेश्वर रोड मालाबार हिल डिवीजन, बम्बई	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
123.	रिसोर्ट एवं मनोरंजन उद्यान की स्थापना नाहवा प्रयोजल मैसर्स मिराज-रिसोर्ट प्रा० लि०, बम्बई	जून, 1995	कार्य चल रहा है।
124.	गोरेगांव में गोल्फ लिक्स तथा एंसिल्री एक्टिविटी का प्रस्ताव, परिश्चम बम्बई श्री नरेन कुवाडेकर इन्व, क्लीयरेंस के बारे में	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा हे।
125.	सीमा शुल्क विभाग द्वारा मनोरी तथा अलीबाग एवं बेसिन प्रभाग विभिन्न स्थानों पर आवासीय क्वार्टरों का निर्माण — सी०आर० जैड अधिसूचना में छूट	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
126.	अवकाश गृह की स्थापना के लिए गैर कृषि प्रयोजन हेतु कृषि भूमि में परिवर्तन के लिए अनुमति	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
127.	पैसेंजर वाटर ट्रांसपोर्ट साउथ बम्बई सी० यू० बम्बई के बीच — महाराष्ट्र लिमिटेड के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेंवलपमेंट कार्पोरेशन का प्रस्ताव	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
128.	कैडबरी हाउस में वर्तमान कार्यालय भवन के विकास (पुनर्निर्माण) की अनुमति	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
129.	बम्बई के श्री नारायण भोजवानी द्वारा अनुमति मांगी गई है। सी०आर०जेड की अधिसूचना :		
	I. अपसरा को-आपरेटिव सोसायटी लि० के सदस्यों के लिए 7 फ्लैटो का निर्माण		
	II. बांद्रा वेस्ट में प्लाट नं० सी-117 में वर्तमान भवन पर 2/3 और तवों का निर्माण	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
130.	ग्रेट बम्बई के म्यूनिसिपल कारपोरेशन का प्रस्ताव फ्लाई ओवर ब्रिज से बस स्टैंड में फूट से मैरीन ड्राइव के किन्नारे जी०आर०पी० वाटर मेन का विधाना	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।

1	2	3	4
131.	मैसर्स ताहिर प्रोपर्टीज प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिहायशी बिल्डिंग प्लाट नं० 1 वर्ली स्कीम नं० 52	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
132.	लैंड बियरिंग सी०ए० नं० 1024, 1/1024, 1021, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032 का पुनर्विकास, माहिम डिवीज़न जी० नार्थ वार्ड म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ग्रेटर बम्बई, एम०जे० बिल्डर्स का प्रस्ताव	अगस्त, 1995	कार्य चल रहा है।
133.	वाडाला/सिवरी में पेट्रोलियम स्थापना बंबई आई०बी०पी० कम्पनी लि० द्वारा–सी०आर०जेड के अन्तर्गत पर्यावरण मंजूरी	सितम्बर, 1995	कार्य चल रहा हे।
134.	मुबंई एजूकेशनल ट्रस्ट का शैक्षिक परिसर, बांद्रा, महाराष्ट्र सी०आर०जेड रेग्युलेशन्स के अन्तर्गत पर्यावरण मंजूरी	सितंबर, 1995	कार्य चल रहा है।
135.	मैसर्स बी०एच०पी० इंजीनियर्स लि० का धरमतर, महाराष्ट्र में शिपयार्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
136.	मनिकगढ़ सीमेंट प्रोजेक्ट चंद्रपुर	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
137.	एस०पी०एम०/क्रास कंट्री पाइपलाइन एफ्ल्यूएंट डिसपोजल फैसिल्टीज़ 6 एम०एम०टी०पी०ए० ग्रासरूट रिफाइनरी देवघर, महाराष्ट्र हिन्दुस्तान ओमन पेट्रोलियम कम्पनी लि०	जनवरी, 1995	जांच के अन्तिम चरण में चल रहा है।
138.	वर्तमान डिस्टिलरी क्षमता का 30 कि०ली०/प्रतिदिन में विस्तार राहुड़ी साह एस० कर्नाटक लि० अहमद नगर	फरवरी, 1995	जांच के अंतिम चरण में चल रहा हे।
139.	सोनाई, जिला अहमदनगर (मुला एस०एस०के०) में 30,000 एल०पी०डी० की डिस्टीलरी और 20,000 एल०पी०डी० की ई०एन०ए० के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	अगस्त, 1994	जांच के अन्तिम चरण में चल रहा है।
140.	माल्ट डिस्टीलरी प्रोजेक्ट, डिन्डोरी नासिक ओशनिक जिला प्रा० लि०	अगस्त, 1994	जांच के अंतिम चरण में चल रहा है।
141.	22 कि०ली० प्रतिदिन के पेय अल्कोहल का निर्माण नागेगांव, पोस्ट सहारपुर मैसर्स अमर अल्कोहल लि० बांधारा, नागपुर	मार्च, 1995	कार्य चल रहा है।
142.	पाताल गंगा में आर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैसर्स गरोडिया केमिकल्स लि०	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
143.	वर्तमान वैज टाइप डिस्टिलरी का आधुनिकीकरण एवं विस्तार फर्मन्टेशन को जारी रखने के लिए, अहमदनगर मे०वा० के० पटील और साधाकारी का खाना लि० द्वारा	जून, 1995	पूरा होने के अंतिम चरण में है।
144.	बल्क ड्रग्स प्लाट एच-4 एम०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र बेलिंग, जिला औरंगाबाद, मैसर्स बोसकर केमिकल्स लि०	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
145.	बल्क ड्रग्स यूनिट, दौंड तालुका पुणे मैसर्स टी०ए०एस०सी० इन्डस्ट्रीज इंडिया लि०	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
146.	आक्सीक्लोजनाइड इनोपोर्टुरोन साइपरमेथरिक एसिड इत्यादि बम्बई, मैसर्स गारधा केमिकल्स (प्रा०) लि०.	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
147.	पेस्टिसाइड्स फाम्युलेटिंग यूनिट, अकोला, मै० रेलीज़ इंडिया लि०	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
148.	रिफैम्पिसिन के 125 टी०पी०ए० का निर्माण, एम०आई०डी०सी० महाड, मै० हिन्दुस्तान सीबा जीगी लि०	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
149.	फार्मास्यूटिकल तथा ड्रग्स का निर्माण कोल विहायर, पुणे, मै० क्रासलैंड रिसर्च लैबोरेट्रीज लि०	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
150.	मैन्युफैक्चर स्टील थ्रू इलेक्ट्रिक ए०आर०सी० फर्नेस रूट (मिनी स्टील प्लांट) मै० सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कं० लि०	सितंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
151.	पोलिएस्टर प्लांट दहाली मौडा, जिला नागपुर, डी०सी०एल० पोलिएस्टर्स लि०	सितम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
152.	मावल फाउन्डरी, मावल तालुका का आधुनिकीकारण और विस्तार पुणे एम०एस० अल्को	सितम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
153.	मुंडागांव जिला नाशिक में पालिएस्टर प्लांट मे० जिंदल पोलिएस्टर लि०	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
154.	450 मे०वा० कम्बाइंड साइकिल टी०पी०पी० भिवपुरी, टाटा हाईड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
155.	अतिरिक्त सह-उत्पादन सुविधा उरण टर्मिनल ओ० एन०जी०सी०	अगस्त, 1995	पूरा होने के अंतिम चरण में है।
156.	बरंज एंड बंदेर ब्लाक निप्पो देनरा इस्पात लि०	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
157.	कुम्भारखानी अन्डरग्राउण्ड डब्ल्यू सी०एल०	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
158.	मोगलगढ़ बाक्साइट माइन मे० इंडियन अल्यूमीनियम कं० लि०	अक्टूबर, 1995	कार्य चल रहा है।
159.	सिंटेर प्लांट प्रोजेक्ट, वर्तमान पिग आयरन प्लांट, आर०ई०डी०आई० विलेज, मे० उषा इस्पात लि०	नवम्बर, 1995	कार्य चल रहा है।
	मिजोरम		
160.	लेंगपुई, मिजोरम में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	सितंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	उड़ीसा		
161.	एन०एच०-5 से 4 लेनिंग, 27.8 कि०मी० से 61.0 कि०मी० (जगतपुर से चादीखेल) उड़ीसा सरकार	जून, 1995	जांच के अंतिम चरण में है।
162.	उड़ीसा समुद्र तट पर फिश लैडिंग केन्द्रों का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार I. केन्द्रपाड़ा जिला में तांतीपाल II. बालासोर जिला बहाबलपुर III. गंजाम जिला में सोराला IV. जगतसिंह पुर जिला में बंदारा V. केन्द्रपाड़ा जिला में खडिया पटना	जुलाई, 1995	कार्य चल रहा है।
163.	पाराद्वीप, उड़ीसा में टैंक फार्म प्रोजेक्ट मैसर्स ए०जी०आई०ओ०, काउन्टर ट्रेड प्रा०लि०	अगस्त, 1995	कार्यवाई चल रही है
164.	मैसर्स नीलांचल इस्पात निगम लि० भुवनेश्वर का दैत्री के समीप एक मि० टन का इस्पात संयंत्र	दिसम्बर, 94	कार्रवाई चल रही है
165.	एन०टी०पी०सी० का तल्चर एस०टी०पी०पी० चरण-2	जुलाई, 95	-वही-
166.	उड़ीसा पावर पार्टनर्स द्वारा 1000 मे०वा० नरज टी०पी०पी०	अगस्तर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
167.	मैसर्स एम०सी०एल० का अनंत ओपनकास्ट माइन	जनवरी, 95	कार्रवाई चल रही है
168.	मैसर्स मिश्री लाल जैन का तरूवाबिल क्रोपाइट डोलोमाइट	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
169.	मैसर्स सेल का वोलनी आइरन और माइन	सितम्बर, 94	-वही-
170.	मैसर्स एम०सी०एल० समलेश्वरी ओपनकास्टम माइन	दिसम्बर, 94	कार्रवाई चल रही है।
171.	सुकिन्दा प्रोमाइट माइन टाटा आयरन एंड स्टील कं०लि०	जून, 93	-वही-
172.	आयरन और माइन, तंतरा रायकील और बंधल, मैसर्स जिंदल स्ट्रिप लि०	फरवरी, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
173.	मैसर्स सेल — बरसुआ काल्टा आयरन और माइन	दिसम्बर, 1994	-वही-
174.	मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील माल्दा मेग्नीज़ माइन	मई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
175.	मैसर्स कुल्डा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	मई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
176.	मैसर्स एम०सी०एल० का बसुंधरा वेस्ट ओपनकास्ट माइन	जून, 1995	-वही-
177.	मैसर्स लारसन एंड टूब्रो कुट्र वाली बाक्साइट माइन	सितम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
178.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड का ट्रेन्डीपाडा ओपनकास्ट माइन	सितम्बर, 95	कार्रवाई चल रही है।
179.	राउरकेला स्टील प्लांट (सेल) का एक स्टाम्प चालित कोक ओवन बैटरी नं० 6 की स्थापना	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
पांडिचेरी			
180.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय परिसर में चासलर्स लॉज के निर्माण की अनुमति	जनवरी, 1995	परीक्षण के अंतिम चरण में है।
181.	सी०आर० जेड अधिसूचना के तहत कराइकल में उच्च भण्डारण पंप की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति	जुलाई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
182.	सी०आर० जेड में कराइकल में पर्यटन लॉज का निर्माण	जनवरी, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
183.	श्री एम० राजेन्द्रन, चिन्नकलापेट पांडिचेरी द्वारा सी० आर० जेड क्षेत्र में आर०एस० सं० 149/92 में एक मंजिला आवासीय भवन का निर्माण	अगस्त, 1995	कार्रवाई चल रही है।
184.	मैसर्स वेन्टेक इंडस्ट्रीज लि० का यनम, पांडिचेरी में बल्क ड्रक प्लांट	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
185.	मैसर्स के सी०पी० वेन्टेक इंडस्ट्रीज लि० का यनम, पांडिचेरी में एग्री केमिकल यूनिट	जुलाई, 1995	-वही-
राजस्थान			
186.	मैसर्स डी फार्मा लि० का ए-1128, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में बल्क ड्रक प्लांट	जून, 1995	कार्रवाई चल रही है।
187.	मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि० का नीमनहेडा, राजस्थान में 1.0 एम०टी०पी०ए० सीमेंट संयंत्र	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
188.	मैसर्स केडिया डेलन इंडस्ट्रीज लि० का जिला अलवर में अनाज आधारित गल्टन स्टार्च तथा स्पिरिट परिसर	जुलाई, 1995	कार्रवाई चल रही है।
189.	मैसर्स बिरला कूट एंड इंडस्ट्रीज लि० का चित्तौरगढ़ में 1.2 एम०टी०पी०ए० सीमेंट यूनिट	अगस्त, 1995	-वही-

1	2	3	4
	190. मैसर्स विन्सन ब्रूवरीज लि० का गैर नुमकिन वेहद भूमि औद्योगिक प्रस्ताव	सितम्बर, 1995	-वही-
	191. मैसर्स बिनानी जिंग लि० का बिनानी ग्राम सिरोही में सीमेंट प्लांट	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	192. मैसर्स अवन लायड चाइल्स आफशोर लि० का भिवाडी औद्यो गिक क्षेत्र में बल्क ड्रग्स प्लांट	अक्टूबर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
	193. मैसर्स राजस्थान राज्य खान और खनिज लि० का झमीकोटरा समन्वित परियोजना	फरवरी, 1994	--वही-
	194. मैसर्स हिन्दुस्तान जिंग लि० का वाल्दा टंगस्टन फ्जोराइट	फरवरी, 1994	-वही-
	195. मैसर्स बिनानी सीमेंट लि० आमली और ठंडीबेरी (सिरोही जिला) का लाइमस्टोन (आमली-मलाप)	जनवरी, 1995	-वही-
	196. मैसर्स डी० एल०एफ० सीमेंट लि० का चूना खनन (जयतरन)	जून, 1995	-वही-
	197. मैसर्स श्री सीमेंट लि० का चूना खान	जुलाई, 1995	-वही-
	198. बेदर जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	199. चंदेरी जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	200. महिला की धानी जिप्सम खनन परियोजना	नवम्बर, 1995	-वही-
	201. ललनिया जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	202. लखेड़ा-2 जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर० एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	203. खरसंडी जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
	204. देशली जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	205. आनंदगढ़ जिप्सम खनन परियोजना मैसर्स आर० एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	206. बल्लर-2 जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	207. असुवालितलई जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	208. अकसर जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	209. नचना जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
	210. भीरगढ़ जिप्सम खनन परियोजना, मैसर्स आर०एस०एम०एम०	नवम्बर, 1995	-वही-
तमिलनाडु			
	211. इंडियन अर्थस लि० के कर्मचारियों के लिए मानवलकुरिची, कन्याकुमारी में गृह निर्माण-सी०आर० जेड मानकों का शिथिलीकरण।	फरवरी, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	212. मुतुकाडू ग्राम, एम०जी०आर० जिले में बीच होटल का निर्माण, तमिलनाडु मैसर्स जेम स्टोन बीच रिसार्ट्स प्रा०लि० का प्रस्ताव	अप्रैल, 1995	कार्रवाई चल रही है।
	213. मद्रास पत्तन न्यास से पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव	मई, 1995	
	1. बहुमंजिला ट्रांजिटशेड का निर्माण		परीक्षण के अंतिम चरण में

1	2	3	4
	2. वेस्ट और नार्थ कुई बर्थ के आधुनिकीकरण		-वही-
	3. भारती डाक में कन्टेनर टर्मिनल		-वही-
	4. साउथ कुई 3 की विस्तार और इस्ट कुई के आधुनिकीकरण की समन्वित स्कीम		-वही-
214.	नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की बहिस्राव निपटान पाइपलाइन मैसर्स मद्रास, रिफाइनरीज लि०	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
215.	उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर के अन्दर पत्तन भूमि को पट्टे पर देना-तूतीकोरिन पोर्टट्रस्ट द्वारा मंजूरी का अनुरोध	अगस्त, 1995	-वही-
216.	काढ़ीवक्कन गांव, सेदापेट तालुक, चेंगलपट्टू, एम०जी०आर० जिला तमिलनाडु में मौजूदा ग्रेनाइट संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के लिए तटीय विनियम क्षेत्र के तहत पर्यावरणीय मंजूरी-मैसर्स कोठारी औद्योगिक निगम लि०	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
217.	मैसर्स अदान लाइट चाइल्स आपशोर लि० का तूतीकोरिन में 3 एम०एम० ए०पी०ए० क्षमता की पेट्रोलियम रिफाइनरी	मई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
218.	बालाजी पावर कार्पोरेशन (प्रा०लि०) का बालाजी ए०पी०पी (100 मे०वा०)	मई, 1995	जांच के अंतिम चरण में है।
219.	डाइना माकीबासकी पावर कंपनी का पिल्लाईपोरू मलानालुर में 325 मे०वा० गैस टरबाइन टी०पी०पी०	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
220.	जी०एम०आर०बगावी पावर कार्पोरेशन लि० का बेसिन ब्रिज में 200 मे० वा० डी०जी०पी०पी०	अगस्त, 1995	जांच के अंतिम चरण में है।
221.	एस०पी०आई०सी० इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि० द्वारा तूतीकोरिन में आधारित 500 मे०वा० कोयला (आधारित औ०पी०पी)	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
222.	मैसर्स स्कवेयर्ड विवरेज लि० का कुडालोर में डिस्टिलरी संयंत्र	नवम्बर, 1995	-वही-
उत्तर प्रदेश			
223.	जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में सुसीधाग पथ्यावांग का निर्माण	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
224.	बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में कपकोटे कारमी मोटरे मार्ग) 8 कि०मी० से 19 कि०मी० का निर्माण	अगस्त, 1995	-वही-
225.	जिला पिथौड़ागढ़ उत्तर प्रदेश में ओगला-भागीचैना-पातमा से वागीरहाट मोटरमार्ग का निर्माण	सितम्बर, 1995	-वही-
226.	जिला पिथोड़ागढ़ उत्तर प्रदेश में चौबटिया-कनालेखित-बमसुन मोटरमार्ग (8 से 16 कि०मी०) का निर्माण	सितम्बर, 1995	-वही-
227.	मैसर्स इन्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स का जिला बिजनौर में समेकिल चीनी एंड कागज परियोजना	मई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
228.	मैसर्स थामपुर शूगरमिल्स लि० का इथाइल एल्कोहल का 30 कै०एल० पीडी से 100 के एल०पी०डी०, एसीटेल डिहाइड तथा एसीटिक एंटीयाड्राइड का 30 एम०टी०पी०डी० से 60 एम०टी०पी०डी तक	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
229.	मैसर्स के एम शूगर मिल्स की फैजाबाद की डिस्टिलरी यूनिट	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
230.	मैसर्स मालविका इस्पात लि० का जगदीशपुर में 0.45 एम०टी०पी०ए० कोक ओवन संयंत्र।	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
231.	आटा बबराला फर्टिलाइजर संयंत्र द्वारा दोहरी फाइरिंग प्रणाली अपनाना	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
232.	पावर पैसीफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जवाहरपुर टी०पी०पी० (2x400 मे०वा०)	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
233.	झिरोली मेग्नेसाइट खान	जून, 1993	जांच के अंतिम चरण में है।
234.	मैसर्स एन०सी०एल० की बीना खान संख्या-II	जनवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
235.	लयमकोंडम लिग्नाइट खान, मैसर्स जश्मकोंडम पावर कार्पोरेशन लि०	अप्रैल, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
236.	प्रस्तावित चूनापत्थर खान मैसर्स मदुराई सीमेंट प्रा०लि०	जुलाई, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
	पश्चिम बंगाल		
237.	तटीय विनियमन क्षेत्र, वृन्दावन चाक, हल्दिया, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के प्रस्तावित पी०ओ०एल० टर्मिनल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
238.	जिला हल्दिया, मिदनापुर में तटीय क्षेत्र विनियम के अन्दर स्थापित किए जाने हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० का प्रस्तावित पी०ओ०एल० टर्मिनल	सितम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
239.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि० का दुर्गापुर में 0.5 एम०टी०पी०ए० इस्पात उत्पाद	सितम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
240.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० का हल्दिया, जिला मिदनापुर में पी०ओ०एल० टर्मिनल	अक्टूबर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
241.	सरस्ताली कैप्टिव कोयलाखान मैसर्स सी०ई०एस०ई०	नवम्बर, 1995	-वही-

ख. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित परियोजनाएं।

प्रस्ताव का नाम	लम्बित होने का कारण	कब से लम्बित है
1	2	3
राज्य का नाम : आन्ध्र प्रदेश		
1. ए०पी०एस०ई०बी० का आशा पौंड	कार्रवाई को जा रही है	अक्टूबर, 1995
2. मैसर्स हिन्दुस्तान मर्जक लि० को खनन पट्टे का नवीनीकरण राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश	-वही-	जुलाई, 1995
3. सियांग के ईवी आरएफ में वन का अनारक्षण	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	जून, 1995
4. वाईजेएन-मुगास्टर-गिरतन नेलीयेन सड़क का निर्माण	-वही-	जून, 1995
5. लोहित में विंगावटी वाल्लोन्म-नामयी रोड	-वही-	सितम्बर, 1995
राज्य का नाम : बिहार		
6. पलामू में हरिलॉग कोयला परियोजना	कार्रवाई की जा रही है	अक्टूबर, 1995
7. धनुर्ध्वजसिंह द्वारा पलोटों/कंकड़ों का निकलन	-वही-	मई, 1995
8. -वही-	-वही-	मई, 1995

1	2	3
9. -वही-	-वही-	मई, 1995
राज्य का नाम—गुजरात		
10. काली-2 सिंचाई परियोजना	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिक्षा है	अगस्त, 1995
11. सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड को चौड़ा करना (4 लाइनें)	कार्रवाई की जा रही है	अक्टूबर, 1995
12. 400 कि०वा० परीक्षण लाइन का निर्माण	-वही-	अक्टूबर, 1995
राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश		
13. एन०डी०एम०सी० द्वारा अर्कों चूना पत्थर परियोजना	-वही-	अक्टूबर, 1995
14. मैसर्स गाडगी खनिज खनन कम्पनी के पक्ष में खनन बट्टे की नवीनीकरण	-वही-	अक्टूबर, 1995
15. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों का पुनर्वास	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिक्षा है	सितम्बर, 1995
16. 27.4.78 से पहले के अवैध कब्जों का नियमितीकरण	कार्रवाई की जा रही है	जुलाई, 1995
17. वन भूमि का पुनः बंदोबस्त	कार्रवाई की जा रही है	जुलाई, 1995
18. मैसर्स और मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टें का नवीनीकरण	-वही-	जून, 1995
19. वेल्लापुर प्रभाग में मैसर्स रोहिणी माइनिंग (प्रा०) लि० के पक्ष में खनन पट्टे की मंजूरी	-वही-	मई, 1995
20. मैसर्स एस की मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	-वही-	मार्च, 1994
21. मैमर्स कृष्णा पिल्लै के पक्ष में मैगनीज और के निष्कासन के लिए खनन	-वही-	मार्च, 1995
राज्य का नाम : केरल		
22. पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए केरल जल प्राधिकरण को वन भूमि का अन्तरण	कार्रवाई की जा रही है	सितम्बर, 1995
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		
23. एयर-स्ट्रिप के निर्माण के लिए एसईसीएल को वन भूमि का अंतरण	कार्रवाई की जा रही है	अक्टूबर, 1995
24. माल्योन फाइरिंग रैंज के लिए वन भूमि का उपयोग	-वही-	-वही-
25. मैसर्स नर्मदा मिनरल्स इण्डस्ट्रीज के पक्ष में स्टोन और डोलामाइट खनन पट्टे का नवीनीकरण	-वही-	सितम्बर, 1995
26. बाक्साइट के खनन के लिए मैसर्स हिण्डाल्को लि० के पक्ष में वन भूमि का अंतरण	-वही-	अगस्त, 1995
27. -वही-	-वही-	-वही-
28. -वही-	-वही-	-वही-
29. वन ग्रामों में पट्टों का नवीनीकरण—भोपाल	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	जुलाई, 1995
30. -वही- देवास	-वही-	-वही-
31. -वही- बेतुल	-वही-	-वही-
32. -वही- सागर	-वही-	-वही-

1		2	3
33. -वही-	रायसेन	-वहीं	-वही-
34. वही	टिकमगढ़	वही	वही
35. -वही-	रायगढ़	-वही-	-वही-
36. -वही-	धार	-वही-	-वही-
37. -वन ग्रामों से पट्टों का नवीनीकरण-विदिसा		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	जुलाई, 1995
38. -वही-	गुना	-वही-	-वही-
39. -वही-	छिंदवाड़ा	-वही-	-वही-
40. -वही	रायगढ़	-वही-	-वही-
41. -वही-	बिलासपुर	-वही-	-वही-
42. -वही-	सरगुजा	-वही-	-वही-
43. -वही-	मंदसौर	-वही-	-वही-
44. -वही-	दुर्ग	-वही-	-वही-
45. -वही-	सजनंदगांव	-वही	-वही-
46. -वही	इंदौर	-वही	-वही-
47. -वही-	बालाघाट	-वही-	-वही-
48. खनन पट्टे नवीनीकरण के लिए मैसर्स मेहर सीमेंट कम्पनी को वन भूमि का अंतरण		कार्रवाई की जा रही है	मार्च, 1995
राज्य का नाम-महाराष्ट्र			
49. पेधारीवाला मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	जुलाई, 1995
50. गोकी नदी मध्यम सिंचाई परियोजना		-वही-	अगस्त, 1995
51. छिवाल लघु सिंचाई परियोजना		कार्रवाई की जा रही है	-वही-
52. हरिपुरा एम०आई०टी०		-वही-	नवम्बर, 1994
53. कुभमारकिमी एम०आई०टी० का निर्माण		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	जून, 1995
54. वेल्हेरी एम०आई०टी० का निर्माण		कार्रवाई की जा रही है	अगस्त, 1995
55. तानता अभ्यारण में वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना		-वही-	सितम्बर, 1995
56. वारन सिंचाई परियोजना		-वही-	-वही-
57. नीरा देवधार वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण		-वही-	अक्टूबर, 1995
58. सूर्या परियोजना का निर्माण		-वही-	-वही-
59. वासले एमआईटी का निर्माण.		स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	अक्तूबर, 1995
60. जम्बुलखेड़ा न्यू०एल०आई०टी० का निर्माण		-वही-	-वही-
61. पश्चिमी कोयला क्षेत्र का घुग्गु खुली खदान परियोजना के लिए वन भूमि का अंतरण		-वही-	-वही-

1	2	3
62. कढ़ालबोडा पर्कुलेगन टैंक का निर्माण	-वही-	-वही-
63. खापा-2 पर्कुलेगन टैंक का निर्माण	-वही-	-वही-
64. वार्धा एमआईटी परियोजना का निर्माण	-वही-	-वही-
राज्य का नाम : मिजोरम		
65. भारत बंगलादेश मार्ग	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	फरवरी, 1995
राज्य का नाम : उड़ीसा		
66. ग्रामीणों का पुनर्वास	कार्रवाई की जा रही है	जून, 1994
67. परी व कोणार्क समुद्र तट पर होटलों का निर्माण	-वही-	अक्टूबर, 1995
68. महानंदा कोलफील्ड लि० की तल्चर कोलियरी के खनन पट्टे का नवीनीकरण	-वही-	नवम्बर, 1995
69. बघवा लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण वरण-2	-वही-	जुलाई, 1995
70. मिश्री लाल माइन्स (प्रा०) लि० के पक्ष में सारूविल क्रोसाइट खानों के लिए वन भूमि	-वही-	अक्टूबर, 1995
राज्य का नाम : राजस्थान		
71. राष्ट्रीय राजमार्ग नं-8 को 107/180 कि०मी० से 612/500 कि०मी० तक चार लाइनों में सुदृढ़ बनाना ए०डी०बी०	कार्रवाई की जा रही है	अक्टूबर, 1995
72. बी०ए०आर०सी० द्वारा एस्ट्रोनामिकल फौसलाट "ग्रेस" की स्थापना	वही	अक्टूबर, 1995
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश		
73. बदयागढ़ से सौर खाल एम०आर० का निर्माण	कार्रवाई की जा रही है	अगस्त, 1995
74. हार्नीबल टूरिस्ट काम्प्लेक्स	-वही-	जुलाई, 1995
75. अल्मोड़ा मैगनीज लि० को खनन पट्टे का नवीनीकरण	-वही-	मार्च, 1995
76. राम राज फील्ड फायरिंग रेंज	-वही-	-वही-
77. गांधार फील्ड फायरिंग रेंज	-वही-	-वही-
78. तीन नदियों पर सड़क और पुलों की मंजूरी	-वही-	-वही-
79. रावरी जोगावारा एल०वी०आर०	-वही-	-वही-
80. टनकपुर — तवीघाट मीटर मार्ग	-वही-	-वही-
81. माना फील्ड फायरिंग रेंज का निर्माण	-वही-	-वही-
राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल		
82. मिदनापुर में भारतीय [illegible]की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को वन भूमि	कार्रवाई की जा रही है	अक्टूबर, 1995
83. बनर्जी को खनन पट्टा	-वही-	-वही-

[अनुवाद]

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना

1436. **डा० बसंत पवार :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार को गाय, बैल तथा सांड को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि, बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इसमें परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1437. **श्री मोहन रावले :**
श्री राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाये गये राज्यों का नाम तथा प्रखंडों की सख्या राज्यवार क्या है;

(ख) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य बातें क्या है;

(ग) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किस हद तक उपयोगी सिद्ध हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र को देश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(च) क्या देश के अतिरिक्त विकास प्रखंडों में उचित परिवर्तनों के साथ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणली को लागू करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जिसमें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले राज्यों तथा ब्लाकों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ख) से (छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री समिति की अगस्त, 1991 में हुई तेरहवीं बैठक में विचार-विमर्श के बाद सरकार ने दूरस्थ, पहाड़ी, दुर्गम, आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा में सुधार लाने के लिए उपाय आरम्भ किए थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट करने का निर्णय किया था। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०), निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र (डी०एच०ए०), तथा समेकित आदियासी विकास परियोजना (आई०टी०डी०पी०), के तहत आने वाले ब्लाकों, जहां गांवों की गरीब आबादी का एक बड़ा भाग रहता है, को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात किया गया था। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे विभिन्न मुद्दों पर कार्यवाही करें तथा उनके कार्यान्वयन में हुई प्रगति की अनुवीक्षा करें। ये मुद्दे इस प्रकार हैं :–

(1) उन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलना, जहां पर वे अभी तक नहीं थीं अथवा कम संख्या में थीं;

(2) जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किए हैं, उन्हें राशन कार्ड जारी करना;

(3) वितरण के लिए भीतरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का स्टाक बनाने हेतु भंडारण क्षमता का निर्माण करना/भाड़े पर लेना;

(4) भीतरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दुकानों को उनके दरवाजे तक सुपुर्दगी करने की उपयुक्त व्यवस्था करना;

(5) उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलक्ष्यता की अनुवीक्षा करने के लिए सतर्कता समितियां गठित करना;

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए आम खपत की अतिरिकत वस्तुएं वितरित करना।

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम का प्रधानमंत्री द्वारा 1.1.1992 को बाड़मेर, राजस्थान में लगभग 1700 ब्लाकों में शुभारम्भ किया गया था। सरकार ने 1.6.1992 से सभी संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करने का निर्णय किया था। इससे पहले विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्य केवल समेकित आदिवासी विकास परियोजना ब्लाकों के लिए ही लागू था। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में प्रति क्विंटल 50/- रु० कम है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि खाद्यान्न के अंतिम खुदरा मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से प्रति कि०ग्रा० 25 पैसे से अधिक नहीं होने चाहिए। केवल संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रति वर्ष 32 लाख मी० टन खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा नियत की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को किए जा रहे आवंटनों के अलावा है।

यह निर्णय किया गया है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार अक्तूबर, 1995 से सुनिश्चित रोजगार स्कीम (ई०ए०एस०) के तहत आने वाले सभी ब्लाकों, पर लागू कर दिया जाए, जिनकी कुल संख्या 2446 है।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले ब्लाकों की संख्या

संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत आने वाले ब्लाकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	155
2.	अरुणाचल प्रदेश	56

1	2	3
3.	असम	142
4.	बिहार	266
5.	गोवा	--
6.	गुजरात	131
7.	हरियाणा	44
8.	हिमाचल प्रदेश	19
9.	जम्मू और कश्मीर	80
10.	कर्नाटक	119
11.	केरल	21
12.	मध्य प्रदेश	297
13.	महाराष्ट्र	171
14.	मणिपुर	22
15.	मेघालय	32
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैण्ड	28
18.	उड़ीसा	175
19.	पंजाब	--
20.	राजस्थान	172
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडू	89
23.	त्रिपुरा	18
24.	उत्तर प्रदेश	248
25.	पश्चिम बंगाल	128
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	--
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दमण व दीव	1
30.	दिल्ली	--
31.	लक्षद्वीप	5
32.	पांडिचेरी	--
	कुल	2446

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1438. **डा० साक्षी जी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अविध के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, 1994-95 के दौरान हई उपलब्धियों और इन योजनाओं पर किये गये व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 में उ०प्र० में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

क्र०सं०	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि	अब तक निर्मुक्त की गई धनराशि (रु० लाख में)
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना	327716 हेक्टेयर (8 वीं योजना का लक्ष्य)	6800.497
2.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	223.7 लाख टन (1994-95)	1164.77 (81वीं योजना के दौरान)
3.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	24.60 लाख टन (1994-95)	1572.47 (8वीं योजना के दौरान)
4.	नानओवरइयू कवर	कोई लक्ष्य नहीं	722.00 (8वीं योजना के दौरान)
5.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	5.46 है० (1994-95)	3590.00
6.	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध	4749. है० (1994-95)	6810
7.	क्षारीय मृदा का सुधार	10180 है० (1994-95)	911.22 (8वीं योजना के दौरान)

1	2	3	4
8.	उर्वरकों का सन्तुलित और समेकित उपयोग	2600 है० (लक्ष्य) (1994-95)	99.15
9.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों उर्वरकों के उपयोग के विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	1. 7700 थैलों की आपूर्ति 2. समेकित राष्ट्रीय प्रणाली का प्रदर्शन-30 3. कम्पोस्ट खाद बनाने की उन्नत विधि का प्रदर्शन (1994-95-लक्ष्य)	16.27 (1994-95 और 1995-96 के दौरान)
10.	चावल आधारित फसल चक्र वाले क्षेत्रों में समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम	4.5 लाख क्विंटल बीज का वितरण 900 क्षेत्र प्रदर्शन 900 आई०पी०एम० प्रदर्शन 20255 फार्म उपस्कर वितरण (1994-95)	3268.02, (आठवीं योजना)
11.	चावल आधारित फसल चक्र वाले क्षेत्रों में समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम	3.60 लाख क्विंटल बीज वितरण 784 क्षेत्र के प्रदर्शन 7377 फार्म उपस्करों का वितरण	50.839.34 (आठवीं योजना)
12.	गहन विकास कार्यक्रम	1. 535 है० क्षेत्र प्रदर्शन 2. 20 है० आई०पी०एम० प्रदर्शन 3. 600 पादप संरक्षण उपस्कर (1994-95)	19.21 (आठवीं योजना)
13.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	1. 569 क्विंटल बीज वितरण 2. 462 है० क्षेत्र प्रदर्शन	38.66 (आठवीं योजना)
14.	सहकारिता में महिलाओं की सहायता	11 सहकारी समितियों को सहायता दी गई	10.99 (1994-95)
15.	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहन	1. फार्म प्रदर्शन 467 2. ड्रिप स्थापना 1333 3. ग्रीन हाऊस 1.36 4. मल्चिंग 400 (लक्ष्य 1994-95)	439.44
16.	मिर्च की प्रजातियों के विकास संबंधी समेकित कार्यक्रम	1. पादप संरक्षण उपायों का प्रदर्शन 5000 है० 2. मिनीक्टिी का वितरण-500 3. पपरीका प्लाटों का स्थापना-50 4. प्रदर्शन बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना-500 5. पाइप संरक्षण उपकरणों का वितरण-500	55.56
	(अदरक)	6. मिनीकिटों का वितरण-500 7. प्रदर्शन सह-बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना-400	
	(छोटे मसाले)	8. मिनकिटों का वितरण-5000 9. किसानों के खेतों में प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन-1000	
	(हल्दी)	10. प्रदर्शन सह-बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना-100 (लक्ष्य-1994-95)	
17.	प्रमुख फसलों की खेती पर आने वाली लागत संबंधी वृहद योजना	कोई लक्ष्य नहीं	148.36 (8वीं योजना)
18.	प्रमख फसलों के क्षेत्र ओर उत्पादन की समब से रिपोर्टिंग	लक्ष्य नहीं	61.27 (8वीं योजना)
19.	फसल सांख्यिकी में सुधार	लक्ष्य नहीं	110.91 (8वीं योजना)
20.	फलों, सब्जियों और साधारण फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण	लक्ष्य नहीं	27.11 (8वीं योजना)
21.	पशुधन संगणना कराने में राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को सहायता	लक्ष्य नहीं	45.69 (8वीं योजना)
22.	राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि इंजीनियरिंग विभागों का सुदृढ़ीकरण (नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद)	लक्ष्य नहीं	49.95 (8वीं योजना)

[अनुवाद]

प्राथमिक स्कूलों को अनुदान

1439. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्त प्रदेश सरकार ने उन प्राथमिक विद्यालयों को जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है तथा जहां छात्रों की भागीदारी बिल्कुल नहीं है; उन्हें अनदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (डॉ० कृपा-सिंधु भोई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन

1440. **श्री छेदी पासवान :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये अनसंधन कार्य पर किये गए व्यय की तलना में इसका मूल्यांकन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता और अर्जित विदेशी मद्रा बढ़ाने में इस अनुसंधान कार्य का कौन सा भाग वास्तव में प्रभावी रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कब तक कार्यवाही शुरू किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धान की फसल के कुछ परिणाम उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए यह अनुमान है कि सामान्य तौर पर मूल्यांकित न किए जा सकने वाले निवेश संबंधी घटकों जैसे — अनुसंधान, विस्तार उत्पादन का 1971-88 के दौरान उत्पादन वृद्धि में करीब एक तिहाई योगदान रहा हैं। इन मूल्यांकित न किए जा सकने वाले निवेश घटकों में केवल अनुसंधान का ही 57 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

"पोलीथिन और प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग"

1441. **श्री महेश कनोड़िया :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोलीथिन थैलों के प्रयोग और खराब होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं को प्लास्टिक आवरण में लपेटने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"चीता बचाओ" अभियान

1442. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधीजी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 1 अक्टूबर, 1995 से "चीता बचाओ" अभियान को शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अभियान के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की आवश्यकता

1443. **श्री वृषिण पटेल :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों और साथ ही इस शताब्दी के अन्त तक के लिए देश में विभिन्न खाद्यान्नों की आवश्यकता की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं, चावल, तेल तथा दालों की अलग-अलग आवश्यकता की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपरोक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में वर्षवार औसतन कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार 1996-97 तथा 2006-07 के दौरान खाद्यान्न की आवश्कयता क्रमशः 208 मिलियन टन तथा 283 मिलियन टन आंकी गई है। वर्ष 2000 इस्वी के लिए ऊर्जा प्रोटीन आधारित राष्ट्रीय नियामक खाद्यान्न आवश्यकता 179 से 187 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) चावल, गेहूं, तेल एवं दालों की आवश्कयता का अलग-अलग अनुमान लगा पाना कठिन है, क्योंकि उक्त जिन्सों की आवश्यकता अनेक परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर होती है, जैसे उत्पादन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, विकल्पों की उपलब्धता उपभोक्ता की आदतें आदि।

(ग) 1980-81 से 1994-95 तक की अवधि में उत्पादन की अखिल भारतीय औसत संयुक्त वृद्धि दर चावल के लिए 3.48 प्रतिशत प्रतिवर्ष, गेहूं के लिए 3.70 कल दलहन के लिए 1.67 तथा कुल तिलहन के लिए 5.89 प्रतिशत प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

1444. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **नागरिक उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** सुपर बाजार और राज्य के बारे में 1 अगस्त,

1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 285 और 350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हल्दी राम नमकीन द्वारा सुपर बाजार को आपूर्ति किए गए पंसारी के समान को घटिया तथा मिलावटी पाया गया;

(ख) यदि हां, तो यह दावा करना कहां तक उचित है कि सुपर बाजार में पंसारी के सामान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशाला परीक्षण व्यवस्था है;

(ग) क्या इन वस्तुओं की बिक्री काऊंटर पर रखने से पूर्व जांच नहीं की गई है;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तथा केवल अच्छी किस्म की वस्तुओं की विक्री को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता माले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

नई भण्डारण प्रौद्योगिकी

1445. श्री बी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान एकत्रित हुए अतिरिक्त खाद्यान्नों के भारी स्टाक के कारण उत्पन्न संकट से निपटने हेतु निर्यात प्रसंस्कृत भण्डारण के लिए नई भण्डारण प्रौद्योगिकी अपनाने का है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने निर्यात प्रसंस्कृत भण्डारण की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी जांच कर ली है, यदि हां तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) मै० वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज कं०लि०, आयरलैण्ड ने भारत में वी०पी०एम० सिस्टम (वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज सिस्टम) की शुरूआत करने के लिए प्रस्ताव दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने उक्त वी०पी०एस० सिस्टम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

1446. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल को उच्च प्राथिमकता देने तथा खिलाड़ियों एवं छात्रों को सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करने का है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगताओं में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय खेल प्राधिकरण को आर्थिक सक्रिय एवं परिणामोन्मुख बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) जी, हां। खिलाड़ियों को कई प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को पुरस्कार/नकद पुरस्कार देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपस्करों का प्रावधान, विदेशी प्रशिक्षक, वैज्ञानिक समर्थन, विदेशों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा का खर्च आदि शामिल हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को क्रमशः 2000/- रुपये तथा 1500/- रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण छात्रों में से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने और उन्हें गहन प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। भारत सरकार ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज को भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सुधार हेतु सुझाव देने और उन्हें अधिक सक्रिय एवं परिणामोन्मख बनाने के लिए लगाया है। उनकी रिपोर्ट में योजनाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:—

1. शैक्षिक नेटवर्क में सामूहिक सहभागिता द्वारा खेलों को बढ़ाने हेतु योजना का विकास।
2. कालेजों और विश्वविधालयों में खेलों की निरंतरता हेतु अधिक सुविधाओं का सृजन।
3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए चयनित खेल विधाओं हेतु "उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन"।
4. उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान योजनाओं का पुनर्गठन।

उपर्युक्त सिफारिशों की भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा समीक्षा की गई है तथा योजनाओं में कुछ योक्तिकीकरण किए गए हैं।

नारियल-तेल

1447. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपारम्परिक क्षेत्रों में नारियल-तेल को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम मिले है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने तेल सहित नारियल उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिये पटना तथा भुवनेश्वर जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों और कोचि, कोट्टायम, बंगलोर जैसे

परम्परागत क्षेत्रों में प्रदर्शन सह-बिक्री केन्द्र खोले हैं। बोर्ड परम्परागत और गैर परम्परागत दोनों क्षेत्रों में नारियल तेल को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से विज्ञापन भी जारी करता रहता है।

(ख) अन्ततः किए गए प्रयासों से खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार के तेलों की खपत और नारियल तेल के उपयोग पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा है।

दलहन अनुसंधान संस्थान

1448. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु एक दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने के पश्चात् दलहनों का उत्पादन किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 6.9.1993 से कानपुर (उ०प्र०) में एक पूर्ण भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

धान की खेती के स्थान पर मत्स्य पालन

1449. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में धान की खेती का क्षेत्र कम हो रहा है और इसका स्थान मत्स्य पालन ने ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा अन्य राज्यों में मत्स्य पालन के लिए ऐसी कितनी भूमि का उपयोग हो रहा है जिस पर पहले धान की खेती होती थी;

(ग) क्या धान की खेती की तुलना में मत्स्य पालन अधिक लाभप्रद है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी फसलों की जानकारी है जिनके स्थान पर अन्य फसलें उगाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। हाल में आंध्र प्रदेश और पंजाब समेत पूरे देश भर में धान की खेती के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) नियमित रूप से, किसान विभिन्न कारणों यथा जलवायुवीय स्थितियों, कीमतों में उतार-चढ़ाव, लाभ आदि की हानि से अपने फसल चक्र में परिवर्तन करते रहते है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति चीनी

1450. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा समान करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस योजना को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु अपनी प्रचालनात्मक जिम्मेदारी के रूप में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पात्रता मापदण्ड तथा उपभोक्ताओं की पात्रता संबंधी पैमाने जैसे मामले तय करते हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई लेवी चीनी की पात्रता की मात्रा एक ऐसा मामला है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार आम तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.10.86 की स्थिति अनुसार निर्धारित जनसंख्या हेतु प्रति माह 425 ग्राम प्रतिव्यक्ति को उपलब्ध होने के एक समान प्रतिमान से लेवी चीनी का थोक में आवंटन करती है।

कपास और तिलहनों का उत्पादन

1451. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कपास और तिलहनों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि में इनका अनुमानित कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कपास और तिलहनों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कपास और तिलहनों संबंधी लक्ष्य और सम्भावित अनुमानित उत्पादन इस प्रकार हैं :—

फसल	इकाई	लक्ष्य	सम्भावित उपलब्धियां
कपास	120 कि०ग्रा० की प्रत्येक गांठ	130.0	123.4
कुल तिलहन	लाख मीटरी टन	225.00	218.00

(ग) और (घ) :— जी, हां। पिछले दो वर्षों में कपास और कुल तिलहनों कर उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	1993-94	1994-95
कपास (लाख गांठे)	107.4	121.1
कुल तिलहन (लाख मीटरी टन)	215.00	214.2

[हिन्दी]

मात्स्यिकी पत्तन/अवतरण केन्द्र

1452. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात में उन मात्स्यिकों पत्तनों/अवतरण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण कार्य निर्धारित, अवधि के समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) उनका निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभााव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) संलग्न विवरण में उल्लिखित कारणों से इन मत्स्यन् बन्दरगाह परियोजनाओं के लिये जो कि अभी निर्माणाधीन है, मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं।

विवरण

मत्स्यन बन्दरगाह/ मत्स्य अवतरण केन्द्र	राज्य	मंजूर की गई लागत (रु० लाख में)	मंजूरी की तारीख	काम पूरा करने की मूल रूप से निर्धारित तारीख	काम पूरा होने को सम्भावित तारीख	विलम्ब के कारण
1. प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह						
1. ससूनडाक मत्स्यन बन्दरगाह	महाराष्ट्र	824.36	1/89	1/90	12/95	पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ आवासीय परिसंघों की याचिकायें तथा अनुबंध संबंधी विवाद आदि
छोटे मत्स्यन बंदरगाह						
1. विजिजम	केरल	784.00	2/87	2/90	3/97	कोर्ट में भूमि के स्वामित्व से संबंधित याचिकाओं के साथ-साथ भूमि अधिप्राप्ति तथा पुनर्वास।
2. पुथिअप्पन	केरल	527.00	1/88	1/92	12/95	कुवैत युद्ध के दौरान ईंधन को अत्यंत कमी तथा खुली खानों आदि में चट्टानों को तोडने के खिलाफ न्यायालय का स्थगना देश।
3. मुनाम्बम	केरल	710.00	10/88	1/93	3/95	अतिरिकत अभिथन्त्रण खोज, भूमि अधिप्राप्ति तथा न्यायालय का स्थगना देश आदि।
4. पांडिचेरी	पांडिचेरी	423.00	4/91	4/94	4/95	काम-शुरू किये जाने के लिये निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में विलंब।
मत्स्यन अवतरण केन्द्र						
1. तांतीपाल	उड़ीसा	60.40	3/93	3/95	3/96	धीमी प्रगति
2. नवबन्दर	गुजरात	33.91	3/91	3/95	3/96	तदैव
3. मगोड डुंगरी	गुजरात	38.74	11/92	11/94	11/96	तदैव
4. धोलै	गुजरात	33.36	11/92	11/94	11/96	तदैव

[अनुवाद]

चीनी घोटाला

1453. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1995 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "एवीडेन्स सपोर्ट्स शुगर स्कैम चार्ज" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी आयात के इस घोटाले और 1994-95 में सरकारी खाते पर इसके प्रभाव की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन प्रमख पार्टियों और अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनको मिली-भगत से राष्ट्र को क्षति हुई है; और

(च) ब्राजील जैसे चीनी उत्पादक देशों से भारी मात्रा में गैर-कानूनी चीनी के अधिमूल्य पर आयात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय, एस०टी०सी० एवं एम०एम०टी०सी० ने सरकार के खाते पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने के लिए 9.77 लाख टन चीनी की मात्रा का आयात किया, जो भारतीय बंदरगाहों पर जुलाई से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान उतारी गई। समस्त मात्रा का अनुबंध रिफाइंड चीनी संगठन आर०एस०ए० के सदस्यों के साथ किया गया था। जहां तक 14 जुलाई, 1995 के "इकोनोमिक टाईम्स में छपी रिपोर्ट का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि गैर-आर०एस०ए० के सप्लायर के प्रस्ताव की तुलना आर०एस०ए० सप्लायर के साथ हुए अनुबंध से की गई है। एस०टी०सी० एवं एम०एम०टी०सी० ने आर०एस०ए० सदस्यों के अलावा अन्य इससे भी कम मूल्यों का प्रस्ताव प्राप्त किया था। तथापि, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गैर-आर०एस०ए० सप्लायरों को उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य पर 5% की दर से बंध-पत्र, प्रस्ताव के साथ जमा करना था। एस०टी०सी० ने सूचित किया है केवल 2 गैर-आर०एस०ए० पार्टियों ने अपने प्रस्ताव देने के बाद निर्धारित अवधि में बंध-पत्र जमा करने का प्रस्ताव किया। एक-एक करके इन पार्टियों को आदेश (आर्डर) दिए गए। तथापि जबकि एक पार्टी ने निर्धारित बंध-पत्र नहीं जमा किया, दूसरे ने भी अपने प्रस्ताव पर अमल नहीं किया।

एम०एम०टी०सी० ने भी इस तरह की तीन पार्टियों को आर्डर दिया, जिन्होंने आर०एस०ए० सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यों की तुलना में कम मूल्यों पर, बंध-पत्र के साथ वैध प्रस्ताव जमा किया था, लेकिन बाद में, ये पार्टियां भी अपने अनुबंध पूरा नहीं कर सकी। एम०एम०टी०सी० एवं एस०टी०सी० ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने पेरिस के मैसर्स सकडैन कैरी के साथ 14,000 टन ब्राजीली चीनी का अनुबंध, जैसा कि इकोनोमिक टाइम्स में लिखा गया है, नहीं किया जो अक्तूबर, 1994 में मद्रास में उतारी गई। वाणिज्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, एम०टी०सी० एवं एम०एम०टी०सी० के द्वारा आयात की गई चीनी का मूल्य अन्य भारतीय आयातकों के मूल्यों के समान है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) चीनी की अनुकूल स्थिति के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एस०टी०सी० %एम०एम०टी०सी० को निर्देश दिया गया है कि वे अनुबंधित चीनी को अधिक से अधिक मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यथासंभव उच्च मूल्य पर बेच दें। इसके अतिरिक्त 5 लाख मी०टन चीनी निर्यात के लिए अधिसूचित की गई है।

चीनी का मूल्य

1454. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान चीनी का खुदरा मूल्य कितना था,

(ख) 1994-95 में इसी अवधि की तुलना में यह कितना है;

(ग) चीनी के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा 1994-95 के पहले छः महीनों के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार प्रमख बाजारों में एस०-30 ग्रेड की चीनी के खुदरा मूल्यों की रेंज इस प्रकार है :—

महीना	1995-96 (रुपये/किलोग्राम)	1994-95 (रुपये/किलोग्राम)
अप्रैल	11.50-14.20	13.00-15.00
मई	11.50-14.20	14.00-17.30
जून	11.50-14.20	14.00-17.00
जुलाई	11.60-14.30	12.80-16.40
अगस्त	11.90-14.30	12.50-14.50
सितम्बर	12.20-14.20	12.20-15.00

(ग) और (घ) 1995-96 वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में कम रहे।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

1455. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कीटनाशकों जिनका उपयोग विदेशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, को भारत में प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कीटनाशकों के नाम क्या हैं और प्रतिवर्ष उनकी कितनी मात्रा अनुमानतः प्रयोग की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ और कीटनाशकों जिनका प्रयोग विदेशों में रोक दिया गया है के प्रयोग की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई तकनीकी समिति गठित की गई है;

(च) यदि हां, तो समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(छ) कृषि में उक्त कीटनाशकों को प्रयोग में लाने के परिणाम स्वरूप जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के पहलू के बारे में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 के दौरान उपयोग की गई अनुमानित मात्रा के साथ ऐसे कृमिनाशियों के नाम विवरण में संलग्न है।

(ग) से (च) 15 कृमिनाशियों, जिनका उपयोग कुछ बाहर के देशों में प्रतिबंधित है कि उपयोग की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट छह महीने के अन्दर प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(छ) (एक) किसी कृमिनाशी को पंजीकृत करने के पहले उस खास कृमिनाशी का छिड़काव करने वाले स्प्रे आपरेटर के स्वास्थ्य के रिकार्ड के बारे में पूछा जाता है और यदि वह कृमिनाशी उपभोग के लिए सुरक्षित है, तो देश में उपयोग के लिए उसे रजिस्टर्ड किया जाता है।

(दो) कृमिनाशी विषाक्तता के मामलों के घटित होने की सूचना देने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अंतर्गत अधिसूचित कार्यकर्त्ता कृषि क्षेत्र में उक्त कृमिनाशियों के कृमिनाशी विषावतता वाले मामलों की भी सूचना देते हैं।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अन्य संगठनों/विश्वविद्यालयों द्वारा भी कुछ अध्ययन किए गए है।

विवरण

क्र०सं०	कृमिनाशी	खपत मी०टन में (तकनीकी ग्रेड) 1993-94
1	2	3
1.	एलाचसोर	9
2.	एल्डीक्राब	7
3.	एल्ड्रीन	—
4.	एलम्युनियम फास्फइड	235
5.	बी०एच०सी०	10793
6.	वेनोमिल	11
7.	कैप्टाफोल	50
8.	कप्टन	251
9.	कार्बोरिल	1626
10.xx	कार्बोफ्यूरम	1362
11.x	क्लोरोडन	—
12.	क्लोरोबैंजिलेट	—
13.	डी०डी०टी०	—
14.	डिकोफाल	112
15.	डैलड्रिन	—
16.	डैमिटथौट	2060
17.	डोरिन	19
18.	ई०डी०बी०	69
19.	ऐन्डूसल्फम	4413
20.	फैनारिमोल	—
21.x	हैप्टाक्लोर	—
22.	लिंडिन	—308
23.xx	मालाथिन	2741
24.xx	मैलिक डैड्राजिड्	4
25.	मैथोमाइल	61
26.	मैथिल मिथाइल पैराथिन	2248
27.	मोनोकोटोफास	4245
28.	ऑक्सक्लोरोफिन	5
29.	पाराक्विंट डाइक्लोराइड	99
30.	फॉरेट	2135
31.	फ़ुसफाइडपाइन	2393
32.	सोडियम साइनाइड	—
33.	थायोमिटोन	2
34.xx	थिरम	398
35.	त्रिथायाफास	27
36.	टाइडोमोर्फ	43
37.	जिंगफॉसफाइड	241
38.	जिनेब	169
39.	जिरम	248
40.	2, 4-डी	625

x राजस्थान उच्चन्यायालय के निदेशनुसार इन कृमिनाशियों की फिर से समीक्षा की जा रही है।

xx भारत में लगातार उपयोग के लिए समीक्षा नहीं की गई।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

1456. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने हाल ही में दूध की कीमत बढ़ाने के संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर देयरी द्वारा 1995 के दौरान नवम्बर तक दूध की कीमतें कितनी बार बढ़ाई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खान) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध के मूल्य में वृद्धि करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के उत्पादन/प्रसंस्करण लागत में वृद्धि के अनुरूप, दूध के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। इस मामले में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) 1995 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। 1995 के दौरान नवम्बर तक मदर डेयरी ने दूध के मूल्य में दो बार वृद्धि की है।

[अनुवाद]

चीनी के ठेके को रद्द किया जाना

1457. श्री राम कापसे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मंत्रालय ने समूचे चार लाख टन चीनी के ठेके को रद्द करने का विचार प्रकट किया है जो पहले इस वर्ष सरकारी खाते में बुक किया गया था;

(ख) क्या वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव के समर्थन में खाद्य मंत्रालय द्वारा क्या कारण दिए गए हैं; और.

(घ) चीनी के आयात के ठेके को रद्द किए जाने के कारण सरकार द्वारा कितनी हानि उठाई गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) 1994-95 मौसम के दौरान चीनी की पूर्वानुमानित पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार द्वारा अनुबंधित अधिक से अधिक चीनी को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, यथोचित मूल्य पर बेचने का फैसला किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० ने एक साथ लगभग 1.99 लाख टन चीनी का अक्तूबर, 1995 तक आयात किया है।

(घ) लाभ/हानि, यदि कोई हुई तो, की जानकारी एस०टी०सी०/एम०एम०टी०सी० द्वारा खातों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही हो सकेगी।

[हिन्दी]

यमुना कार्य योजना

1458. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना के अनुरूप यमुना कार्य योयना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां। तो राज्य-वार पूंजी परिव्यय सहित उक्त कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य और अब तक शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के 6 नगरों, तथा उत्तर प्रदेश के 8 नगरों में प्रदूषण निवारण के कार्य किए जाने का प्रस्ताव है। इन नगरों का सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इनमें सीटेज का अवरोधन, दिशा परिवर्तन तथा उपचार, अल्प लागत के सामुदायिक शौचालयों, काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह और स्नान घाटों का निर्माण तथा वृक्षारोपण औन जन भागीदारी के कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के लिए कुल 343.78 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें हरियाणा के लिए 113.85 करोड़ रु०, दिल्ली के लिए 16. 18 करोड़ रु० तथा उत्तर प्रदेश के लिए 213.75 करोड़ रु० शामिल है।

(ग) से (ङ) तीनों राज्यों में अब तक 54 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस कार्य योजना के मार्च, 1999 तक पूरा होने की आशा है। इस कार्य योजना के वास्तविक कार्य एवं वित्तीय कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्त रूप से की जा रही है ताकि कार्य योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विवरण-I

उन नगरों की सूची जहां यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण कार्य शुरू किए गए हैं।

हरियाणा

1. यमुनानगर और जगाधरी
2. करनाल
3. पानीपत
4. सोनीपत
5. गुड़गांव
6. फरीदाबाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

7. दिल्ली

उत्तर प्रदेश

8. सहारनपुर

9. मुजफ्फरनगर

10. गाजियाबाद

11. नोएडा

12. वृन्दावन

13. मथुरा

14. आगरा

15. इटावा

विवरण--II

स्कीमें	हरियाणा	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	कुल
अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	12	—	11	23
सीवेज उपचार संयंत्र	—	2	2	4
अल्प लागत स्वच्छता	6	—	8	14
शवदाहगृह	6	—	6	12
स्नान घाट	1	—	—	1
कुल	25	2	27	54

गंगोत्री और यमुनोत्री

1459. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **पर्यावण ौर वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगोत्री और यमुनोत्री में पर्यटकों द्वारा फेंके गये कचरे से क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या गंगोत्री में तापमान बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तापमान में वृद्धि हो जाने के कारण हिमनपद खतरें में पड़ गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या योजना बनायी है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अशोधित पलजल सहित जलपान स्थलों तथा पर्यटक गतिविधियों से उत्पन्न कूड़े — कसरे से क्षेत्रों का पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।

(ख) और (ग) गंगोत्री के पास भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा एकत्रित आंकड़ों से तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का संकेत नहीं मिलता है।

(घ) गंगोत्री ग्लेशियर के अपगमन पर मानक गतिविधियों के प्रभाव की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैंडों की जनसंख्या

1460. श्री प्रवीन डेका :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली दो गणनाओं के अनुसार गैंडों की जनसंख्या राष्ट्रीय पार्क/पशु विहार वार कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मारे गए/असमय मर गए गैंडों की राष्ट्रीय पार्क-वार, अभ्यारण्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैंडों की जनसंख्या तीव्रगति से घट रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) गैंडों की गणना वार्षिक रूप से नहीं की जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जहां गणना की गई थी, में 1989 और 1994 के बीच गैंडों की अनुमानित संख्या तथा सूचित मृत्यु-दर के आंकड़े संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यद्यपि कछ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में गैंड़ों की अबादी में मामूली कमी हुई है; अन्यों में वृद्धि भी हुई है। तथापि, पिछले पांच वर्षों में भारत में गैंडों की कुल आबादी में मामूली कमी आई है।

(घ) भारत में गैंडों की आबादी में कमी आने का मुख्य कारण प्राकृतिक मृत्यु के अलावा चोरी-छिपे शिकार करना है।

(ङ) गैंडों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

1. गैंडे को वन्यजीव (सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इस प्रकार इसे अत्यधिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है;

2. गैंडे के अंगों और इसके उत्पादों के व्यापार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है;

3. भारत वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन का एक पक्षकार है और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमों का पालन करता है। कन्वेंशन के उपबंधों के अन्तर्गत गैंडों को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है जिसमें प्रजातियों, उत्पादों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है।

4. शिकार चोरों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में अपेक्षित होने पर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, डी०आर०, आई० सीमा-शुल्क, सेना का भी सहयोग लिया जाता है।

5. गैंडों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराने और उन्हें पुराने वासस्थल में पुनः बसाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कटासनीघाट वन्यजीव अभयारण्य में "गैंडों का पुनर्वास" के लिए स्कीम शुरू की गई हैं।

6. प्रजातियों और इनके वासस्थलों के संरक्षण के लिए 6 वन्यजीव अभयारण्यों और 3 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

7. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए अधिकांशतः देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

8. मुखविरों को पुरस्कार देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

विवरण

गैंडों की संख्या

क० राज्य	1989	1992	1993	1994
असमं				
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1250	–	1164	–
मानस राष्ट्रीय उद्यान	85	–	80	–
पोवित्रा	65	–	56	–
ओरंग	100	–	97	–
लावोखोआ	03	–	–	–
अन्य पाकेट	40	–	–	–
पश्चिम बंगाल				
जलदापाड़ा	27	33	–	33
गोरूमारा	12	11	–	14
उत्तर प्रदेश				
दुधवा	09	11	–	–

ख. मृत्युदर के आंकड़े

राज्य/राष्ट्रीय उद्यान	1994		1995 **	
अभयारण्य वार	शिकार चोरों द्वारा मारे गए	असामायिक/ प्राकृतिक मृत्यु	शिकार चारों द्वारा मारे गए	असामायिक/ प्राकृतिक मृत्यु
*1. असम	31	42	35	49
2. पश्चिम बंगाल				
(क) जलदापाड़ा	शून्य	2	शुन्य	3
(ख) गोरूमुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. उत्तर प्रदेश				
(क) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं

* राज्य में राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य वार मृत्य दर के कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

** 30 सितम्बर, 1995 तक।

[हिन्दी]

वनरोपण की वार्षिक दर

1461. श्री महेश कनोडिया :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वनरोपण की वार्षिक दर निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब निर्धारित किया गया;

(ग) क्या वन रोपण की वार्षिक दर के संबंध में प्राप्त किए गए लक्ष्यों को बरकरार रखा जा रहा है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा वन रोपण की वार्षिक दर में कितनी कमी आई हैं; और

(ङ) वन रोपण की निर्धारित वार्षिक दर की प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश में वनीकरण और वृक्षारोपण संबंधी कार्य किए जाते हैं। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में जो धनराशि उपलब्ध होती है उसे ध्यान में रखते हुए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(पौंध लाखों में)
(क्षेत्र हैंक्टेयर में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	पौंध वितरण	क्षेत्र जिसमें कार्य किया गया	पौध वितरण	क्षेत्र जिसमें कार्य गया गया
1992-93	14500	10,64,000	12450.87	10,62,226
1993-94	13509	11,65,300	11097.61*	9,63,888
1994-95	11835.10	10,31,320	10367.51*	9,45,367

*अनुमानित

बढ़ती हई लागत, विशेषकर मजदूरी की दर में वृद्धि को देखते हुए तथा लक्ष्यों के अनुरूप वनीकरण कार्यों के लिए कुल उपलब्ध धनराशि में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

मूल्यों में वृद्धि

1462. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम आदमी के भोजन में मूल प्रोटीन प्रदान करने वाला

दहलन मूल्यों की बेतहाशा वृद्धि के कारण निर्धन आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, जुलाई, 1 सितम्बर, और 1 दिसम्बर 1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के प्रमुख बाजार में काला चना, काबूली चना, राजमा आदि विभिन्न दालों के तुलनात्मक मूल्यों का ब्यौरा क्या है और अप्रैल 1995 के बाद मूल्यों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मूल्यों को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 सितम्बर, 30 नवम्बर को दिल्ली में विभिन्न दालों के तुलनात्मक थोक मूल्य तथा साथ ही इसी अवधि के लिए दालों के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव का विवरण संलग्न है।

(ग) दालों की कम कीमतों में वृद्धि के कई कारण हैं परन्तु दालों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 50 लाख मी०टन० का वर्तमान अन्तर, सीमित आयात और देश में दालों का करीब'करीब स्थिर उत्पादन कीमतों में वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

(घ) सरकार दालों के मूल्य स्तरों को नियंत्रित रखने के कार्य को बहुत महत्व देती है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर दालों की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत लाया गया है और दालों के आयात पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आयातित दालों की दालें, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1917 में विचारित भंडारण सीमा से भी छूट दी गई है, ताकि उनकी वास्तविक उपलभ्यतता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, दालों की आपूर्ति सहकारी भंडारों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से की जा रही है। देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि लाने के प्रयास थी किए जा रहे हैं।

विवरण

(क) दिल्ली में दालों के थोक मूल्य और उनमें प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	थोक मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल) निम्न तारीख को				प्रतिशत उतार-चढ़ाव		
				(*)	1.7.95	1.9.95	30.11.95
	1.4.95	1.7.95	1.9.95	30.11.95	1.4.95	1.4.95	1.4.95
काला चना	1100	930	910	715	− 15.5	−17.3	− 35.0
काबुली चना	2800	2475	2500	1600	− 11.6	− 10.7	− 42.9
राजमा	1650	1970	1800	1700	+ 13.3	+ 9.1	+ 3.0
अरहर दाल	1650	2150	2100	2050	+ 30.3	+ 27.3	+ 24.2
मूंग (धुली)	1560	1650	1675	1650	+ 5.8	+ 7.4	+ 5.0
उड़द (साबुत)	2000	1900	1850	1450	− 5.0	− 7.5	− 27.5
मन्का (लाल)	1450	1625	1600	1675	+ 12.1	+ 10.3	+ 15.5

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय
: इकॉनोमिक टाइम्स

(ख) दालों (उप समूह) के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

1.7.95	2.9.95	11.11.95
1.4.95	1.4.95	1.4.95
+ 7.0	+ 7.5	+ 2.3

काली मिर्च का मूल्य

463. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पैदा होने वाली काली मिर्च और अन्य फसलों के नवीनतम मूल्य क्या है;

(ख) क्या इन उत्पादों के मूल्यों में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है; और

(ङ) ऐसे उपायों का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) केरल में उगाई जाने वाली काली मिर्च और अन्य महत्वपूर्ण फसलों के नवीनतम उपलब्ध थोक मूल्य इस प्रकार हैं :—

फसल	केन्द्र	मूल्य रुपये/क्विंटल
काली मिर्च	कोचिन	7,800
खोपरा	कोजिकोड़	2950
इलायची	कोचिन	21,500

(ख) और (ग) वर्ष 1995 के दौरान उपर्युक्त फसलां के महीने के अन्त के थोक मूल्यों के उतार-चढ़ाव इस प्रकार है :—

फसल (केन्द्र)	महीने — के अन्त में थोक मूल्य (रु० प्रति क्विंटल) जनवरी, 95	अप्रैल, 95	जुलाई, 95	अक्तूबर, 95
काली मिर्च (कोचिन)	6850	8400	7900	7800
खोपरा (कोजिकोड़)	2325	2150	2300	2600
इलायची (कोचिन)	28500	24500	19000	21000

(घ) खोपरा के मूल्यों को लाभकारी, स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिये भारत सरकार ने 1995 के मौसम के वास्ते गोले और मिलिंग खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की थी। उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये काली मिर्च और अन्य मसाला मंडी में हस्ताक्षेप योजना के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नैफेड) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किए गये मूल्य समर्थन कार्यों के कारण हाल ही के महीनों में मुख्य मंडियों में खोपरा के थोक मूल्यों में वृद्धि का रूख आया है।

[हिन्दी]

चावल उत्पादन योजना

1464. श्री एन०जे० राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष चावल उत्पादन योजना के अंतर्गत शामिल गुजरात के किन जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को कोई विशेष सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात के बडोदरा, बरूचा तथा पंचमहल जिलों में उन विकास खण्डों के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है; और

(ङ) अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) इस समय गुजरात राज्य मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी० मोटे अनाज) के अंतर्गत सम्मिलित है। यह योजना फसल प्रणाली कार्यनीति पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत चावल के खेती के लिये भी सहायता दी जाती है। इस राज्य में "विशेष चावल उत्पादन योजना "नामक कोई योजना नहीं है।

आई०सी०डी०पी० मोटे अनाज में वे प्रखड सम्मिलित हैं जिनकी पैदावार राज्य/राष्ट्रीय औसत से कम है। इस राज्य में 170 प्रखड इस योजना में सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किसानों को बीज वितरण, समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शनों, खेतों में प्रदर्शनों, कृषकों के प्रशिक्षण, उन्नत कृषि उपकरणों, उत्पादकता पुरस्कारों, छिड़काव सेरों, के लिये सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) जिला बडोदरा, भडूच और पंचमहल के पात्र प्रखंड आई०सी०डी०पी० मोटे अनाज योजना के अंतर्गत इन जिलों को दी गई सहायता इस प्रकार है।

क्र०सं०	जिलों का नाम	दी गई सहायता (रु० लाखों में) 1994-95 (व्यय)	1995-96 (लक्ष्य)
1.	बडोदरा	2.57	14.46
2.	भाडूच	1.26	11.32
3.	पंचमहल	4.97	21.70

राष्ट्रीय पार्कों के लिए सहायता

1465. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के रखरखाव के लिए विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने भी और अधिक सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा उनके चारों ओर पारि-विकास", "बाघ परियोजना" तथा "हाथी परियोजना" केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। अतिरिक्त एक समय में दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) मेघालय के बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1993-94 के दौरान 275.00 लाख रुपए बंठित किए गए।

(2) असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1993-94 के दौरान 26.58 लाखा रुपए बंठित किए गए।

(3) महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए सीमा दीवार के निर्माण के लिए 1994-95 के दौरान 70.00 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

(4) हाथी रेंज की बहाली के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केरल राज्य को 1991-92 में हाथी परियोजना के तहत 1.00 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।

(5) मध्य प्रदेश राज्य को हाथी परियोजना के अन्तर्गत 1993-94 तथा 1994-95 में आप्रवास हाथियों की समस्या को हल करने के लिए 52.07 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

विवरण-I

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

क्र०सं०	राज्य का नाम	बंटित निधियां	(लाख रुपए में)	
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.97	54.53	69.803
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.106	30.873	31.44
3.	असम	1.40	103.979	–
4.	बिहार	28.145	–	57.85
5.	गोवा	12.50	14.485	14.301
6.	गुजरात	29.644	36.064	31.70
7.	हरियाणा	8.93	10.75	14.88
8.	हिमाचल प्रदेश	106.35	84.735	84.224
9.	जम्मू व कश्मीर	8.879	15.575	2.70
10.	कर्नाटक	90.41	114.545	132.86
11.	केरल	34.724	42.453	70.815
12.	मध्य प्रदेश	85.78	132.35	98.08
13.	महाराष्ट्र	69.038	51.764	127.465
14.	मणिपुर	19.90	15.15	19.30
15.	मेघालय	7.62	19.81	19.03
16.	मिजोरम	25.44	15.842	25.05
17.	नागालैण्ड	1.00	2.62	–
18.	उड़ीसा	45.65	71.33	72.96
19.	पंजाब	15.317	19.911	14.195
20.	राजस्थान	69.63	79.456	64.30
21.	सिक्किम	53.70	29.90	33.42
22.	तमिलनाडु	37.80	55.33	15.43
23.	त्रिपुरा	42.23	9.75	3.344
24.	उत्तर प्रदेश	43.305	75.548	75.10
25.	पश्चिम बंगाल	20.517	42.26	63.245
केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	3.00
2.	चंडीगढ़	–	–	–
3.	दादर व नगर हवेली	–	–	–
4.	दमन व द्वीव	3.10	1.50	–
5.	दिल्ली	–	–	–
6.	लक्षद्वीप	–	–	–
7.	पाण्डिचेरी	–	–	–
	कुल	946.00	1129.51	1145.492

विवरण-II

हाथी परियोजना

परियोजना – वित्तीय सहायता

राज्य	बंटित राशि	(लाख रुपयों में)	
	1992-93	1993-94	1994-95
आन्ध्र प्रदेश	6	32.15	36.62
अरुणाचल प्रदेश	17	11.17	19.12
असम	22	3	51.15
बिहार	13.5	–	–
कर्नाटक	34.18	73.57	68.88
केरल	14.02	8.75	63.58
मेघालय	13.9	288.6	24.50
उड़ीसा	–	37.7	47.00
तमिलनाडु	14.5	24.52	19.40
उत्तर प्रदेश	19.4	21.48	58.40
पश्चिम बंगाल	45.5	39.74	50.10
मध्य प्रदेश	–	17.924	34.15
नागालैण्ड	–	–	7.10
कुल	200	558.604	480.00

विवरण-III

सुरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारि-विकास-राज्यों को सहायता (बाघ रिजर्वों को छोड़कर)

	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	7.2		8.91
अरुणाचल प्रदेश	3.95	3.35	6.38
असम	शून्य	6.05	शून्य
बिहार	36.786		शून्य
गोवा	19.52		शून्य
गुजरात	19.52	14.083	शून्य
हरियाणा	4	3	3.60
हिमाचल प्रदेश	28.675	12.2	35.789
जम्मू व कश्मीर	शून्य	13.05	शून्य
कर्नाटक	21.98	44.265	शून्य
केरल	24.499	42.22	26.41
मध्य प्रदेश	43.97	13.885	24.59
महाराष्ट्र	5.597		शून्य
मणिपुर	शून्य		शून्य
मेघालय	7.55	6.54	शून्य
मिजोरम	शून्य		2.329
नागालैण्ड	शून्य		2.75
उड़ीसा	शून्य	24.80	5.70
पंजाब	शून्य	5.65	2.218
राजस्थान	21.87	19.33	शून्य
सिक्किम	29.992	10.3	13.95
तमिलनाडु	शून्य	8.62	शून्य
त्रिपुरा	2.56		शून्य
उत्तर प्रदेश	4.7	11.90	शून्य
पश्चिम बंगाल	33.655	7.28	18.75
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन, दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	296.434	243.48	150.276

विवरण-IV

पारि-विकास स्कीम के अंतर्गत बंटित निधियां-बाघ परियोजना

क्र०सं०	राज्य का नाम	(लाख रुपयों में) 92-93	93-94	94-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	19.65	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.60	3.40	1.548
3.	असम	—	5.20	—
4.	बिहार	20.910	32.70	8.25
5.	कर्नाटक	15.43	15.52	14.07
6.	केरल	5.699	7.139	10.00
7.	मध्य प्रदेश	26.92	35.085	38.482
8.	महाराष्ट्र	5.597	10.91	8.276
9.	उड़ीसा	—	7.10	26.00
10.	राजस्थान	21.87	39.73	23.88
11.	तमिलनाडु	—	4.76	—
12.	उत्तर प्रदेश	—	13.37	12.00
13.	पश्चिम बंगाल	25.235	46.236	38.418
	कुल	124.261	240.80	195.874

विवरण-V

बाघ रिजर्वों के लिए केन्द्रीय सहायता के बंटन को दर्शाने वाला विवरण।

क्र०सं०	बाघ रिजर्व का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	कार्बेट	29.205	67.7750	57.950
2.	पलामू	55.696	54.2000	51.500
3.	सिमलीपाल	45.693	46.5200	69.385
4.	कान्हा	61.301	39.905	65.385
5.	मानस	30.836	36.38721	42.325

1	2	3	4	5
6.	सरिस्का	45.700	50.5210	45.500
7.	रणथंभीर	46.779	55.7700	570.075
8.	बांदीपुर	24.397	35.1960	47.750
9.	सुन्दरबन	30.615	30.5860	36.930
10.	मेलघाट	44.147	36.7130	44.475
11.	पेरियार	48.862	46.7300	16.673
12.	इन्द्रावती	20.871	23.2430	22.350
13.	नामदफा	27.274	32.0000	34.540
14.	दुधवा	28.485	23.9400	32.604
15.	वाल्मीकि	—	—	—
16.	नागार्जन	20.076	25.2700	26.380
17.	बुक्सा	37.525	47.7220	50.610
18.	कालागड—मंडन थुराई	29.630	40.8650	79.170
19.	पेंच	6.920	28.0760	45.905
20.	बांधवगढ़	—	7.8950	8.955
21.	ताड़ोबा	—	—	18.635
	कुल	647.052	760.8071	797.008

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा

1466. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च विद्यालय स्तर पर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय, दोनों के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को छोड़कर जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, भाषाई अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा सीखने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संविधान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भाषाई अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों के इस वंचन की कोई जांच की है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित स्कूलों में भाषा शिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए कोई ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को, चाहे उनकी संख्या कुछ भी हो, हिन्दी, अंग्रेजी अथवा किसी भी शास्त्रीय भाषा के अतिरिक्त मातृ भाषा का शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान पाठ्यक्रम को संशोधित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को पाठ्यचर्या के अंग के रूप में अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाता है। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं इसलिए संपूर्ण देश के पाठ्यक्रमों में एकरूपता होना आवश्यक है। किन्तु यदि कम से कम 20 छात्र मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ने के इच्छुक हों तो ये भाषाएं विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं।

जहां तक नवोदय विद्यालयों का संबंध है, जहां विद्यालय स्थित होता है वहां की क्षेत्रीय भाषा सभी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है।

केन्द्र सरकार के अधीन विद्यालयों में भाषा शिक्षण की योजना में संशोधन के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिन उद्देश्यों से ये विद्यालय स्थापित किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर एक उपयुक्त भाषा योजना अपनाई जा रही है जिससे कि वे विद्यालय सुचारू रूप से काम कर सकें।

चावल, कपास तथा गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

1467. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चावल, गन्ना तथा कपास की खेती वाले क्षेत्र में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित राज्य-वार कितनी कमी आई है;

(ग) क्या इस कमी के कारण इन फसलों के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इन फसलों के उत्पादन तथा खेती के क्षेत्र में वृद्धि हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) गन्ने और कपास की खेती के अधीन क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। वैसे चावल की खेती के क्षेत्र में मामूली सी कमी देखी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) चावल, गन्ने और कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा चावल पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम गन्ने पर आधारित सतत् फसल प्रणाली और गहन कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

मूल्य निगरानी निकाय

1468. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से उनके क्षेत्राधिकार में मूल्य निगरानी निकायों की स्थापना करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे; और

(घ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में एक पायलट निगरानी निकाय की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा मूल्यों की अनुवीक्षा करने तथा पूर्वानुमान लगाने के लिए केंद्र की अन्तरमंत्रालयिक समन्वय समिति के अनुरूप अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य अनवीक्षण कक्ष स्थापित करें। समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों की एक प्रति संलग्न विवरण पर दी गई है।

(घ) आंध्र प्रदेश सराकर ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की अनुवीक्षा और आपूर्ति तथा मूल्यों के पूर्वानुमान के लिए एक समिति गठित की थी तथा उसे 1.11.95 को पुनर्गठित किया गया है।

विवरण

संख्या 4-6/94-ई आर एंड एम
भारत सरकार
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13 जनवरी, 1994

विषय : आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा मूल्यों की अनुवीक्षा तथा पूर्वानुमान हेतु अन्तरमंत्रालयिक समन्वय समिति का गठन।

पिछले कुछ महीनों के दौरान आम उपयोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, चीनी, प्याज के मूल्यों में आया अचानक उछाल सारे देश में दिखाई पड़ा है, हालांकि स्थिति चिंताजनक नहीं है। चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं, अर्थात, गेहूं, चावल, चीनी, चना दाल, तुर दाल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय, नमक, प्याज, तथा आलू के मूल्यों को उचित सीमाओं के भीतर रखने की दृष्टि से तथा साथ ही इन वस्तुओं की होने वाली कमियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में आवश्यक वस्तुओं की होने वाली कमियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक अन्तरमंत्रालयिक समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है समिति का गठन निम्नवत है :—

1.	सचिव, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, खाद्य मंत्रालय (खाद्य के प्रभारी)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
6.	आर्थिक सलाहकार (मूल्य, वित्त मंत्रालय)	सदस्य
7.	नेफेड का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	भारतीय खाद्य निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	आर्थिक सलाहकार, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले	संयोजक

जब भी आवश्यक होगा, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विशेष आमंत्रितों से बैठक में भाग लेने का अनरोध किया जाएगा।

विचारार्थ विषयः

(1) उपर्युक्त 12 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति तथा बाजार मूल्य की नियमित आधार पर समीक्षा करना।

(2) नियमित आधार पर वर्षा के पैटर्न, आवश्यक वस्तुओं की बुवाई, कटाई, उत्पादन तथा वितरण की समीक्षा करना।

(3) संकटकालीन स्थितियों जैसे सूखा, भारी वर्षा, बाढ़, भूचाल, परिवहन, हड़ताल तथा अन्य आधार ढांचे संबंधी समस्याएं आदि पर सूचना एकत्र करना तथा आने वाले महीनों के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन तथा आपूर्ति पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना।

(4) ऊपर बिन्दु 3 पर सूचीबद्ध समस्याओं से निपटने के लिए उपर्युक्त कार्य योजना का सुझाव देना, ताकि 12 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अत्यधिक कमी से बचा जा सके तथा साथ ही खुले बाजार में उनके मूल्यों में आने वाले अचानक उछाल को रोका जा सके।

(5) संबंधित पहलुओं पर अन्य कोई मामला।

ह०/-
(कमल किशोर)
आर्थिक सलाहकार
18.1.1994

प्रतिलिप प्रेषित :
कार्यदल के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित :— मंत्री (नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।

राज्य मंत्री (नागरित पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।

सचिव (नागरित पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।

चीनी मिलें

1469. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में उदारीकरण के नाम पर कुछ चीनी मिलों को बेचा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकारी/सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों की प्राइवेट क्षेत्र को बिक्री करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से खाद्य मंत्रालय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मोटे चावल की बिक्री

1470. श्री राम कापसे : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिनाडु सरकार ने 1 जुलाई, 1995 से 2 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे चावल की बिक्री का निर्णय लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले चावल और गेहूं पर राज सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और दी जाने वाली प्रस्तावित राज सहायता कितनी है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता माले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है उन्होंने 1.7.95 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की कॉमन किस्म के अन्तिम खुदरा मूल्यों को घटाकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें आंध्र प्रदेश शामिल है, एकसमान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जिस पर केंद्र सरकार राजसहायता देती है। इस प्रयोजन के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अतिरिक्त अनुदान अथवा राज-सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक सुविधायें विनियमन आयोग

1471. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वयं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विनियमन के लिये राज्यों और केन्द्र के स्तर पर सार्वजनिक सुविधाएं विनियमन आयोगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाये जाने वाली उन सार्वजनिक सुविधाओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मंत्रालय उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रस्तावित आयोग द्वारा जांच किये जाने का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक सुविधायें विनियमन आयोग की स्थापना करने संबंधी निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने एक सार्वजनिक उपयोगिता आयोग पब्लिक यूटीलिटीज कमीशन) गठित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सार्वजनिक उपयोगिता आयोग हमारे देश में एक नई धारणा है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व प्रस्ताव की विभिन्न बातों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गहराई से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अतः कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सोयाबीन के बीजों का आयात

1472. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोयाबीन के बीजों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने सरकार का ध्यान सोयाबीन के आयातित बीजों से उगने वाली फसलों से संबंधित घातक रोगों की ओर आकर्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) सोयाबीन के बीच का आयात, निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित मदों की सूची के अधीन शामिल है तथा बुवाई के प्रयोजन के लिए सोयाबीन के बीज के आयात के लिए अब तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सोयाबीन के आयातित बीज पादा संगरोध जांच और प्रवेश पत्तन पर अंकुरण परीक्षण सहित प्रयोगशाला जांच के अधीन है। परेषण तभी जारी किए जाते हैं जब स्टॉक को विदेशी कृमि और रोगों से मुक्त पाया जाता है।

पुस्तक पर प्रतिबंध

1473. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितंबर, 1995 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित "अनदर बुक बैन्ड बाई कस्टम्स आफिसियल्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पुस्तक का अध्ययन करवाया है और इसके आपत्तिजनक अंशों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान सरकार ने ऐसी कितनी विदेशी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा-सिंधु भोई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

शिक्षा शुल्क

1474. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविधालयों (केन्द्रीय विश्वविधालयों सहित) ने अपने कोष को मजबूत करने हेतु अभिभावकों की आय के आधार पर छात्रों की शिक्षा-शुल्क (ट्यूशन फीस) को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि के पीछे क्या औचित्य है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निहित है कि राज्य संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए तथा शैक्षणिक पद्धति में उत्तरदायित्व की भावना के वर्धन के लिए, चंदों, शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षा शुल्क बढ़ा कर सुविधाओं के कुशल प्रयोग द्वारा बचत करके तथा उपयोक्ता एजेंसियों पर उपकर अथवा प्रभार लगातार अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे।

नवंबर, 1992 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायमूर्ति डा० के० पुन्नय्या की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की, जो वर्तमान नीति, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास तथा अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने के मानदंडों तथा स्वरूपों की जांच करेगी और उनके द्वारा अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देगी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए नये दाखिलों के लिए शिक्षा-शुल्क तत्काल बढ़ाया तथा आवधिक रूप से समायोजित किया जा सकता है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि बढ़े हुए शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त आय को छात्रवृत्तियों तथा अध्येतावृत्तियों के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि कमजोर वर्गों तक इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 1994 में पुन्नया समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विचार करने तथा संबद्ध सिफारिशों को अपनाने के लिए इसका परिचालन किया।

[अनुवाद]

नारियल पेड़

1475. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के पेड़ों में लगे रोगों के कारण वर्ष में कितनी गोला-गरी नष्ट हो जाती है और इस संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की किसी प्रभावी-औषधि का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नारियल के पेड़ो को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण गिरी की वार्षिक क्षति का आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जड़ मुर्झान रोग के मामले में गंभीर रूप से संक्रमित और अनुत्पादक पाम और उन सभी पामों, जिनमें फल देने के पूर्व रोग लग गया है, का उन्मूलन कर देना चाहिए। नारियल के जड़ मुर्झान रोग का प्रभावी उपचारात्मक रासायनिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है। किन्तु निम्नलिखित प्रबंध प्रक्रियाओं की संस्तुति की गई है :—

(एक) संस्तुत खुराक में कार्बनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग।

(दो) गंभीर रूप से रोग ग्रसित और रोग ग्रसित छोटे पाम को हटाना और क्वालिटी पौद को फिर से लगाना।

(तीन) वर्ष में दो बार, अर्थात् मई और सितम्बर में 1.0% बोर्डोक्स मिश्रण या 3% डाकूथेन, एम० 45 का छिड़काव

(चार) रैड पाम वीमिल और रिनों क्रस बीटी पर नियंत्रण

(पांच) गर्मी में सिंचाई की व्यवस्था करना।

(छः) अंतर्फसल उगाना/पुनर्चक्रण या कार्बनिक खाद का प्रयोग करने मिश्रित फसल/ मिली जुली कृषि को अपनाना।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रदूषण

1476. श्री एन०जे० राठवा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में बहने वाली नदियों में प्रदूषण के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इस संबंध में कार्यवाही शुरू किये जाने के पश्चात् औद्योगिक एककों ने प्रदूषण पर रोक लगाई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अहमदाबाद ऊर्ध्वप्रवाह से बेउथा अधोप्रवाह तक साबरमती नदी क्षेत्र प्रदूषित पाया गया था। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर लिया गया है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नदी के किनारे स्थित बड़े नगरों से उत्पन्न होने वाले म्युनिसिपल अवेशष जल के मामले में प्रदूषण निवारण के उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक प्रदूषण की वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत निगरानी की जाएगी।

ओलम्पिक्स

1477. श्री राम कृपाल यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवंबर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पिटी महाराजा लैक्सहार्ससेंस" शीर्षक से प्रकाशित शीर्षक की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरीका में होने वाली आगामी ओलम्पिक्स की घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत द्वारा भाग लेने का अवसर खोने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय घुड़सवार संघ ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार संघ (एफ०ई०आई०, के साथ उठाया था जिसने 20 से 22 दिसंबर, 95 तक दिल्ली में तीन तारा प्रतियोगिता (सी०सी०आई० ***) आयोजित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी भी आ रही हैं इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर, भारतीय घुड़सवार ओलम्पिक खेलों के लिए योग्य बन सकते हैं।

[अनुवाद]

चीनी विकास कोष

1478. श्री कुन्जी लाल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान अब तक राजस्थान से चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु चीनी विकास कोष से वित्तीय सहायता के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन चीनी मिलों को उक्त कोष से सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या चीनी मिलों ने इस धनराशि का पूर्ण सदुपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राजस्थान में स्थित चीनी मिलों से इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारिता आंदोलन

1479. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री संदीपन भगवान थोरात :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सहकारिता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसी पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें दिए गए सिफारिशों/निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गांवों के गरीबों/कमजोर लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए सहकारिता आंदोलन को दिशा मिले ओर उसका पुनर्गठन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विभिन्न राज्यों में एक समान सहकारिता की स्थिति की समीक्षा करने के लिये विशेषज्ञों का कोई ऐसा दल गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) लेकिन, योजना आयोग ने 1990 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उस समिति ने मई, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "मॉडल सहकारी अधिनियम की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की रिपोर्ट सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली है। यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा बहु राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 को ब्रह्म प्रकाश समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप बदला जाये। (चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा यथासंस्तुत) मॉडल सहकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मॉडल सहकारी अधिनियम

1. "मॉडल अधिनियम" के आरम्भ में राज्य की सहकारी नीति और सहकारिता के सिद्धान्त दिए गये हैं जो अधिनियम के शेष उपबंधों के लिय मार्गदर्शक स्वरूप हैं तथा सरकार के लिए सहकारिता के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करना सुविधाजनक बनाने के लिये हैं।
2. नई सहकारी समिति के पंजीकरण की प्रविधि को सरल बना दिया गया है तथा कार्य संचालन के क्षेत्र, आर्थिक व्यावहार्यता आदि जैसे कृत्रिम रुकावटें हटा दी गई हैं।
3. "मॉडल अधिनियम" सरकार को नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं देता। यह कानून स्वयं ही ऐसे बृहत प्रतिमान निर्धारित करता हे जिनका सहकारी समितियों द्वारा अनुपालन आवश्यक है तथा इसमें समिति के गठन, प्रबन्ध ा और व्यापार से जुड़े सभी अन्य मामलों को उपनियमों के अनुसार चलाने की बात प्रतिपादित है।
4. "मॉडल अधिनियम" किसी सहकारी समिति में निम्नलिखिन में से किसी के बारे में भी आदेश देने की शक्ति पंजीकार या सरकार को नहीं देता।
   (क) निदेशक मॉडल का अधिक्रमण;
   (ख) समितियों का अनिवार्य विलयन या खंडन।
   (ग) उप नियमों में अनिवार्य संशोधन।
   (घ) किसी सहाकारी समिति की महासभा या निदेशक मंडल के संकल्पों को वीटो करने/रद्द करने/निष्प्रभावी करने की शक्ति।
5. सहकारी परिसंघ/संघों को सदस्य सहकारी समितियों के मामले में और अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, विशेषकर प्रबन्ध मण्डल के चुनाव नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करने हेतु तथा खातों की वार्षिक लेखा-परीक्षा सही समय पर कराने हेतु।
6. पंजीकार की भूमिका सहकारी समितियां के पंजीकरण तथा समापन, जांच करने तथा बुक करने पर चुनाव कराने, लेखा परीक्षा कराने तथा महासभा की बैठक कराने तक सीमित होगी।

7. मॉडल अधिनियम सहकारी समिति पर सरकार से इक्विटी के रूप में धन स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है।

8. सदस्यों पर सहकारी संस्था को सदस्य उपभोक्ता संगठन का स्वरूप देना सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारियां डाली गई हैं।

9. निदेशक मंडल को सही समय पर चुनाव कराने, प्रबन्ध समिति तथा सहायता की बैठकें नियमित रूप से कराने, और उनमें भाग लेने तथा खातों की सही समय पर लेखा-परीक्षा कराने के वास्ते उत्तरदायी बनाया गया है।

10. मॉडल अधिनियम सरकारी अधिकारियों पर सहकारी समितियों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है।

11. मॉडल अधिनियम में सहकारी समितियों के गठन, प्रबन्ध तथा व्यापार से संबंधित मामलों संबंधी विवादों और अपीलों के निपटान तथा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जानकारी प्राप्त करने के लिये सहकारी न्यायाधिकरण गठित करने की प्रावधान है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

1480. श्री महेश कनोडिया :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री परस राम भारद्वाज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की तरह राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह मिशन कब से अपना काम आरंभ कर देगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा कृपा-सिन्धु भोई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा सभी को जल्दी से सुलभ हो, इस मुख्य उद्देश्य पर बल देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन पहले से स्थापित किया जा चुका है।

(ग) यह मिशन पहले से ही कार्यरत है।

[अनुवाद]

मत्स्य क्षेत्र के लिए मंत्रालय

1481. श्री सुधीर सावंत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के अधीन मत्स्यकी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एजेन्सियां कार्य कर रही है;

(ख) क्या इन सभी एजेन्सियों को एक मंत्रालय के अधीन गठित करने की कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी एक विभाग के अंतर्गत मात्स्यिकी विकास से संबंधित क्रियाकलापों को शामिल करते हुये इसके प्रति समेकित तथा सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में चिन्ता जाहिर की गई है। केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड जो कि सर्वोच्च सलाहकार निकाय है और जिसमें अधिकांश राज्यों के मात्स्यिकी मंत्री और अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ तथा कुशल प्रतिनिधि हैं, ने अपनी 18वीं बैठक में यह सिफारिश की थी की कृषि मंत्रालय के अंतर्गत मात्स्यिकी का एक अलग विभाग होना चाहिये।

मात्स्यिकी का एक अलग विभाग गठित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में चीनी मिल

1482. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी निगम ने बिहार में वनमखी चीनी मिल के पुनरूद्धार की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित धनराशि कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय चीनी निगम नाम का कोई निगम नहीं है। आगे, फिलहाल, खाद्य मंत्रालय के पास बिहार राज्य की वनमखी चीनी मिल को शुरू करने के सबंध में विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दोहरा समर्थन मूल्य

1483. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को दोहरा समर्थन मूल्य देने का है ताकि उन किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो प्रारम्भिक भीड़भाड़ कम होने के बाद अपना उत्पाद मंडियों में लाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान गेहूं की वसूली भिन्न-भिन्न समय में (स्टैगर्ड) करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

विधि केन्द्र-1, दिल्ली विश्वविद्यालय

1484. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 16 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5941 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि केन्द्र-1 जो फैकल्टी ऑफ लॉ बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय में अवस्थित है, को सरकारी कार्यालयों की सघनता को देखते हुए मंदिर मार्ग या गोल मार्किट के समीप किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में विधि केन्द्र-I के विद्यार्थियों जिनमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें भारी यातायात के कारण सांध्यकालीन कक्षा में आने में विलंब होता है, उनकी इन असुविधओं को ध्यान में रखे हुए इस मामले को शीघ्र निपटाएगी;

(घ) क्या विधि केन्द्र-I को मंदिर मार्ग से हटाकर फैकल्टी ऑफ ला बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने के कारण कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी आई है तथा वे भी उपस्थिति के मामले में अनियमित हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विधि केन्द्र-I को मंदिर मार्ग अथवा मध्य दिल्ली में किसी भी स्थान पर सरकारी कार्यालयों के समीप स्थानांतरित करने हेतु सरकार क्या कदम उठाएगी क्योंकि उपरोक्त सांध्यकालीन विधि केन्द्र का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार जून, 1994 में कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लॉ सेन्टर-I को मंदिर मार्ग से विधि संकाय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह निर्णय कुलपति द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर आधारित था जिसने विधि संकाय में समग्र सुधार करने हेतु उपायों व साधनों व सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित न्याय मूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी समिति की सिफारिशों पर विचार किया। सेंटर के स्थानांतरण की वजह से किराए के वार्षिक आवर्ती व्यय में बचत के साथ-साथ इसके शैक्षिक परिवेश में पर्याप्त सुधार हुआ है। सामान्यतः, छात्रों ने भी सेंटर के स्थानांतरण का स्वागत किया है क्योंकि उन्हें विधि संकाय पुस्तकालय जैसी शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इन तथ्यों को देखते हुए, विश्वविद्यालय का प्रस्ताव इस का सेंटर को पुनः मंदिर मार्ग या गोल मार्किट के नजदीक किसी अन्य स्थान वपर स्थानांतरित करने का नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि लॉ सेंटर-I की कक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में कमी नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

11.21 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 दिसम्बर 1995/15 अग्रहायण 1917(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।